



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2017/ ज्येष्ठ 1, 1939

No. 391]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2017/JYAISTHA 1, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2017

सा.का.नि. 489(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 और धारा 21 के साथ पठित धारा 64 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

भाग 1

आरंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता तथा मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) जब तक कि इन विनियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) अभिप्रेत है ;
- (ख) "सलाहकार समिति" से केंद्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के नियम 16 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;
- (ग) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अभिप्रेत है ;
- (घ) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

- (ङ) "पहली अनुसूची" से अधिनियम की पहली अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (च) "एमएसवीई विनियमों" से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक (पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक – डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 2016 अभिप्रेत है ;
- (छ) "अध्यक्ष" से परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (ज) "अन्तिम रूप से मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय" से ऐसा पशु चिकित्सा महाविद्यालय अभिप्रेत है जिसको पहली अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है और जहां पर विद्यार्थियों के दाखिले को केंद्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पत्र अनुदत्त करने और उसके नवीकरण द्वारा अनुज्ञात किया गया है ;
- (झ) "मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय" केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम और इन नियमों में विनिर्दिष्ट रीति में पहली अनुसूची में शामिल करके मान्यता प्रदान किया गया पशु चिकित्सा महाविद्यालय अभिप्रेत है ;
- (ञ) "मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (ङ) में यथा परिभाषित मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता अभिप्रेत है ;
- (ट) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ठ) "विश्वविद्यालय" से किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रादेशिक अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है, जो किसी संघटक या संबद्ध पशु चिकित्सा महाविद्यालय के माध्यम से पशु चिकित्सा अर्हता अनुदत्त कर रहा है ;
- (ड) "पशु चिकित्सा महाविद्यालय" से कोई महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है जो या तो किसी विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है और जो पशु चिकित्सा विज्ञान स्नातक और पशुपालन में डिग्री पाठ्यक्रम या कोई अन्य पशु चिकित्सा अर्हता की शिक्षा प्रदान करने में लगा हुआ है ;
- (ढ) "पशु चिकित्सा संस्था" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित संस्थाएं अभिप्रेत है ;
- (ण) "पशु चिकित्सा अर्हता" से निम्नलिखित डिग्रियां और डिप्लोमा अभिप्रेत और सम्मिलित हैं, अर्थात् :--
- (i) पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक (बी.वी.एससी और ए.एच.) ;
 - (ii) विज्ञान स्नातक (पशु चिकित्सा) (बी.एससी. (पशु चिकित्सा) ;
 - (iii) पशु चिकित्सा पशु विज्ञान स्नातक (बी.वी.ए.एससी.) ;
 - (iv) पशु चिकित्सा विज्ञान स्नातक (बी.वी.एससी.) ;
 - (v) पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक (जी.बी.एससी. और ए.एच.) ;
 - (vi) बंगाल पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्नातक (जी.बी.वी.सी.) ;
 - (vii) बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्नातक (जी.बी.वी.सी.) ;
 - (viii) बंबई पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्नातक (जी.बी.वी.जी.) ;
 - (ix) मद्रास पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्नातक (जी.एम.वी.जी.) ;
 - (x) पशु चिकित्सा विज्ञान स्नातक (जी.बी.एससी.) ;
 - (xi) पहली अनुसूची में सम्मिलित कोई अन्य डिग्री या डिप्लोमा या कोई अन्य पशु चिकित्सा अर्हता ।

(2) शब्द और पद, जो इन नियमों में प्रयोग किए गए हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है।

भाग 2

महाविद्यालयों की मान्यता के लिए पात्रता मानदंड

3. पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता—कोई व्यक्ति किसी पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना नहीं करेगा और किसी पशु चिकित्सा महाविद्यालय में विद्यार्थियों को दाखिला नहीं देगा या विद्यार्थियों की संख्या में अनुज्ञात संख्या से परे वृद्धि नहीं करेगा सिवाय तब जब वह इन नियमों के अनुसार केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुज्ञा अभिप्राय ना कर ले।

4. पशु चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड—निम्नलिखित संगठन किसी पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पशु चिकित्सा अर्हता की मान्यता के लिए प्ररूप-1 में आवेदन करने के पात्र होंगे, अर्थात् :--

- (i) कोई राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र ;
- (ii) कोई विश्वविद्यालय ;
- (iii) पशु चिकित्सा शिक्षा के प्रयोजन के लिए किसी कानून के अधीन केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नत स्वायत्त निकाय ;
- (iv) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी ;
- (v) लोक न्यास अधिनियम या राज्य में तत् समय प्रवृत्त किसी वैसे ही अधिनियम के अधीन सुरजीत और रजिस्ट्रीकृत लोक धार्मिक की आपूर्ति न्याय जहां ऐसा न्यास अधिवाम रखता है या वक्त अधिनियम 1995 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वक्त ;

5. अर्हक मानदंड—नियम 4 के अधीन पात्र संगठन पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अर्हता की मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए अर्हक होंगे यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, अर्थात् :--

- (क) आवेदक, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, जो पशु चिकित्सा अर्हता अनुदत्त करता हो, जिसके माध्यम से वह पशु चिकित्सा अर्हता प्रदान करने या पशु चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने की मंशा रखता है का नियंत्रण रखता हो और उसके प्रबंधन में हो ;

स्पष्टीकरण- इन नियमों के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को किसी पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नियंत्रण रखने वाला और उसके प्रबंधन में तब समझा जाएगा जब उसके पास शासी निकाय या पशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्रमुख को नियुक्त करने या पद से हटाने का अधिकार हो और वह पशु चिकित्सा महाविद्यालय के वित्त या वित्त पोषण पर नियंत्रण रखता हो ;

- (ख) आवेदक के नियम 4 के खंड (i), खंड (ii) और खंड (iii) के अधीन वर्गों से भिन्न किसी एक प्रवर्ग में असफल रहने की दशा में उसका एक प्रमुख उद्देश्य पशु चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना होना चाहिए ;

- (ग) पशु चिकित्सा महाविद्यालय और उसकी अनुपंगी सुविधाओं जिसके अंतर्गत पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के अनुसार न्यूनतम मानक के रूप में शिक्षा प्रदान करने वाला पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सा नैदानिक परिसर और एक अनुदेशात्मक पशुधन फार्म परिसर हैं, को स्थापित करने के लिए पिछले 3 वर्षों के उसके वार्षिक रिटर्न और लेखाओं में अपेक्षित वित्तीय क्षमता प्रदर्शित होनी चाहिए ;

- (घ) पशु चिकित्सा शिक्षा विनियम के न्यूनतम मानक के अधीन यथा विनिर्दिष्ट आकार की समुचित भूमि जिसमें सभी संरचनाएं और सभी सुविधाएं जैसा कि पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानक के अधीन विनिर्दिष्ट है आवेदक के स्वामित्व और कब्जे में होनी चाहिए या आवेदक द्वारा संबंधित सरकार या संबंधित अभिकरण से 30 वर्ष या अधिक के पट्टे के अधीन और यथास्थिति उक्त भूमि यह पट्टा आवेदक के नाम सम्यक्ता रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए ;

परंतु यह भी कि अनुदेश पशुधन फार्म परिसर पशु चिकित्सा महाविद्यालय के परिसर से 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर होगा ;

परंतु इसमें विनिर्दिष्ट सभी अनुदेशात्मक सुविधाएं और पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों में न्यूनतम मानक शिवाय अनुदेश पशुधन फार्म परिसर के एक एकल सनत भूमि का प्लॉट होगा ;

परंतु पशु चिकित्सा महाविद्यालय, जिसके अंतर्गत पशु चिकित्सा चिकित्सालय या पशु चिकित्सा नैदानिक परिसर तथा अनुदेशिक पशु धन, फार्म परिसर भी है, के संनिर्माण, स्थापना, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए सभी अनुज्ञा, जो आवश्यक हो, सक्षम सरकारी अभिकरण से प्राप्त कर ली गई हैं ;

(ड) पशु चिकित्सा महाविद्यालय के भवन की योजना को वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का 20) के अधीन गठित वास्तुविद् परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत किसी वास्तुविद् द्वारा तैयार किया जाएगा तथा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा यथा अभिहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक्तः अनुमोदित किया जाएगा ;

(च) आवेदक के स्वामित्व में और प्रबंधन में कोई पशु चिकित्सा नैदानिक परिसर या पशु चिकित्सा महाविद्यालय हो या उसके पास, जैसा कि पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के लिए न्यूनतम मानक में अधिकथित किया गया है, किसी राज्य पशु चिकित्सा चिकित्सालय और किसी अनुदेशात्मक पशुधन फार्म परिसर, जो उसमें विनिर्दिष्ट सभी अवसंरचना सुविधाओं के साथ सुसज्जित हों, इंतजाम होना चाहिए और पशु चिकित्सा चिकित्सालय या पशु चिकित्सा नैदानिक परिसर यदि आवेदक के स्वामित्व में हों तो पशु चिकित्सा महाविद्यालय के परिसर के भीतर होगा तथा आवेदक के पूर्ण वित्तीय और तकनीकी नियंत्रण के अधीन होगा ;

(छ) आवेदक ने पहले शैक्षिक वर्ष के लिए अपेक्षित एमएसवीई विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारिवृंद की भर्ती कर ली है तथा केंद्रीय सरकार से अनुज्ञा पत्र की प्राप्ति पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यान्वयन के लिए जनशक्ति कार्यक्रम तैयार किया है तथा ऐसे जनशक्ति कार्यक्रम एमएसवीई विनियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार होंगे और निम्नलिखित के संबंध में विभागवार तथा वर्षवार योजना उपलब्ध कराएंगे ;

- (i) शैक्षिक कर्मचारिवृंद (नियमित),
- (ii) तकनीकी कर्मचारिवृंद (नियमित),
- (iii) प्रशासनिक कर्मचारिवृंद (नियमित),
- (iv) अनुषंगी कर्मचारिवृंद,
- (v) वेतन अवसंरचना,
- (vi) भर्ती प्रक्रिया, और
- (vii) भर्ती कलेंडर :

परंतु पहले शैक्षिक वर्ष के लिए शैक्षिक और गैर-शैक्षिक कर्मचारिवृंद की भर्ती करने के अतिरिक्त आवेदक और नियम 4 के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के उपबंधों के भीतर आने वाला आवेदक से भिन्न व्यक्ति से भी उसके प्ररूप 1 में आवेदन के एक भाग के रूप में किसी अनुसूचित बैंक में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए दूसरे शैक्षिक वर्ष के लिए शैक्षिक कर्मचारिवृंद को संदेय वेतन और अन्य फायदों की प्रकलित लागत के समतुल्य किसी रकम का एक नियत जमा सृजित करने का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा होगी ;

(ज) आवेदक ने पहले ही कम से कम पहले और दूसरे शैक्षिक वर्ष के लिए अपेक्षित इसकी अनुसूची 2 में उपदर्शित अवसंरचना सुविधाओं का गठन और स्थापना पशु चिकित्सा शिक्षा विनियम के न्यूनतम मानक में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार कर ली है ;

- (इ) आवेदक ने दूसरे, तीसरे और चौथे शैक्षिक वर्ष के लिए अतिरिक्त जनशक्ति तथा अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाओं, जिसके अंतर्गत पशु चिकित्सा नैदानिक परिमर अनुदेशात्मक पशुधन फार्म परिसर भी है, के लिए पशु चिकित्सा शिक्षा विनियम के न्यूनतम मानक में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर लिया है, ताकि पशु चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिले प्रारंभ करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञा पत्र अनुदत्त करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सामूहिक रूप से सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें और पूरी की जा सकें।
- (ज) पशु चिकित्सा महाविद्यालय 'सरकार' या 'भारतीय' या 'राष्ट्रीय' या 'अखिल भारतीय' या संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के अधीन प्रतिषिद्ध शब्दों का उसके नाम के एक भाग के रूप में प्रयोग नहीं करेगा ताकि यह प्रभाव न पड़े कि उक्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी है या उसका प्रबंधन सरकार द्वारा किया जा रहा है या उसे सरकारी संरक्षण प्राप्त है तथा यह निर्बंधन उन पशु चिकित्सा महाविद्यालयों को लागू नहीं होंगे जिनकी स्थापना राज्य या केंद्रीय सरकार द्वारा या उनके द्वारा अनुमोदित नाम के अधीन की गई है।

भाग 3

पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अर्हता की मान्यता के लिए आवेदन

6. पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अर्हता की मान्यता के लिए आवेदन—

- (1) पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अर्हता की मान्यता के लिए आवेदन नियम 4 के अधीन पात्र किसी भी संगठन द्वारा, जो ऐसा आवेदन करने के लिए नियम 5 के अधीन अर्हक हैं, इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को किया जा सकेगा।
- (2) नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन आवेदन के साथ प्ररूप 1 में यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेज और किसी रजिस्ट्रीकृत लागत लेखाकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यक्तः प्रमाणित अगले पाँच वर्ष के लिए प्रस्तावित निधि प्रवाह विवरण के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संलग्न होगी तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में भवन कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम, कृत्यशील कार्यक्रम, उपस्कर कार्यक्रम और जनशक्ति कार्यक्रम सम्मिलित होंगे।

7. मान्यता के लिए आवेदन के मूल्यांकन की प्रक्रिया—(1) केंद्रीय सरकार, विहित फीस के साथ विनिर्दिष्ट प्ररूप में किसी आवेदन की प्राप्ति पर ऐसे आवेदन को मूल्यांकन और सिफारिशों के लिए परिषद् को निर्दिष्ट करेगी तथा इन नियमों के अधीन सभी आवेदनों को अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार निपटाया जाएगा।

(2) परिषद् सभी आवेदनों की संवीक्षा करेगी और कोई आवेदन, जो किसी भी रूप में अपूर्ण पाया जाता है या जहां आवेदक पात्रता या अर्हता मानदंड को पूरा नहीं करता है, को परिषद् द्वारा आवेदक को केंद्रीय सरकार को चिन्हित प्रति के साथ संवीक्षा के दौरान आवेदन में पाई गई त्रुटियों को इंगित करते हुए तथा आवेदक को ऐसी त्रुटियों को अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर दूर करने का अवसर प्रदान करते हुए लौटाया जाएगा।

(3) वह आवेदन, जो पूर्ण पाए जाते हैं या जहां आवेदक नियम 4 और नियम 5 के अधीन मानदंड को पूरा करता है, को अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित परिषद् की कार्यपालक समिति के समक्ष रखा जाएगा, जो इन नियमों और पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानकों के अधीन उपदर्शित अपेक्षाओं के आधार पर उक्त आवेदनों की जांच करेगी।

(4) आवेदन की जांच पर यदि कार्यपालक समिति यह विनिश्चय करती है कि वह पशु चिकित्सा महाविद्यालय के भौतिक निरीक्षण को संचालित करने के लिए एक उपयुक्त मामला है तो वह उतनी संख्या में निरीक्षकों को, जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय के निरीक्षण के लिए अधिनियम की धारा 19 और पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानकों के अधीन तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (निरीक्षक और आगन्तुक) विनियम, 1991 के उपबंधों के अनुसार उचित समझे, तैनात करेगी।

(5) जहां परिषद् की यह राय है कि आवेदन को भौतिक निरीक्षण संचालित किए बिना अस्वीकार किया जाएगा तो वह पर्याप्त कारण देते हुए आवेदन को अस्वीकार करेगी और आवेदक को ऐसे कारणों से संसूचित करेगी तथा उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को देगी।

(6) निरीक्षण पूरा होने के पश्चात् निरीक्षक पशु चिकित्सा शिक्षा के मानकों की पर्याप्तता, जिसके अंतर्गत अवसंरचना, कर्मचारिवृंद, उपस्कर, आवास, प्रशिक्षण और पशु चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएं हैं, की एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे परिषद् की कार्यपालक समिति को प्रस्तुत करेंगे।

(7) कार्यपालक समिति उपनियम (6) में वर्णित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् उक्त रिपोर्ट की एक प्रति ऐसी अभ्युक्तियों, जो आवश्यक हों, के साथ उक्त रिपोर्ट की अंतर्वस्तु पर टिप्पणियों की ईप्सा करते हुए आवेदक को भेजेंगे और निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति परिषद् द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय को भी अग्रेषित की जाएगी।

(8) परिषद्, पशु चिकित्सा महाविद्यालय से टिप्पणियों के प्राप्ति के पश्चात् उपनियम (6) में वर्णित निरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कार्यपालक समिति की अभ्युक्तियों को तथा आवेदक से प्राप्त टिप्पणियों को केंद्रीय सरकार को इस सिफारिश के साथ अग्रेषित करेगी कि क्या आवेदक को आशय पत्र जारी किया जाना चाहिए या नहीं।

(9) जहां परिषद् केंद्रीय सरकार को आशय पत्र जारी करने की सिफारिश करती है वहां वह अपनी सिफारिश के साथ ऐसी अन्य अपेक्षाओं को भी विनिर्दिष्ट करेगी जिनको केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदक के पक्ष में अनुज्ञा पत्र अनुदत्त करने से पूर्व आवेदक द्वारा पूरा करने की आवश्यकता है या ऐसी चुटियां, जिनको दूर करने की आवश्यकता है।

(10) जहां परिषद् केंद्रीय सरकार को आवेदक को आशय पत्र जारी करने के विरुद्ध सिफारिश करती है, तो वह ऐसी सिफारिश के लिए अपने कारणों को लिखित में प्रस्तुत करेगी और केंद्रीय सरकार परिषद् से तत्प्रतिकूल सिफारिश के बावजूद आशय पत्र जारी करने का विनिश्चय कर सकेगी।

(11) केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आशय पत्र में, अन्य बातों के साथ, ऐसी अतिरिक्त अपेक्षाओं या खामियों के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जो परिषद् द्वारा किन्हीं अन्य शर्तों या उपांतरणों, जिसके अंतर्गत इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित नियम 4 के खंड (i) और खंड (ii) के अधीन नहीं आने वाले आवेदकों द्वारा बैंक प्रतिभूति प्रस्तुत करना है, जैसा कि केंद्रीय सरकार आशय पत्र अनुदत्त करने के लिए अधिरोपित करना उचित समझे, संसूचित किए जाएंगे :

परंतु नियम 4 के खंड (i) और खंड (ii) के अधीन आने वाले आवेदकों को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वह, यथास्थिति, संबंधित विश्वविद्यालय से और संबंधित राज्य के मुख्य सचिव या संबंधित मंत्र राज्य क्षेत्र के समतुल्य अधिकारी से सभी समय पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय में पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानक की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए एक वचनबंध प्रस्तुत करेंगे और आशय पत्र की एक प्रति केंद्रीय सरकार द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय की परिषद् को भी अग्रेषित की जाएगी।

(12) आवेदक से केंद्रीय सरकार को आशय पत्र की लिखित स्वीकृति संसूचित करने की अपेक्षा होगी, जिसके साथ इस बात का दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न होगा कि आवेदक, यथास्थिति, आशय पत्र या वचनबंध में, आवेदक के शासी निकाय के किसी सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप में उपदर्शित शर्तों को पूरा करता है और आवेदक से प्राप्त स्वीकृति को केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् को केंद्रीय सरकार को आवेदक को अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में समुचित सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए उसके विचारण के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

(13) आशय पत्र या लिखित वचनबंध में अधिकथित शर्तों को पूरा करने की शर्त के अधीन रहते हुए शर्तों को पूरा करने के लिए और उपांतरणों तथा आशय पत्र में अंतर्विष्ट अन्य अतिरिक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए और यथा अपेक्षित बैंक प्रतिभूति (यदि लागू हो) को प्रस्तुत करने के लिए परिषद् केंद्रीय सरकार को आवेदक को अनुज्ञा पत्र अनुदत्त करने के लिए या अन्यथा अपनी लिखित सिफारिशें भेजेगी और ऐसी सिफारिश में आवेदक द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित पशु चिकित्सा महाविद्यालय में पहले दो शैक्षिक वर्षों के लिए आवेदक को अनुज्ञात स्थानों की संख्या भी सम्मिलित होगी।

(14) केंद्रीय सरकार परिषद् की सिफारिश पर इन नियमों के अनुसार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में विद्यार्थियों को भर्ती करने के लिए आवेदक को अनुज्ञात करते हुए अनुज्ञा पत्र जारी कर सकेगी और अनुज्ञा पत्र की एक प्रति केंद्रीय सरकार द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय की परिषद् को भी अग्रेषित की जाएगी।

(15) जहां परिषद् आवेदक को अनुज्ञा पत्र अनुदत्त करने के विरुद्ध सिफारिशें करती हैं तो वह ऐसी सिफारिशों के लिए केंद्रीय सरकार को लेखबद्ध कारणों को पारेषित करेगी।

(16) यदि केंद्रीय सरकार अनुज्ञा पत्र जारी न करने का विनिश्चय करती है तो वह परिपद से प्राप्त सिफारिश के साथ अपने विनिश्चय को परिपद को और संबंधित विश्वविद्यालय को प्रति के साथ आवेदक को सूचित करेगी तथा ऐसा आवेदन करने के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति को आवेदक के पक्ष में निर्मुक्त कर दिया जाएगा। परंतु आवेदन के साथ आवेदक द्वारा संदत्त फीस को लौटाया नहीं जाएगा।

8. अनुज्ञा पत्र—(1) पहले अवसर पर अनुज्ञा पत्र पहले दो शैक्षिक वर्ष के लिए अनुदत्त किया जाएगा और पशु चिकित्सा महाविद्यालय को केवल पहले और दूसरे शैक्षिक वर्ष के लिए विद्यार्थियों को दाखिल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) अनुज्ञा पत्र का अनुदत्त किया जाना आवेदक द्वारा आशय पत्र में उपदर्शित अपेक्षाओं को पूरा किए जाने की शर्त के अधीन होगा और आवेदक के नियम 4 के खंड (i) और खंड (ii) के अधीन न आने पर दिल्ली में अवस्थित अनुसूचित बैंक में "भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्" के पक्ष में 5,00,00,000/- रुपए (केवल पाँच करोड़ रुपए) की बैंक प्रतिभूति प्रस्तुत की जाएगी और जो आरंभतः पाँच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी तथा तत्पश्चात् उक्त बैंक प्रतिभूति का आवेदक द्वारा वर्ष दर वर्ष विस्तार किया जाएगा और किसी भी समय उसका व्यपगत होना अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

(3) आवेदक के नियम 4 के खंड (i) और खंड (ii) के अधीन न आने की दशा में अनुज्ञा पत्र किसी अनुसूचित बैंक में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए पशु चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा दूसरे शैक्षिक वर्ष के दौरान नियोजन के लिए प्रस्तावित संकाय को संदेय प्राक्कलित वार्षिक वेतन की रकम के समतुल्य नियत जमा सृजित करने के पर्याप्त दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने के अधीन भी होगा।

9. अनुज्ञा पत्र का नवीकरण—

(1) अनुज्ञा पत्र द्वारा जारी अनुज्ञा का तीसरे और चौथे शैक्षिक वर्ष के लिए नवीकरण आवेदक द्वारा प्ररूप-1 में उसके आवेदन के एक भाग के रूप में यथा प्रस्तुत लक्ष्यों की प्रगति के साथ केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदक को जारी आशय पत्र में विनिर्दिष्ट किन्हीं लक्ष्यों के सत्यापन के अधीन होगा।

(2) अनुज्ञा पत्र के नवीकरण के लिए इन नियमों के अधीन सभी आवेदनों को अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार निपटाया जाएगा।

(3) आवेदक, सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को नवीकरण के लिए अनुज्ञा पत्र को उसके तीसरे शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ होने के समय से कम से कम एक वर्ष पूर्व प्ररूप -10 में आवेदन करेगा।

(4) प्ररूप - 10 में आवेदन करने से पूर्व आवेदक को,-

(i) उसके द्वारा प्ररूप 1 के साथ प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में यथा प्रक्षेपित सभी लक्ष्यों का अनुपालन करने के साथ आशय पत्र में विनिर्दिष्ट लक्ष्यों का अनुपालन करना होगा ;

(ii) तीसरे शैक्षिक वर्ष के लिए अपेक्षित शैक्षिक और गैर-शैक्षिक कर्मचारिवृंद की पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानक में यथाविनिर्दिष्ट मानक के अनुसार भर्ती करनी होगी और चौथे शैक्षिक वर्ष में कार्यान्वयन के लिए जल शक्ति भर्ती कार्यक्रम तैयार करेगा और नियम 4 के खंड (i) और खंड (ii) के अधीन न आने वाले आवेदकों की दशा में तीसरे शैक्षिक वर्ष के लिए शैक्षिक और गैर-शैक्षिक कर्मचारिवृंद की भर्ती करने के अतिरिक्त आवेदक से उसके आवेदन के एक भाग के रूप में प्ररूप-10 में आवेदन के एक भाग के रूप में किसी अनुसूचित बैंक में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए दूसरे शैक्षिक वर्ष के लिए शैक्षिक कर्मचारिवृंद को संदेय वेतन और अन्य फायदों की प्रकलित लागत के समतुल्य किसी रकम का एक नियत जमा सृजित करने का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा होगी ;

(5) केंद्रीय सरकार नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर उसे परिपद को अग्रेषित करेगी तथा परिपद आवेदन की संवीक्षा संचालित करने के पश्चात् उतनी संख्या में निरीक्षकों को, जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय के निरीक्षण के लिए अधिनियम की धारा 19 और पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानकों के अधीन तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (निरीक्षक और आगन्तुक) विनियम, 1991 के उपबंधों के अनुसार उचित समझे, नैनात करेगी।

- (6) निरीक्षकों द्वारा पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (निरीक्षक और आगन्तुक) विनियम, 1991 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाएगा, निरीक्षक पशु चिकित्सा शिक्षा के मानकों की पर्याप्तता, जिसके अंतर्गत अवसंरचना, कर्मचारिवृंद, उपस्कर, आवास, प्रशिक्षण और पशु चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएं हैं, की एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे परिषद् की कार्यपालक समिति को प्रस्तुत करेंगे।
- (7) कार्यपालक समिति उपनियम (6) में वर्णित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् उक्त रिपोर्ट की एक प्रति ऐसी अभ्युक्तियों, जो आवश्यक हों, के साथ उक्त रिपोर्ट की अंतर्वस्तु पर टिप्पणियों की ईप्सा करते हुए आवेदक को भेजेंगे और निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति परिषद् द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय को भी अग्रेषित की जाएगी।
- (8) परिषद्, आवेदक से टिप्पणियों को प्राप्त करने के पश्चात् उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट निरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कार्यपालक समिति की अभ्युक्तियों को तथा पशु चिकित्सा महाविद्यालय से प्राप्त टिप्पणियों को केंद्रीय सरकार को इस सिफारिश के साथ अग्रेषित करेगी कि क्या पशु चिकित्सा महाविद्यालय को आशय पत्र जारी किया जाना चाहिए या नहीं।
- (9) जहां परिषद् आवेदक को अनुज्ञा पत्र के नवीकरण के विरुद्ध सिफारिश करती है वह ऐसी सिफारिश के लिखित कारणों को केंद्रीय सरकार को परिचित करेगी।
- (10) यदि केंद्रीय सरकार अनुज्ञा का नवीकरण नहीं करने का विनिश्चय करती है तो वह परिषद् से प्राप्त सिफारिश के साथ अपने विनिश्चय से आवेदक को संसूचित करेगी, जिसकी प्रति परिषद् और संबंधित विश्वविद्यालय को दी जाएगी।
- (11) यदि परिषद् आवेदक को अनुज्ञा पत्र के नवीकरण की सिफारिश करती है, तो केंद्रीय सरकार आवेदक के पक्ष में अनुज्ञा का आवेदक को चिकित्सा महाविद्यालय के चौथे और पांचवें वर्ष में विद्यार्थियों को दाखिल करने की अनुज्ञा के साथ नवीकरण कर सकेगी और ऐसी नवीकरण की अनुज्ञा पत्र की प्रति केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् और संबंधित विश्वविद्यालय को भी अग्रेषित की जाएगी।
- (12) किसी पश्चातवर्ती शैक्षिक वर्ष के लिए पशु चिकित्सा महाविद्यालय को अनुज्ञा पत्र के नवीकरण न किए जाने की दशा में उक्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को इसमें इसके पश्चात् इन नियमों में यथा उपबंधित के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय को अंतरित कर दिया जाएगा।
- (13) यदि किसी पशु चिकित्सा महाविद्यालय की अनुज्ञा के नवीकरण के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है तो आवेदक उन त्रुटियों को दूर करने के पश्चात्, जिनके कारण नवीकरण के आवेदन का अस्वीकार किया जाना कारित हुआ था, फिर से आवेदन कर सकेगा और पशु चिकित्सा महाविद्यालय को पश्चातवर्ती प्रक्रम पर विद्यार्थियों को दाखिल करने की अनुज्ञा अनुदत्त किए जाने पर उस मामले को एक नया मामला माना जाएगा और केवल ऐसे विद्यार्थियों पर, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञा अनुदत्त या नवीकरण अनुदत्त किए जाने के पश्चात् दाखिल किया गया था, मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता प्रदान किए जाने के लिए विचार किया जाएगा और आवेदक को उस विश्वविद्यालय, जिससे वह संबद्ध है, से इस प्रभाव का एक वचनबंध प्राप्त करना होगा।

10. पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अर्हता को पहली अनुसूची में शामिल किए जाने के द्वारा मान्यता अनुदत्त करना—

- (1) किसी अनंतिम रूप से मान्यता प्रदान किए गए पशु चिकित्सा महाविद्यालय से सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को विनिर्दिष्ट प्ररूप 11 में चौथे शैक्षिक वर्ष के अनुसूचित प्रारंभ से कम से कम एक वर्ष पूर्व पहली अनुसूची ("अंतिम मान्यता के लिए आवेदन") में उसको शामिल किए जाने के लिए आवेदन करना होगा।
- (2) अंतिम मान्यता के लिए आवेदन के साथ एक परियोजना रिपोर्ट होगी, जो यह उपदर्शित करेगी कि उक्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय में पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानक में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाएं, जनशक्ति और उपस्कर हैं तथा ऐसे अन्य दस्तावेज, जो प्ररूप 11 में विनिर्दिष्ट किए जाएं, होंगे और अंतिम मान्यता के लिए आवेदन को अनुसूची 4 के अनुसार निपटाया जाएगा।

- (3) नवीकरण आवेदन की संवीक्षा और जांच पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए निरीक्षकों की तैनाती, पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण, परिषद् द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार, निरीक्षण रिपोर्ट को संबंधित पशु चिकित्सा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को भेजा जाना, निरीक्षण रिपोर्ट पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय से प्राप्त टिप्पणियों के लिए नियम 9 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया आवश्यक उपांतरणों के साथ नियम 10 में अंतिम मान्यता के लिए किए गए आवेदन को लागू होगी।
- (4) निरीक्षण रिपोर्ट पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा की गई टिप्पणियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् परिषद् निरीक्षण रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय से प्राप्त टिप्पणियों तथा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन उसकी सिफारिश की क्या पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अर्हता को पहली अनुसूची में शामिल किया जाए या नहीं, को केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगी और जहां परिषद् पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अर्हता को पहली अनुसूची में शामिल करने के विरुद्ध सिफारिश करती है तो वह ऐसी सिफारिश करने के कारणों का लिखित कथन करेगी।
- (5) केंद्रीय सरकार परिषद् से प्राप्त सिफारिश के आधार पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अर्हता दोनों को पहली अनुसूची में सम्मिलित कर सकेगी और पशु चिकित्सा महाविद्यालय को मान्यता का प्रमाण पत्र जारी करेगी और मान्यता के ऐसे प्रमाणपत्र की एक प्रति केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् और संबंधित विश्वविद्यालय को भी अग्रेषित की जाएगी।
- (6) यदि केंद्रीय सरकार का यह मत है कि अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन किसी पशु चिकित्सा अर्हता को अनुदत्त नहीं किया जाना चाहिए तो वह ऐसे इंकार के कारणों को अभिलिखित करेगी और लिखित में आवेदक या पशु चिकित्सा महाविद्यालय को परिषद् और संबंधित विश्वविद्यालय को प्रति भेजने के साथ संसूचित करेगी।
- (7) यदि केंद्रीय सरकार पशु चिकित्सा महाविद्यालय को मान्यता अनुदत्त न करने का विनिश्चय करती है तो ऐसे पशु चिकित्सा महाविद्यालय महाविद्यालय के विद्यार्थियों को जैसा कि इन नियमों में इसके पश्चात् उपबंधित है, किसी मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- (8) को दाखिला क्षमता में वृद्धि अनुदत्त नहीं की जाएगी तो ऐसे इंकार के कारणों को अभिलिखित किया जाएगा और लिखित में आवेदक या पशु चिकित्सा महाविद्यालय को और परिषद् तथा संबंधित विश्वविद्यालय को प्रति भेजने के साथ संसूचित करेगी।

11. चरणवार अपेक्षाएं—इन नियमों के अधीन मान्यता की ईप्सा करने वाला आवेदक पशु चिकित्सा महाविद्यालय में विभिन्न चरणों में न्यूनतम भौतिक सुविधा सृजित करेगा और न्यूनतम जनशक्ति नियुक्त करेगा जैसा कि अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट है।

भाग 4

मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानों को बढ़ाने के लिए आवेदन

12. मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानों को बढ़ाने के लिए आवेदन—(1) किसी मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था के विस्तार या मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए या दोनों के लिए आवेदन प्रारूप-12 में ऐसी फीम और अन्य दस्तावेज जो इन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं के साथ सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) उपनियम 1 के अधीन आवेदन के साथ प्रारूप-12 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ जहां लागू हो एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संलग्न होगी जिसमें भवन, कार्यक्रम शैक्षिक कार्यक्रम कार्यशील कार्यक्रम उपस्कर कार्यक्रम और जनशक्ति कार्यक्रम समृद्ध जीने आवेदक विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संख्या के लिए आवश्यक सुविधाओं का उपबंध करने के लिए कार्यान्वित करने की आशा करता है।

13. मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिले की क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अर्हक मानदंड— कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अपनी दाखिले की क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवेदन करने के लिए अर्हक होगा यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थात् :-

(क) आवेदक ने यथास्थिति संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से विनिर्दिष्ट प्रारूप में विद्यमान मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिले की क्षमता में प्रस्तावित क्षमता तक वृद्धि के लिए साध्यता और वांछनीयता के संबंध में अनिवार्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त कर लिया है ;

(ख) आवेदक ने संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से संबंधित पशु चिकित्सा महाविद्यालय की दाखिले की क्षमता में प्रस्तावित क्षमता तक वृद्धि के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिप्राप्त कर लिया है ;

(ग) आवेदक ने संबद्ध विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा महाविद्यालय की दाखिले की क्षमता में प्रस्तावित क्षमता तक वृद्धि के लिए सहमति प्रमाण पत्र अभिप्राप्त कर लिया है ;

(घ) आवेदक के पास आवश्यक वित्तीय क्षमताएं हैं जैसा कि पशु चिकित्सा महाविद्यालय को बढ़ी हुई दाखिला क्षमता के साथ अनुरक्षित करने के लिए पिछले 3 वर्ष के वार्षिक विवरण और लेखाओं द्वारा प्रदर्शित होता है ;

(ङ) पशु चिकित्सा शिक्षा विनियम के न्यूनतम मानक के अधीन यथा विनिर्दिष्ट आकार की समुचित भूमि जिसमें विद्यार्थियों की बढ़ी हुई प्रस्तावित संख्या के संबंध में जैसा कि पशु चिकित्सा शिक्षा विनियम के न्यूनतम मानक के अधीन विनिर्दिष्ट है, सभी संरचनाएं और सभी सुविधाएं समाविष्ट हो सके आवेदक के स्वामित्व और कब्जे में होनी चाहिए या आवेदक द्वारा संबंधित सरकार या संबंधित अभिकरण से 30 वर्ष या अधिक के पट्टे के अधीन और यथास्थिति उक्त भूमि यह पट्टा आवेदक के नाम सम्यकता रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए और सभी अवसंरचना सुविधाएं सिवाय अनुदेशात्मक पशुधन फार्म परिसर के एक एकल सतत भूमि का प्लॉट होगा ।

परंतु पशु चिकित्सा महाविद्यालय, जिसके अंतर्गत पशु चिकित्सा चिकित्सालय या पशु चिकित्सा नैदानिक परिसर तथा अनुदेशिक पशु धन, फार्म परिसर भी है, के संनिर्माण, स्थापना, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए सभी अनुज्ञा, जो आवश्यक हो, सक्षम सरकारी अभिकरण से प्राप्त कर ली गई हैं ।

(च) पशु चिकित्सा महाविद्यालय में आवेदक द्वारा दाखिले की क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सन्निर्माण की जाने वाली अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाएं जैसा कि पशु चिकित्सा शिक्षा विनियम के न्यूनतम मानक के अधीन उपदर्शित है, को वास्तुविद अधिनियम, 1972 (1972 का 20) के अधीन गठित वास्तुविद परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत किसी वास्तुविद द्वारा तैयार की गई होंगी तथा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा यथा अभिहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यकतः अनुमोदित किया जाएगा ;

14. मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता का प्रस्ताव करने वाला पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था की दाखिला क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन के मूल्यांकन की प्रक्रिया-

(1) विनिर्दिष्ट फीस के साथ विनिर्दिष्ट प्रारूप में दाखिला क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, केंद्रीय सरकार ऐसी आवेदन को मूल्यांकन और सिफारिशों के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर परिषद् को निर्दिष्ट करेगी ।

(2) अनुज्ञा पत्र के नवीकरण की संवीक्षा और जांच पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए निरीक्षकों की तैनाती, पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण, परिषद् द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार, निरीक्षण रिपोर्ट को संबंधित पशु चिकित्सा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को भेजा जाना, निरीक्षण रिपोर्ट पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय से प्राप्त टिप्पणियों के लिए नियम 9 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया आवश्यक उपांतरणों के साथ नियम 12 के अधीन दाखिला क्षमता में वृद्धि के लिए किए गए आवेदन को लागू होगी ।

(3) निरीक्षण रिपोर्ट पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा की गई टिप्पणियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् परिषद् निरीक्षण रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय से प्राप्त टिप्पणियों तथा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन उसकी सिफारिश कि क्या आवेदक पशु चिकित्सा महाविद्यालय की दाखिला क्षमता में वृद्धि की अनुज्ञा दी जाए या नहीं, को केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगी और जहां परिषद् अनुज्ञा अनुदत्त नहीं करने की सिफारिश करती है तो वह ऐसी सिफारिश करने के कारणों का लिखित कथन करेगी ।

(4) केंद्रीय सरकार परिषद् में प्राप्त सिफारिश के आधार पर मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय को दाखिला क्षमता में वृद्धि करने के लिए अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी करके जिसकी प्रति परिषद् और संबंधित विश्वविद्यालय को भेजी जाएगी।

(5) यदि केंद्रीय सरकार का यह मत है कि मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय को दाखिला क्षमता में वृद्धि अनुदान नहीं की जाएगी तो ऐसे इंकार के कारणों को अभिलिखित किया जाएगा और लिखित में आवेदक या पशु चिकित्सा महाविद्यालय को और परिषद् तथा संबंधित विश्वविद्यालय को प्रति भेजने के साथ संसूचित करेगी।

15. फीस- प्ररूप-1, प्ररूप -10, प्ररूप -11 और प्ररूप -12 में आवेदनों के साथ एक लाख रुपये की फीस संलग्न होगी और फीस को भारतीय चिकित्सा परिषद् के नाम नई दिल्ली में संदेय मांगदेय पत्र के माध्यम से जमा किया जा सकेगा और नियम 4 के खंड (i) और खंड(ii) के अधीन आने वाले आवेदकों को ऐसी आवेदन फीस से छूट होगी

भाग 5

सलाहकार समिति

16. सलाहकार समिति (1) इन नियमों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि परिषद् इन नियमों में यथा अपेक्षित विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई सिफारिश करने में असफल रहती है तो किसी शैक्षिक वर्ष के लिए पशु चिकित्सा अर्हता या पशु पशु चिकित्सा महाविद्यालय की मान्यता के प्रयोजन के लिए जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची में पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अर्हता को शामिल करना या किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिले की क्षमता में वृद्धि के संबंध में सिफारिश सम्मिलित है, तो केंद्रीय सरकार विशेषज्ञों और डेलीगेटों से मिलकर बनने वाली एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगी सलाहकार समिति के कर्तव्य पशु चिकित्सा महाविद्यालयों का निरीक्षण करना और केंद्रीय सरकार को इन नियमों के अधीन सिफारिश करना है

(2) उपनियम 1 में निर्दिष्ट सलाहकार समिति निम्नलिखित सदस्य से मिल कर बनेगी, अर्थात्:-

- (i) महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जानेवाला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक सदस्य;
- (ii) दो विश्वविद्यालयों के उपकुलपति या जिनसे संबद्ध पशु चिकित्सा महाविद्यालयों जिनको पहली अनुसूची में शामिल किया गया है जिनको केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा
- (iii) किसी पशु चिकित्सा महाविद्यालय का डीन या एसोसिएट डीन ;
- (iv) संबंधित राज्य सरकार के पशुपालन विभाग का प्रधान सचिव या सचिव, या उसका नाम निर्देशिती जो निदेशक किया आयुक्त या महानिदेशक के रैंक से नीचे नहीं होगा;

(3) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सलाहकार समिति के पास परिषद् में विहित सभी शक्तियां होगी जो उसे उसके कर्तव्य के निर्वहन में समर्थ बना सकें जिसके अंतर्गत यदि वह आवश्यक समझे तो केंद्रीय सरकार को अपेक्षित सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए संबंधित पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण करने के लिए इतनी संख्या में पशु चिकित्सा निरीक्षक नियुक्त करने की शक्ति है जितना मैं उचित समझे।

(4) सलाहकार समिति द्वारा नियुक्त पशु चिकित्सा निरीक्षकों को अधिनियम की धारा 19 तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (निरीक्षक और आगंतुक) विनियम 1991 के अधीन परिषद् द्वारा नियुक्त पशु चिकित्सा निरीक्षकों के सभी अधिकार और कर्तव्य होंगे।

(5) यदि किसी विशिष्ट मामले में परिषद् द्वारा पहले ही निरीक्षण कर लिया गया है और उसकी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है तो सलाहकार परिषद् नया निरीक्षण संचालित करने के स्थान पर विद्यमान निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सरकार को अपनी सिफारिश करेगी और यदि सलाहकार समिति आवश्यक समझती है तो वह पशु चिकित्सा निरीक्षकों ऐसे स्पष्टीकरण देने के लिए समन कर सकती है जो केंद्रीय सरकार को सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हों।

(6) ऐसी सलाहकार समिति की सिफारिशों का बड़ी प्रभाव होगा जो परिषद् की किसी सिफारिश का केंद्रीय सरकार पर होता है।

(7) उपनियम 1 के अधीन विनिर्दिष्ट उसकी सिफारिश के पश्चात सलाहकार समिति का विघटन कर दिया जाएगा।

(8) केंद्रीय सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति के ऐसे सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें भारत सरकार के अविभाजी साधारण वित्तीय नियमों के अनुसार होंगी।

भाग 6

निरीक्षण

17. पहले ही पहली अनुसूची में सम्मिलित पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्थाओं का निरीक्षण. (1) पशु चिकित्सा संस्थाएं या पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अर्हता जो पहले ही पहली अनुसूची में सम्मिलित है का समय समय पर परिषद द्वारा अधिनियम की धारा 19 या धारा 20 के उपबंधों के अनुसरण में और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (निरीक्षक और आगंतुक) विनियम 1991 के अनुसार यह के लिए निरीक्षण किया जाएगा कि क्या इन नियमों और पशु चिकित्सा शिक्षा विनियम उनके न्यूनतम मानकों का अनुपालन किया जा रहा है।

(2) निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण संचालित किए जाने की दशा में निरीक्षण रिपोर्ट को परिषद की कार्यपालक समिति के समक्ष रखा जाएगा, और आगंतुकों द्वारा निरीक्षण की दशा में निरीक्षण रिपोर्ट को गोपनीय रूप से परिषद के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) यदि निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात परिषद का यह निष्कर्ष होता है कि परिषद द्वारा निरीक्षण की गई पशु चिकित्सा संस्था या पशु चिकित्सा महाविद्यालय के संबंध में अधिनियम की धारा 21 की उपधारा 1 के खंड का और उपधारा 2 में अधिकथित परिस्थितियां विद्यमान हैं तो परिषद केंद्रीय सरकार को इस प्रभाव का अभ्यावेदन करेगी।

(4) यदि ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात केंद्रीय सरकार का यह निष्कर्ष होता है कि यह एक उचित मामला है तो वह परिषद से अभ्यावेदन प्राप्त करने की तारीख से 30 दिन के भीतर अग्रिम कार्रवाई के लिए उस राज्य के जिसमें पशु चिकित्सा महाविद्यालय पशु चिकित्सा संस्थान अवस्थित है, सचिव, पशुपालन विभाग के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार को उक्त आवेदन को भेजेगी।

(5) संबंधित राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से आवेदन प्राप्त करने के 30 दिन के भीतर ऐसी अभियुक्तियों जो वह करने का चयन करें के साथ उक्त अभ्यावेदन को संबंधित पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सक संस्था से राज्य सरकार को उक्त अभ्यावेदन को राज्य सरकार से प्राप्त करने के 30 दिन के भीतर अपने स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करने की अपेक्षा के साथ संबंधित पशु चिकित्सा महाविद्यालय पशु चिकित्सा संस्था को अग्रप्रेषित करेगी।

(6) स्पष्टीकरण के प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर या इसमें उपर नियम 5 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत ना करने पर उस अवधि की समाप्ति पर राज्य सरकार केंद्रीय सरकार को संबंधित पशु चिकित्सा महाविद्यालय पशु चिकित्सा संस्था की मान्यता को समाप्त करने के संबंध में अपनी सिफारिश करेगी।

(7) राज्य सरकार से सिफारिश प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर केंद्रीय सरकार यदि वह उचित समझे संबंधित पशु चिकित्सा महाविद्यालय पशु चिकित्सा संस्था के मानकों की जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन करेगी और इस नियम के अधीन गठित जांच समिति अपने गठन के 21 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(8) केंद्रीय सरकार जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की शर्त के अधीन रहते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि संबंधित पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था के विरुद्ध समुचित अनुसूची में एक प्रविष्टि करेगी की संबंधित महाविद्यालय पशु चिकित्सा संस्था द्वारा केवल विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व विद्यार्थियों को अनुदत्त पशु चिकित्सा अर्हता ही मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता होगी :

परंतु या और की ऐसी अधिसूचना जारी करने से पूर्व केंद्रीय सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से परामर्श करेगी :

परंतु केंद्रीय सरकार ऐसी अधिसूचना कोई जांच समिति गठित किए बिना भी जारी कर सकेगी यदि उसकी या राय है कि संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त सिफारिश डम प्रयोजन के लिए प्रयास है।

(9) केंद्रीय सरकार द्वारा उपनियम (8) के अधीन जारी अधिसूचना की प्रतियां, परिषद्, संबंधित राज्य सरकार, संबंधित पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था और संबंधित विश्वविद्यालय को अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 3 दिन के भीतर भेजी जाएगी।

भाग 7

पशु चिकित्सा महाविद्यालय पशु चिकित्सा संस्था जिस की मान्यता समाप्त कर दी गई है कि मान्यता की पुनः बहाली

18. पशु चिकित्सा महाविद्यालय पशु चिकित्सा संस्था जिस की मान्यता समाप्त कर दी गई है कि मान्यता की पुनः बहाली- किसी ऐसी पशु चिकित्सा संस्था या पशु चिकित्सा महाविद्यालय को किसी भी शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों को दाखिल करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी मान्यता या उसके द्वारा अनुभव किसी भी पशु चिकित्सा आहर्ता की मान्यता को पुनः बहाल नहीं कर दिया जाता है।

(1) किसी पशु चिकित्सा संस्था या पशु चिकित्सा महाविद्यालय इसकी मान्यता समाप्त कर दी गई है द्वारा मान्यता की पुनः बहाली के लिए आवेदन सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को विस्तृत रिपोर्ट के साथ एक शपथ पत्र के माध्यम से ऐसे दस्तावेजों जो उस त्रुटि को दूर करने के लिए आवश्यक हो जिनके आधार पर मान्यता समाप्त हुई थी के साथ किया जाएगा तथा पूर्व वर्णित शपथपत्र पर पशु चिकित्सक संस्था या पशु चिकित्सा महाविद्यालय के शासी निकाय के इस निमित्त सम्यकता प्राधिकृत सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) पशु चिकित्सा संस्था या पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिसकी मान्यता समाप्त कर दी गई है से आवेदन की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो नियम 10 में यथा विनिर्दिष्ट पहली अनुसूची में किसी पशु चिकित्सा महाविद्यालय को मान्यता अनुदान करने के लिए लागू होती है।

परंतु संबंधित राज्य सरकार या विश्वविद्यालय किसी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित पशु चिकित्सा संस्थाओं या पशु चिकित्सा महाविद्यालय की दिशा में मान्यता की पुनः बहाली के लिए उक्त आवेदन को यथास्थिति, संबंधित राज्य सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा और त्रुटियों को दूर किया गया है के निमित्त एक विस्तृत रिपोर्ट को सम्यकता अभिप्रमाणित करते हुए आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

19. विद्यार्थियों का स्थानांतरण (1) यदि कोई पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिसकी मान्यता समाप्त कर दी गई है अगले तुरंत शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ होने से कम से कम 3 माह पूर्व अपनी मान्यता को बहाल करने में असमर्थ रहता है तो उसमें पहले ही दाखिल किए गए विद्यार्थियों का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा समुचित परीक्षा संचालित करके ऐसे मूल्यांकन परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, विद्यार्थियों को उसी विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी अन्य मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था में केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से पशु चिकित्सा अर्हता अनुदित करके परिषद् द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा:

परंतु यदि किसी विश्वविद्यालय के उस से संबंध कोई अन्य पशु चिकित्सा महाविद्यालय पशु चिकित्सा संस्था नहीं है तो ऐसे पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिस की मान्यता समाप्त कर दी गई है के विद्यार्थियों को उसी राज्य जिसमें हुआ पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है जिसकी मान्यता समाप्त कर दी गई है में मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता अनुरोध करने वाले मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

परंतु यह और कि यदि राज्य के भीतर कोई अन्य पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था नहीं है तो परिषद् विद्यार्थियों को देश में मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा आहर्ता प्रदान करने वाले किसी अन्य मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था में स्थानांतरित करने के लिए सशक्त होगी

परंतु यह भी कि पशु चिकित्सा संस्था या पशु चिकित्सा महाविद्यालय उनकी स्वीकृत संख्या से 15% से अधिक विद्यार्थियों को दाखिल करने की बाध्यता के अधीन होंगे और तदनुसार ऐसे पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था में सतत् शैक्षिक वर्ष में दाखिल के लिए उपलब्ध स्थानों की संख्या को इस नियम के अधीन दाखिल किए गए विद्यार्थियों की संख्या से घटा दिया जाएगा

(2) ऐसे पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिसकी मान्यता समाप्त कर दी गई है को उस समय तक बहाल नहीं किया जाता है की उस में दाखिल विद्यार्थियों को किसी ऐसे अन्य पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था जो मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता प्रदान करती है में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है तो परिषद द्वारा केंद्रीय सरकार की पूर्व आरोग्य से उसके द्वारा प्रस्तुत बैंक प्रतिभूति को भुना लिया जाएगा और इन नियमों के अधीन विद्यार्थियों को स्थानांतरित करने की लागत को केंद्रीय सरकार के पर्यवेक्षण के अधीन उक्त बैंक प्रतिभूति के नकदीकरण से वसूला जाएगा

(3) विद्यार्थियों को स्थानांतरित करने के संबंध में उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबंध अंतिम रूप से मान्यता प्रदान किए गए पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिसको अनुदित किए गए अनुज्ञापत्र का यदि नवीकरण नहीं किया जाता है या जिसको केंद्रीय सरकार द्वारा अंतिम मान्यता प्रदान करने से इंकार कर दिया जाता है, को भी लागू होंगे।

[फा. सं. के-12052-5(5251)/3/2017-एलएच]

मिहिर कुमार सिंह, मंयुक्त सचिव

अनुसूची-1

क्रम संख्या	निपटाने का स्तर	अंतिम तारीख
1	केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदनों की प्राप्ति	31 अगस्त तक
2	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा केंद्रीय सरकार से आवेदन की प्राप्ति	15 सितंबर तक
3	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा आवेदन की संवीक्षा और केंद्रीय सरकार को एक प्रति भेजने के साथ त्रुटिपूर्ण पाए गए आवेदनों को आवेदक को वापस लौटाना	1 अक्टूबर तक
4	आवेदक द्वारा त्रुटियों को दूर करने के पश्चात आवेदन को पुनः प्रस्तुत करना	15 अक्टूबर तक
5	आशय पत्र जारी करने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की केंद्रीय सरकार को सिफारिशें	15 दिसंबर तक
6	केंद्रीय सरकार द्वारा आशय पत्र जारी करना	1 जनवरी तक
7	केंद्रीय सरकार को अनुज्ञा पत्र के लिए अनुरोध करते हुए आवेदक के उत्तर की प्राप्ति	30 जनवरी तक
8	केंद्रीय सरकार से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा आशय पत्र पर आवेदक के उत्तर की प्राप्ति	15 फरवरी तक
9	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की केंद्रीय सरकार को अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए सिफारिश	15 मार्च तक
10	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी करना	31 मार्च तक

अनुसूची-2**1. पशु चिकित्सा महाविद्यालय की मान्यता के लिए आवेदक द्वारा प्ररूप-1 में आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व न्यूनतम अपेक्षाएं**

(क) आवेदक के पास 15 एकड़ से अन्तून भूमि होनी चाहिए चाहे स्वामित्व के माध्यम से या सरकार से या सरकारी अभिकरण से 30 वर्ष या अधिक के पट्टे पर हो, जिसे पशु चिकित्सा महाविद्यालय के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए जिसमें से न्यूनतम 5 एकड़ को चारा उत्पादन के लिए चिन्हित किया गया हो

(ख) पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पास एक प्रशासनिक खंड होगा जिसमें निम्नलिखित सुविधाएं होंगी, अर्थात्:-

- (i) संबंध प्रसाधन कक्ष के साथ डीन या प्रधानाध्यापक का कक्ष
- (ii) वैयक्तिक कर्मचारी वृंद कक्ष
- (iii) ममिति कक्ष
- (iv) आगंतुक कक्ष
- (v) शैक्षिक, लेखा और स्थापना अनुभागों के लिए कार्यालय कक्ष
- (vi) अभिलेख कक्ष
- (vii) केंद्रीय भंडार कक्ष
- (viii) आगंतुकों और कर्मचारी वृंद के लिए प्रसाधन सुविधाएं
- (ix) टाईपिंग, डुप्लीकेटिंग और फोटोकॉपी सुविधाएं

(ग) पशु चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित की भर्ती की गई होगी, अर्थात् :-

डीन या प्रधानाध्यापक	1
डीन या प्रधानाध्यापक के वैयक्तिक सहायक या वैयक्तिक सचिव	1
शैक्षिक सहायक	1
लेखापाल	1
स्थापना सहायक	1
कम्प्यूटर प्रचालक	1
पुस्तकालय सहायक	1
बहुकार्य कर्मचारी वृंद	1
ड्राइवर	2
इलैक्ट्रिशियन	1
पलम्वर	1
माली	1
चपरासी या संदेशवाहक	2
सफाई कर्मचारी	4

(घ) उपरोक्त के अतिरिक्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय में निम्नलिखित आम सुविधाएं होंगी अर्थात्:-

- (i) पर्याप्त पुस्तकों से सुसज्जित महाविद्यालय पुस्तकालय, जर्नल और आवधिक पत्रिकाएं, रिपरोग्राफिक और डुप्लिकेट सुविधाएं, इंटरनेट कनेक्टिविटी और अध्ययन कक्ष तथा बैठने का पर्याप्त स्थान
- (ii) एक सभागार जिसमें न्यूनतम 300 लोगों के बैठने की सुविधा हो

(iii) कैटीन

(iv) एक सभागार कक्ष जिसमें मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन सिस्टम हो और कम से कम उन लोगों के बैठने की क्षमता हो

(v) श्रव्य-दृश्य प्रोजेक्शन सिस्टम से युक्त दो व्याख्यान कक्ष जिसमें न्यूनतम 100 लोगों के बैठने की प्रत्येक में क्षमता हो

(vi) डिस्टिलेशन या डीआईओनाइजर संयंत्र

(vii) पेयजल सुविधा

(viii) क्रीडास्थल जिसमें गेम और क्रीडा सुविधाएं जिसके अंतर्गत इंडोर गेम्स सुविधाएं हैं

(ix) कॉमन रूम, मैस के साथ बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावास

(x) परिवहन सुविधाएं जिसके अंतर्गत बस, मिनी बस, स्टाफ कार, एंबुलेटरी वैन, और सचल नैदानिक इकाई भी है

(xi) केंद्रीय कंप्यूटर प्रयोगशाला

(xii) सभी सुविधाओं के साथ फोटोग्राफी इकाई

(ड) भवनो, जनशक्ति और उपज करो से संबंधित ऐसी आवश्यकताओं के अनुसार एम एस वी ई विनियमों में यथा उपदर्शित निम्नलिखित विभागों को पशु चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित किया गया होगा और पर्याप्त शिक्षक संकाय की भर्ती की गई होगी:

(i) पशु चिकित्सा एनाटॉमी

(ii) पशु चिकित्सा फिजियोलॉजी और जीव रसायन

(iii) पशुधन उत्पादन प्रबंधन

(iv) पशु चिकित्सा नैदानिक परिसर

(v) अनुदेशात्मक पशुधन फार्म परिसर

2. अनुज्ञापत्र के नवीकरण के लिए प्ररूप 10 में आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व न्यूनतम अपेक्षाएं:

केन्द्रीय सरकार को अनुज्ञापत्र के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व भवनो, जनशक्ति और उपस्करों से संबंधित ऐसी आवश्यकताओं के अनुसार एम एस वी ई विनियमों में यथा उपदर्शित निम्नलिखित विभागों को पशु चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित किया जाएगा और पर्याप्त शिक्षक संकाय की भर्ती की गई होगी:

(क) पशु चिकित्सा पैथोलॉजी

(ख) पशु चिकित्सा माइक्रोबायोलॉजी

(ग) पशु आनुवांशिकी और प्रजनन

(घ) पशु पोषण

3. पशु चिकित्सा महाविद्यालय को अंतिम मान्यता देने से पहले प्ररूप 11 में आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व न्यूनतम अपेक्षाएं

केन्द्रीय सरकार को पशु चिकित्सा महाविद्यालय की अंतिम मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व पशु चिकित्सा महाविद्यालय में निम्नलिखित विभागों की स्थापना की जाएगी और भवनो, जनशक्ति और उपस्करों से संबंधित ऐसी आवश्यकताओं के अनुसार एम एस वी ई विनियमों में यथा उपदर्शित निम्नलिखित विभागों को पशु चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित किया गया होगा और पर्याप्त शिक्षक संकाय की भर्ती की गई होगी:

(क) पशु चिकित्सा फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी

(ख) पशु चिकित्सा पेरामिटोलॉजी

(ग) पशु चिकित्सा जन स्वास्थ्य और एपिडेमियोलॉजी

(घ) पशुधन उत्पादन प्रौद्योगिकी

(ङ) पशु चिकित्सा और पशुपालन विस्तार शिक्षा

4. चौथे शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व न्यूनतम अपेक्षाएं:

पशु चिकित्सा महाविद्यालय में एम एम वी ई विनियमों में यथा उपदर्शित जनशक्ति और उपस्करों से संबंधित ऐसी आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित विभागों की स्थापना की जाएगी और तीसरे शैक्षिक वर्ष के वार्षिक परीक्षाओं के प्रारंभ होने से कम से कम 6 वर्ष पूर्ण प्रयास शैक्षिक संकाय की भर्ती की जाएगी:

(क) पशु चिकित्सा सर्जरी और रेडियोलोजी

(ख) पशु चिकित्सा औषधि

(ग) पशु चिकित्सा गायनाकॉलॉजी और ओवस्ट्रूक्म

अनुसूची-3

प्ररूप 10 में आवेदनों की प्राप्ति की अनुसूची

क्रम संख्या	निपटाने का स्तर	अंतिम तारीख
1	केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदनों की प्राप्ति	31 अगस्त तक
2	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा केंद्रीय सरकार से आवेदनों की प्राप्ति	15 सितंबर तक
3	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा आवेदनों की संवीक्षा और केंद्रीय सरकार को एक प्रति भेजने के साथ त्रुटिपूर्ण पाए गए आवेदनों को आवेदक को वापस लौटाना	15 अक्टूबर तक
4	आवेदक द्वारा त्रुटियों को दूर करने के पश्चात आवेदन को पुनः प्रस्तुत करना	30 अक्टूबर तक
5	अनुज्ञा पत्र के नवीकरण के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की केंद्रीय सरकार को सिफारिशें	15 जनवरी तक
6	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञा पत्र के नवीकरण के लिए पत्र जारी करना	1 फरवरी तक

अनुसूची-4

प्ररूप XI में आवेदनों की प्राप्ति की अनुसूची

क्रम संख्या	निपटाने का स्तर	अंतिम तारीख
1	केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदनों की प्राप्ति	31 अगस्त तक
2	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा केंद्रीय सरकार से आवेदनों की प्राप्ति	15 सितंबर तक
3	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा आवेदनों की संवीक्षा और केंद्रीय सरकार को एक प्रति भेजने के साथ त्रुटिपूर्ण पाए गए आवेदनों को आवेदक को वापस लौटाना	15 अक्टूबर तक
4	आवेदक द्वारा त्रुटियों को दूर करने के पश्चात आवेदन को पुनः प्रस्तुत करना	30 अक्टूबर तक

5	अंतिम मान्यता अनुदत्त करने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की केंद्रीय सरकार को सिफारिशें	15 जनवरी तक
6	केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदक को मान्यता पत्र जारी करना	1 फरवरी तक

प्ररूप-1

केंद्रीय सरकार द्वारा पशु चिकित्सा अर्हता या पशु चिकित्सा महाविद्यालय की मान्यता के लिए आवेदन का प्ररूप

1	आवेदक का नाम	
2	आवेदक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता (नंबर स्ट्रीट, शहर, पिनकोड, टेलिफोन, टैलेक्स, टैलीफैक्स)	
3	आवेदक की श्रेणी (राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/कानूनी स्वायत्त निकाय/सोसाइटी/न्यास/वक्फ)	
4	रजिस्ट्रीकरण संख्या और यह मान्यता प्राप्त करने की तारीख (सोसाइटी/न्यास/वक्फ की दशा में)	
5	पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम और पता	
6	पशु चिकित्सा अर्हता का नाम	
7	सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय का नाम	
8	पशु चिकित्सा महाविद्यालय के लिए उपलब्ध आधारभूत अवसंरचना सुविधाएं तथा संलग्न बीसीसी और आईएलएफसी (चरण-वार अपेक्षाओं का अनुसूची 2 में वर्णन किया गया है)	
9	प्रबंधकीय क्षमता:- आवेदक की संरचना आवेदक के शासकीय निकाय की विशिष्टियां, पशु चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अर्हता और अनुभव के साथ पशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्रमुख या परियोजना निदेशक की विशिष्टियां	
10	वित्तीय क्षमता यदि आवेदक कोई सोसायटी या वक्फ है तो पिछले 3 वर्ष का तुलन पत्र उपलब्ध कराएं	

11. स्थापना का औचित्य

- (क) संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रशिक्षित पशु चिकित्सा जनशक्ति की आवश्यकता और उपलब्धता ;
- (ख) प्रवाह क्षेत्र में पशुधन की संख्या, जिसके अंतर्गत पशु चिकित्सा अस्पताल या औपधालयों की संख्या भी है ;
- (ग) ऐसे पशु चिकित्सा महाविद्यालय की आवेदक द्वारा स्थापना के कारण

12. शैक्षिक कार्यक्रम

- (क) विद्यार्थियों की प्रस्तावित वार्षिक दाखिला संख्या ;
- (ख) अंगीकार किया जाने वाला दाखिला मानदंड ;
- (ग) दाखिले की विधि ;
- (घ) स्थानों का आरक्षण या अधिमानी आवंटन ;
- (ङ) विभागवार और वर्षवार अध्ययन पाठ्यचर्या, दोनों सिद्धांत और व्यवहारिक ;

13. कृत्यशील कार्यक्रम

- (क) विभागवार और सेवावार कृत्यशील आवश्यकता ;
- (ख) क्षेत्र वितरण और कक्षवार बैठने की क्षमता ;
- (ग) व्याख्यान और संगोष्ठियों के लिए सुविधा ;

14. उपस्कर कार्यक्रम

पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानक के अनुसार पशु चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए अपेक्षित सभी उपस्करों की मात्रा और विशिष्टियों की वर्षवार पूर्ण अनुसूची के साथ उपस्करों की विभाग और कक्षवार सूची।

15. जनशक्ति कार्यक्रम

भर्ती या नियुक्ति (पहले शैक्षिक वर्ष के लिए) और भर्ती या नियुक्ति के लिए प्रस्तावित (दूसरा, तीसरा और चौथा शैक्षिक वर्ष) :

- (क) शैक्षिक कर्मचारिवृंद (नियमित),
- (ख) तकनीकी कर्मचारिवृंद (नियमित),
- (ग) प्रशासनिक कर्मचारिवृंद (नियमित),
- (घ) अनुषंगी कर्मचारिवृंद,
- (ङ) वेतन ढांचा,
- (च) भर्ती प्रक्रिया, और
- (छ) भर्ती कलेंडर।

16. भवन कार्यक्रम

निम्नलिखित का भवनवार निर्मित क्षेत्र :

- (क) पशु चिकित्सा महाविद्यालय (विभाग, व्याख्यान कक्ष, म्यूजियम आदि)
- (ख) पशु चिकित्सा नैदानिक परिसर
- (ग) अनुदेशात्मक पशुधन परिसर
- (घ) संकाय और कर्मचारीवृंद आवास
- (ङ) विद्यार्थी छात्रावास
- (च) प्रशासनिक कार्यालय
- (छ) पुस्तकालय
- (ज) सभागार

- (झ) प्राणी गृह
- (ञ) सांस्कृतिक और मनोरंजन केंद्र
- (ट) खेल परिसर
- (ड) भस्मीकरण सुविधा और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के साथ पोस्ट-मोर्टम अनुभाग
- (ड) कैडेवर और प्राणी प्रयोग सुविधा
- (ढ) अन्य (सुविधा के नाम का कथन करें)

17. योजना और ले-आउट

- (क) पशु चिकित्सा महाविद्यालय की महायोजना, वीसीसी और आईएलएफसी
- (ख) ले-आउट योजना, खंड
- (ग) पशु चिकित्सा महाविद्यालय और अनुषंगी भवनों की ऊँचाई और संगणित फर्शवार क्षेत्र

18. फेजिंग और अनुसूचीकरण

निम्नलिखित को उपदर्शित करते हुए तीसरे और चौथे शैक्षिक वर्ष के लिए क्रियाकलापों की माम वार अनुसूची

- (क) भवन डिजाइन का प्रारम्भ और पूरा करना
- (ख) स्थानीय निकाय से अनुमोदन
- (ग) सिविल संनिर्माण
- (घ) इंजिनियरी सेवाओं और उपस्कर का उपबंध
- (ङ) कर्मचारीवृंद की आवश्यकता
- (च) चालू करने का फेजीकरण

19. परियोजना लागत

- (क) भूमि की पूंजी लागत
- (ख) भवन
- (ग) संयंत्र और मशीनरी
- (घ) उपस्कर
- (ङ) फर्नीचर और सज्जा
- (च) प्रारंभिक और प्रचालन पूर्व व्यय

20. परियोजना के वित्त पोषण के साधन

- (क) आवेदक का अंशदान
- (ख) अनुदान
- (ग) मंदात
- (घ) माम्या
- (ङ) आवधिक ऋण
- (च) अन्य स्रोत (यदि कोई हों)

21. राजस्व की उपधारणा

- (क) फीस ढाँचा
- (ख) अगले पाँच वर्ष के लिए अन्य स्रोतों से वार्षिक राजस्व का आकलन
- (ग) अगले पाँच वर्ष के लिए प्रक्षेपित कुल राजस्व विवरण

22. व्यय उपधारणा

- (क) अगले पाँच वर्ष के लिए आकलित प्रचालन व्यय
- (ख) अगले पाँच वर्ष के लिए आकलित पूंजी व्यय

23. प्रचालन परिणाम

- (क) पिछले 3 वर्ष की आय विवरणी
- (ख) पिछले 3 वर्ष की रोकड़ प्रवाह विवरणी
- (ग) पिछले 3 वर्ष का वार्षिक रिटर्न

टिप्पणः- मद 14 से मद 16 के लिए अवसंरचना या संकाय उपलब्ध या उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रस्तावित की तुलना में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के सुसंगत संनियमों का एक तुलनात्मक विवरण उपाबद्ध किया जाना चाहिए।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

संलग्नकों की सूची

1. आवेदक के संपूर्ण सांविधानिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।
2. आवेदक के रजिस्ट्रीकरण या निगमन प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति।
3. संकल्प या अन्य प्राधिकरण दस्तावेज की प्रमाणित प्रति, जिनके द्वारा आवेदक को पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने और इन नियमों के अधीन मान्यताप्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
4. राज्य सरकार या यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्र सरकार या प्रशासन से अनापत्ति प्रमाणपत्र (प्ररूप-2)।
5. राज्य सरकार या यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्र सरकार या प्रशासन द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाणपत्र (प्ररूप-3)।
6. विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबद्धता की सहमति के लिए पत्र की प्रमाणित प्रति (प्ररूप 4) या संबद्धता पत्र/प्रमाणपत्र या विश्वविद्यालय द्वारा जारी अस्थायी संबद्धता पत्र।
7. पशु चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध भौतिक और अन्य सुविधाओं का सत्यापन करने वाली संबंधित विश्वविद्यालय की रिपोर्ट (प्ररूप-5)।
8. एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसमें भवन कार्यक्रम, शिक्षण कार्यक्रम, कृत्यकारी कार्यक्रम, उपस्कर कार्यक्रम और जनशक्ति कार्यक्रम सम्मिलित है।
9. सुसंगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वामित्व के सबूत के रूप में उपलब्ध कुल भूमि के संबंध में हक विलेख/विक्रय विलेख/दान विलेख/ किसी अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।
10. जहां भूमि को सुसंगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पट्टे पर जारी किया गया है वहां पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रति।
11. उपलब्ध स्थलों पर आंचलिक योजनाओं की प्रमाणित प्रति, जिसमें उनकी भूमि के उपयोग या भूमि उपयोग प्रमाणपत्रों और भूमि संपरिवर्तन प्रमाणपत्रों को, जहां लागू हों, जिन्हें सुसंगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, उपदर्शित किया गया हो।

12. भू-अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां, जिनमें भू-सर्वेक्षण संख्या और पशु चिकित्सा महाविद्यालय के स्थल को तथा आईएलएफसी के साथ संलग्न सड़कों से और नजदीकी सड़कों से पहुंच को उपदर्शित करते हुए अंतर्विष्ट करने वाले क्षेत्र का मानचित्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
13. भूमि के मिले होने को उपदर्शित करते हुए भू-अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां।
14. आवेदक के शासी निकाय के सदस्य द्वारा सौ रुपए के गैर-न्यायिक पेपर पर एक शपथ पत्र, जिसमें यह कथन किया गया हो कि आवेदक के पास भूमि का स्पष्ट हक है, जिसके साथ किसी व्यवसायरत् अधिवक्ता की सत्यापन या सम्यक् सावधानी रिपोर्ट संलग्न होगी।
15. वास्तुविद् परिषद् (सीओए) के पास रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थल योजना और भवन योजना, जिसे संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सक्षम योजना मंजूरी प्राधिकारी द्वारा सम्यक्तः अनुमोदित किया गया हो।
16. पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पास सारणी के साथ अनन्य रूप से उपलब्ध निर्मित ढांचे की योजना, जिसमें स्पष्ट रूप से सभी कक्षों, प्रत्येक कक्ष का कारपेट क्षेत्र (वर्ग फुट में) जैसा एमएसवीई विनियमों में विनिर्दिष्ट है, जिसे वास्तुविद् परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
17. सभी विद्यमान शैक्षिक भवनों की फर्श, खंड और ऊँचाई की योजना की प्रतियां, जिसके अंतर्गत वास्तुविद् परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् द्वारा प्रमाणित ब्यौरे हैं।
18. अनुमोदित भवन योजना, कारपेट और निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट) तथा कमरों की संख्या, एलएफसी, वीसीसी और अन्य अवसंरचना की अनुमोदित योजना के संबंध में भवन संनिर्माण के विषय में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के संनियमों की बावत सौ रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र और वास्तुविद् परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् से सत्यापन प्रमाणपत्र।
19. आवेदक पशु चिकित्सा महाविद्यालय में नियोजित संकाय से घोषणाएं (प्ररूप 6)।
20. आवेदक पशु चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती किए गए प्रशासनिक, तकनीकी, सहायक और अनुषंगी कर्मचारिवृंद से घोषणाएं (प्ररूप 8)।
21. किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यक्तः प्रमाणित आवेदक के पिछले तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्टें और संपरीक्षित तुलन-पत्र।
22. नियत जमा के रूप में प्ररूप 1 में कथित कार्यशील पूंजी (निधियों) के संबंध में वित्तीय प्रास्थिति का सौ रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर में एक शपथपत्र, चालू एवं बचत खाते में वास्तविक शेष/और बैंक शाखा के प्रबंधक द्वारा एक प्रमाणपत्र।
23. आवेदक के बैंकों को संबोधित प्राधिकार पत्र, जिसमें केंद्रीय सरकार या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् को आवेदक के वित्तीय ट्रेकरिकार्ड के संबंध में स्वतंत्र जांच करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।
24. यथाविनिर्दिष्ट फीस।
25. आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले सक्षम या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक्तः नोटरीकृत वचनबंध (प्ररूप-8)।
26. जहां विश्वविद्यालय एक आवेदक है वहां विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सक्षम या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक्तः नोटरीकृत वचनबंध (प्ररूप-9)।
27. सौ रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर यह कथन करते हुए एक शपथ-पत्र कि आवेदन में दी गई सूचना सत्य है और यह कथन कि आवेदक सभी सूचना का प्रकट करने में असफल रहता है या किसी सूचना को छिपाता है या मिथ्या कथन करता है या यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना मिथ्या है तो वह विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का दायी होगा, जिसके अंतर्गत इन नियमों के अधीन अनुदत्त मान्यता को समाप्त करना या अनुज्ञा को वापस लेना भी है, किंतु उस तक ही सीमित नहीं है।
28. कोई अन्य दस्तावेज, जिसे आवेदक प्रस्तुत करने की इच्छा रखता है (कृपया ब्यौरे उपदर्शित करें)।

प्ररूप 2

राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र सरकार/प्रशासन से अनापत्ति प्रमाणपत्र

संख्या

तारीख

..... सरकार

पशुपालन विभाग

सेवा में,

(आवेदक),

..... (आवेदक का नाम) ने ने पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन किया है (फोन नंबर सहित पशु चिकित्सा महाविद्यालय का पूरा पता)। प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार/प्रशासन (राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र) को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक (पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक - डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 2016 समय-समय पर यथा उपबंधित के अनुसार पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना पर कोई आपत्ति नहीं है और इस निमित्त अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र सरकार/प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप 3

विषय : अनिवार्यता प्रमाणपत्र

संख्या

तारीख

..... सरकार

पशुपालन विभाग

सेवा में,

(आवेदक),

महोदय,

वांछित प्रमाणपत्र नीचे दिए अनुसार हैं :-

- (1) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पहले से ही विद्यमान पशु चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थाओं की संख्या।
- (2) उपलब्ध सीटों की संख्या या वार्षिक रूप से स्नातक होने वाले पशु चिकित्सा चिकित्सकों की संख्या।
- (3) राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के पाम रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या।

- (4) सरकारी सेवा में पशु चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या।
- (5) सरकार में पशु चिकित्सा व्यवसायियों के रिक्त पदों की संख्या।
- (6) ग्रामीण या कठिन क्षेत्रों में सरकार में पशु चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या।
- (7) रोजगार एकमचेंज के पास रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या।
- (8) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस समय पशु चिकित्सा व्यवसायियों का प्राणी जनसंख्या से अनुपात।
- (9) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस समय पशु चिकित्सा व्यवसायियों का बीमार प्राणी जनसंख्या से अनुपात।
- (10) राज्य द्वारा हासिल किए जाने के लिए प्रस्तावित पशु चिकित्सा व्यवसायियों का प्राणी जनसंख्या से अनुपात।
- (11) पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कैसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अर्हित पशु चिकित्सा व्यवसायियों की कमी की समस्या का समाधान करेगी और कैसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में ऐसी पशु चिकित्सा जनशक्ति की उपलब्धता में सुधार करेगी।
- (12) विद्यार्थियों पर राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा, जो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में अधिवास नहीं करते हैं, पर राज्य में दाखिला अभिप्राप्त करने पर अधिरोपित निर्बंधन, यदि कोई हों, को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (13) प्रस्तावित पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना का पूर्ण न्यायोचित्य।

..... (आवेदक का नाम) ने ने पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन किया है (फोन नंबर सहित पशु चिकित्सा महाविद्यालय का पूरा पता)। प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने आवेदक को (स्थानों की संख्या) के साथ पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करने का विनिश्चय किया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. आवेदक के स्वामित्व में अप्रबंधन में एक पशु चिकित्सा नैदानिक परिसर (वीसीसी) और अनुदेशात्मक पशुधन फार्म परिसर (आईएलएफसी) है, जैसा कि पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानकों में विनिर्दिष्ट है, जिसकी स्थापना में की गई थी।
2. लोक हित में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करना वांछनीय है।
3. (आवेदक का नाम) द्वारा पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना साध्य है।
4. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के संनियमों के अनुसार आवेदक के पास पर्याप्त नैदानिक सामग्री उपलब्ध है।

यह और प्रमाणित किया जाता है कि यदि आवेदक केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित विनियमों और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा विरचित विनियमों के अनुसार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के लिए अवसंरचना का सृजन करने में असफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा नए दाखिले करने की अनुज्ञा को वापस ले लिया जाता है तो वह पशु चिकित्सा महाविद्यालय में पहले ही दाखिल किए गए विद्यार्थियों को किसी मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय में स्थानांतरित करने में पूर्ण सहयोग देगा।

भवदीय,

(राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र सरकार/प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप 4

विश्वविद्यालय से सहमति पत्र

तारीख

संख्या

स्थान

..... विश्वविद्यालय

.....

विषय : (पशु चिकित्सा महाविद्यालय का पता सहित नाम) को संबद्ध करने के लिए सहमति ।

विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर और विश्वविद्यालय (संबद्धकारी विश्वविद्यालय का नाम) के प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन पर माननीय उप कुलपति (प्रस्तावित पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम) जिसे (आवेदक का नाम) द्वारा स्थापित किया जाएगा, को केंद्रीय सरकार द्वारा पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अर्हता (पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन/पशु चिकित्सा विज्ञान स्नातक), जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातक होने वाले विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा, को भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में शामिल किए जाने की शर्त के अधीन रहते हुए, संबद्ध करने के लिए महमत हो गए हैं ।

रजिस्ट्रार

(नाम और शासकीय मुहर सहित हस्ताक्षर)

प्ररूप 5

पशु चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं पर विश्वविद्यालय की संबद्धकारी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट

..... विश्वविद्यालय की संबद्धकारी समिति ने (पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम) में उपलब्ध सुविधाओं का को निरीक्षण किया और निरीक्षण रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार है :-

1. जनशक्ति

- (क) संकाय संख्या
- (ख) तकनीकी कर्मचारिवृंद
- (ग) प्रशासनिक कर्मचारिवृंद
- (घ) सहायक कर्मचारिवृंद

2. अवसंरचना

- (क) भूमि
- (ख) प्रशासनिक खंड
- (ग) विभागवार सुविधाएं, जिसके अंतर्गत प्रयोगशाला, व्याख्यान कक्ष हैं
- (घ) पुस्तकालय

- (ड) परीक्षा भवन
 (च) पशु चिकित्सा नैदानिक परिसर
 (छ) एंबुलेंस
 (ज) पशुधन फार्म परिसर
 (झ) उपस्कर
 (ञ) क्रीडा-स्थल
 (ट) छात्रावास सुविधाएं (बालक और बालिकाओं को)
 (ठ) विभाग

प्रमाणित किया जाता है कि पशु चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध सभी सुविधाओं पशु चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2016 के न्यूनतम मानकों के अनुसार हैं।

(रजिस्ट्रार)

प्ररूप 6

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस,

नई दिल्ली

.....में शैक्षिक कर्मचारीवृंद की घोषणा (व्यष्टिक शिक्षक द्वारा भरा जाएगा)

.....शैक्षिक मंत्र के लिए

शिक्षक का पासपोर्ट
आकार का नवीनतम
फोटो जिस पर
डीन/प्रधानाध्यापक
द्वारा प्रतिहस्ताक्षर
किए जाएंगे।

1.	शैक्षिक कर्मचारीवृंद का स्पष्ट अक्षरों में नाम	पहला नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
2.	पिता का नाम			
3.	माता का नाम			
4.	जन्म की तारीख	दिन	मास	वर्ष
5.	01.04.2017 को आयु			

5. पदधारी की वैध फोटो पहचान के ब्यौरे:

6. पैन कार्ड के ब्यौरे

नम्बर

7. वेतन प्राप्त करने का ढंग :
 8. पदधारी का वर्तमान पदनाम :
 9. प्रस्तावित पदनाम :
 10. नियोजन के ब्यौरे (जहां लागू हो) :

- (i) विभाग
 (ii) नियुक्ति की प्रकृति:
 कृपया सूचित करें कि क्या तदर्थ या संविदा पर शिक्षण एसोसिएट या अस्थायी है
 (iii) वर्तमान संस्था में शामिल होने की तारीख
 (iv) पदधारी का निवास का पता
 (v) स्थायी पता
 (vi) टेलीफोन नम्बर

कार्यालय:

आवास:

मोबाइल:

- (vii) ई-मेल
 (viii) वर्तमान नियुक्ति का वेतनमान
 (ix) आधारभूत अर्हता
 (x) उस विषय जिसमें विशेषज्ञता है सहित, स्नातकोत्तर अर्हता, यदि कोई हो तो
 (xi) विषय सहित पीएचडी अर्हता
 (xii) तारीख और विधिमान्यता सहित राज्य पशु चिकित्सा परिषद् रजिस्ट्रीकरण संख्या
 (xiii) राज्य पशु चिकित्सा परिषद् का नाम जहां रजिस्ट्रीकृत हैं

12. अर्हता के ब्यौरे:

अर्हता	महाविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अभिप्राप्त अंक (% में) या ओजीपीए	अध्ययन किए गए विषय
पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक					
एम वी एससी					
पी एचडी					
डाक्टरेट पत्र					

13. शिक्षण अनुभव के ब्यौरे (कालानुक्रम में पूर्व से विद्यमान तक):

पदनाम	संस्थाओं का नाम	विभाग	से	तक	वर्ष और मास में कुल अनुभव
प्रदर्शक या शिक्षण एसोसिएट					
सहायक प्रोफेसर					
एसोसिएट प्रोफेसर					
वैज्ञानिक (आईसीएआर)					

आदि जैसे किसी अनुसंधान संस्थान में)					
ज्येष्ठ वैज्ञानिक (आईसीएआर आदि जैसे किसी अनुसंधान संस्थान में)					
प्रधान वैज्ञानिक (आईसीएआर आदि जैसे किसी अनुसंधान संस्थान में)					
राज्य या केन्द्रीय पशुपालन विभाग आदि में पशु चिकित्सा व्यवसायी					
प्राइवेट व्यवसाय					
कुल शिक्षण अनुभव					
शिक्षण से भिन्न जैसे विस्तार आदि में कुल अनुभव					

टिप्पण: जहां भी पदधारी के पास उपरोक्त कथन के अनुसार अपेक्षित श्रेणी का अनुभव नहीं है वहां कृपया लागू नहीं लिखें।

पदधारी द्वारा घोषणा

(नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक्तः सत्यापित गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत की जाएगी)

1. मैं डा. जो महाविद्यालय के विभाग में कार्य कर रहा हूं, सम्पुष्टि करता हूं कि मैं पूर्णकालिक शिक्षक हूं, जो पूर्वाह्न से अपराह्न तक प्रतिदिन इस संस्था में कार्य कर रहा हूं। मैं कहीं भी व्यवसाय नहीं कर रहा हूं न ही मैं कहीं और नियोजित नहीं हूं।
2. मैं (पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम) में शिक्षण के लिए शैक्षिक सत्र के लिए नियोजित हूं और मैंने उक्त शैक्षिक वर्ष के लिए किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था में स्वयं को उपलब्ध नहीं किया है।
3. कार्य अनुभव के संबंध में पूर्ण ब्यौर उपलब्ध कराए गए हैं और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
4. यह घोषणा की जाती है कि इस घोषणा का प्रत्येक कथन और अंतर्वस्तु तथा दस्तावेज और प्रमाणपत्र, जिन्हें अद्योहस्ताक्षरी द्वारा इस घोषणा के साथ प्रस्तुत किया गया है, सही और सत्य हैं। इस कथन में किसी घोषणा के पश्चातवर्ती रूप से असत्य या मिथ्या पाए जाने की दशा में उसे गंभीर कदाचार समझा जाएगा, जिसके कारण अद्योहस्ताक्षरी विधि के अधीन कार्रवाई किए जाने के लिए दायी होगा। यह भी समझा जाता है कि ऐसी दशा में अद्योहस्ताक्षरी अनुशासनिक कार्रवाई, जिसके अंतर्गत उसके नाम को राज्य पशु चिकित्सा परिषद् या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के रजिस्टर से हटाना सम्मिलित है, का भी दायी होगा।

शिक्षक के पूरे नाम सहित हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

द्वारा पृष्ठांकित

1. पूरे नाम को उपदर्शित करते हुए मुहर और तारीख सहित महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक या डीन के हस्ताक्षर
2. पूरे नाम एवं पदनाम सहित शासी निकाय के अध्यक्ष के प्रति हस्ताक्षर

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची

क्रम सं.	दस्तावेज	प्रस्तुत
1.	संकाय का हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो, जिस पर महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक या डीन ने हस्ताक्षर किए गए हों।	हां या नहीं
2.	जन्म की तारीख के सबूत की प्रति	हां या नहीं
3.	सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी पहचान-पत्र के सबूत की फोटो : पासपोर्ट या पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या चालन अनुज्ञप्ति	हां या नहीं
4.	नियुक्ति आदेश, जिसके अंतर्गत वर्तमान संस्था में प्रोन्नति आदेश हैं, की सत्यापित प्रतियां	हां या नहीं
5.	पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र या वैद्युत बीजक या टेलीफोन बीजक या चालन अनुज्ञप्ति या स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों से प्रमाणन की प्रति को निवाम के सबूत के रूप में संलग्न किया जाएगा	हां या नहीं
6.	विद्यमान संस्था में सम्मिलित होने की रिपोर्ट	हां या नहीं
7.	स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के प्रमाणपत्र की प्रतियां	हां या नहीं
8.	एसवीसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां	हां या नहीं
9.	सभी शिक्षण नियुक्तियों के लिए अनुभव प्रमाणपत्रों की प्रति	हां या नहीं
10.	पिछली संस्था से निर्मुक्ति आदेश	हां या नहीं
11.	पैन कार्ड की प्रति	हां या नहीं
12.	पिछले वित्त वर्ष के लिए प्ररूप 16 (टीडीएस प्रमाणपत्र) की प्रति	हां या नहीं
13.	भविष्य निधि कटौती प्रमाणपत्र एवं विवरण	हां या नहीं
14.	प्राप्त वेतन का सबूत	हां या नहीं
15.	आधार कार्ड की एक प्रति	हां या नहीं

शिक्षक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

पूरे नाम एवं मुहर सहित डीन या प्रधानाध्यापक के प्रति हस्ताक्षर

तारीख :

प्ररूप 7

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस,

नई दिल्ली

.....में कर्मचारीवृंद की घोषणा (व्यष्टिक द्वारा भरा जाएगा)

.....शैक्षिक सत्र के लिए

कर्मचारीवृंद का
पासपोर्ट आकार का
नवीनतम फोटो जिस
पर
डीन/प्रधानाध्यापक
द्वारा प्रतिहस्ताक्षर
किए जाएंगे।

1.	स्पष्ट अक्षरों में नाम	पहला नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
2.	पिता का नाम			
3.	माता का नाम			
4.	जन्म की तारीख	दिन	मास	वर्ष
5.	01.04.2013 को आयु			

6. पदधारी की वैध फोटो पहचान के ब्यौरे:

7. पैन कार्ड के ब्यौरे नम्बर

8. वेतन प्राप्त करने का ढंग :

9. पदधारी का वर्तमान पदनाम :

10. प्रस्तावित पदनाम :

11. नियोजन के ब्यौरे (जहां लागू हों) :

(i) विभाग

(ii) नियुक्ति की प्रकृति:

कृपया सूचित करें कि क्या तदर्थ या संविदा
पर शिक्षण एसोसिएट या अस्थायी है

(iii) वर्तमान संस्था में शामिल होने की तारीख

(iv) पदधारी का निवास का पता

(v) स्थायी पना

(vi) टेलीफोन नम्बर

कार्यालय:

आवास:

मोबाइल:

(vii) ई-मेल

(viii) वर्तमान नियुक्ति का वेतनमान

(ix) आधारभूत अर्हता

(x) उस विषय जिसमें विशेषज्ञता है सहित, स्नातकोत्तर अर्हता, यदि कोई हो तो

(xi) विषय सहित पीएचडी अर्हता

12. अर्हता के ब्यौरे (जहां लागू हों):

अर्हता	महाविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अभिप्राप्त अंक (% में) या ओजीपीए	अध्ययन किए गए विषय

13. अनुभव के व्यौरे (कालानुक्रम में पूर्व से विद्यमान तक):

पदनाम	संस्थाओं का नाम	विभाग	से	तक	वर्ष और मास में कुल अनुभव
-------	-----------------	-------	----	----	---------------------------

टिप्पण: जहां भी पदधारी के पास उपरोक्त कथन के अनुसार अपेक्षित श्रेणी का अनुभव नहीं है वहां कृपया लागू नहीं लिखें।

पदधारी द्वारा घोषणा

(नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक्तः सत्यापित गैर न्यायिक स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत की जाएगी)

1. मैं जो महाविद्यालय के विभाग में कार्य कर रहा हूँ, सम्पुष्टि करता हूँ कि मैं पूर्वाह्न से अपराह्न तक प्रतिदिन इस संस्था में कार्य कर रहा हूँ। मैं कहीं और नियोजित नहीं हूँ।
2. कार्य अनुभव के संबंध में पूर्ण व्यौर उपलब्ध कराए गए हैं और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
3. यह घोषणा की जाती है कि इस घोषणा का प्रत्येक कथन और अंतर्वस्तु तथा दस्तावेज और प्रमाणपत्र, जिन्हें अद्योहस्ताक्षरी द्वारा इस घोषणा के साथ प्रस्तुत किया गया है, सही और सत्य हैं। इस कथन में किसी घोषणा के पश्चातवर्ती रूप से असत्य या मिथ्या पाए जाने की दशा में उसे गंभीर कदाचार समझा जाएगा, जिसके कारण अद्योहस्ताक्षरी विधि के अधीन कार्रवाई किए जाने के लिए दायी होगा।

पूरे नाम सहित हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

- द्वारा पृष्ठान्कित
1. पूरे नाम एवं पदनाम सहित शासी निकाय के अध्यक्ष के प्रति हस्ताक्षर
 2. शासी निकाय के अध्यक्ष के पूरे नाम एवं पदनाम सहित प्रतिहस्ताक्षर

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची

क्रम सं.	दस्तावेज	प्रस्तुत
1.	कर्मचारी का हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो, जिस पर महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक या डीन ने हस्ताक्षर किए गए हों।	हां या नहीं
2.	जन्म की तारीख के सबूत की प्रति	हां या नहीं
3.	सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी पहचान-पत्र के सबूत की फोटो : पासपोर्ट या पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या चालन अनुज्ञप्ति	हां या नहीं
4.	नियुक्ति आदेश, जिसके अंतर्गत वर्तमान संस्था में प्रोन्नति आदेश हैं, की सत्यापित प्रतियां	हां या नहीं
5.	पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र या वैद्युत बीजक या टेलीफोन बीजक या चालन अनुज्ञप्ति या स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों से प्रमाणन की प्रति को निवास के सबूत के रूप में संलग्न किया जाएगा	हां या नहीं
6.	विद्यमान संस्था में सम्मिलित होने की रिपोर्ट	हां या नहीं
7.	शैक्षिक अर्हताओं को उपदर्शित करने वाले प्रमाणपत्र की प्रतियां	हां या नहीं

8.	सभी पूर्व नियुक्तियों के लिए अनुभव प्रमाणपत्रों की प्रति	हां या नहीं
9.	पिछले रोजगार के स्थान से निर्मुक्ति आदेश	हां या नहीं
10.	पैन कार्ड की प्रति	हां या नहीं
11.	पिछले वित्त वर्ष के लिए प्ररूप 16 (टीडीएस प्रमाणपत्र) की प्रति	हां या नहीं
12.	भविष्य निधि कटौती प्रमाणपत्र एवं विवरण	हां या नहीं
13.	प्राप्त वेतन का सबूत	हां या नहीं
14.	आधार कार्ड की एक प्रति	हां या नहीं

पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

पूरे नाम एवं मुहर सहित डीन या प्रधानाध्यापक के प्रतिहस्ताक्षर

तारीख :

प्ररूप 8

पशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरी द्वारा गैर न्यायिक स्टॉप पेपर पर वचनबंध

मैं या हम के (न्यासी या अध्यक्ष या प्रधानाध्यापक या निदेशक या अध्यक्ष या रजिस्ट्रार का नाम) (पशु चिकित्सा महाविद्यालय या न्यास या सोसाइटी आदि का नाम) निम्नलिखित का (संस्था या पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) को (शैक्षिक सत्र) मान्यता अनुदत्त करने के लिए हमारे आवेदन के संबंध में निम्नलिखित का अनुपालन करने का वचनबंध करते हैं ।

1. पशु चिकित्सा महाविद्यालय का प्रबंधन केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित नियमों में विनिर्दिष्ट मानकों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तथा समय समय पर भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा विरचित अभी नियमों के अनुसार अवसंरचना, अनुदेशात्मक और अन्य सुविधाओं को कराने के लिए दाई होगा
2. विद्यार्थियों का दाखिला पात्रता शर्तों को पूरा करने के पश्चात राज्य सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा उसकी नीति के अनुसार संचालित प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा हासिल योग्यता के आधार पर किया जाएगा
3. राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों या निशक्त व्यक्तियों और अन्य प्रवर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा
4. पशु चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला केवल केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त अनुज्ञ के पश्चात ही किया जाएगा
5. केंद्रीय सरकार और/ भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट अर्हता के अनुसार युक्तियुक्त रूप से व्यापक विज्ञापन द्वारा और सम्यकता गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर या संबद्धकारी विश्वविद्यालय के मानकों के अनुसार नियमित आधार पर पूर्णकालिक कर्मचारीवृंद की नियुक्ति की जाएगी
6. अंशकालीन कर्मचारीवृंद की नियुक्ति राज्य सरकार या संबद्धकारी विश्वविद्यालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी
7. संस्था के शैक्षिक और अन्य कर्मचारीवृंद जिनके अंतर्गत अंशकालीन कर्मचारीवृंद भी है को संस्था की सेवा शर्तों के अनुसार वेतन का संदाय किया जाएगा

8. प्रबंधन भविष्य निधि पेंशन, उपदान आदि से संबंधित अपनी कानूनी वाध्यताओं का अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में निर्वहन करेगा
9. पशु चिकित्सा महाविद्यालय का शासी निकाय समाधानप्रद सुविधाएं और उचित कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएगा
10. पशु चिकित्सा महाविद्यालय भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के अधीन समय पर विनिर्दिष्ट सभी शर्तों और मानकों का पालन करेगा और सभी कार्यक्रमों का संचालन ईमानदारी पूर्वक करेगा तथा किसी भी समय भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा निरीक्षण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा
11. (.....सोसाइटी या न्याम या महाविद्यालय या संस्था आदि का नाम) द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद या केंद्रीय सरकार के सन्नियमों और मानकों तथा अधिकथित या विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के संबंध में अनुपालन की दशा में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद या केंद्रीय सरकार उसकी मान्यता या अनुज्ञा को प्रभावी रूप से वापस लेने के लिए किसी अन्य मुद्दे पर विचार किए बिना सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे और ऐसे मान्यता वापस लेने से सभी प्रकार के उत्तरदायित्व पशु चिकित्सा महाविद्यालय या उसके शासी निकाय के होंगे
12. पशु चिकित्सा महाविद्यालय किसी भी बैच में किसी पाठ्यक्रम को रोकना अनुज्ञात नहीं करेगा और जहां यह पूरा हो जाए वहां उस पर या बैच के पूरा होने पर उसे रोकने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से सहमति प्राप्त करेगा
13. पशु चिकित्सा महाविद्यालय के शासी निकाय ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा अनुज्ञा देने या मान्यता प्रदान करने के लिए उप दर्शित सभी सन्नियमों और शर्तों को देख लिया है, उन का अध्ययन कर लिया है तथा उन्हें समझ लिया है जिसके अंतर्गत यथास्थिति पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए उपदर्शित विनियम भी है तथा वह उनको पूरा करते हैं या निरीक्षण के समय उनको पूरा कर सकते हैं जिसके ना हो सकने पर वह प्रतिकूल विनिश्चय को स्वीकार करने के लिए तैयार है
14. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा दिए गए अनुमोदन के कारण पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्वता ही केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से किसी वित्तीय अनुदान या सहायता दिया समर्थन का स्वतः दावाकर्ता नहीं बन जाएगा
15. महाविद्यालय के नाम और पते में केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन को अभिप्राप्त किए बिना परिवर्तन नहीं किया जाएगा

(प्राधिकृत प्रतिनिधि या हस्ताक्षरकर्ता के शासकीय पद और उसकी कार्यालय की मोहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम स्पष्ट अक्षरों में

स्थान :

तारीख:

साक्षी:

प्रारूप 9

पशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरी द्वारा गैर न्यायिक स्टॉप पेपर पर वचनबंध

मैं या हम के (रजिस्ट्रार या विश्वविद्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी का नाम)
(विश्वविद्यालय का नाम) निम्नलिखित का (संस्था या पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) को (शैक्षिक मंत्र) मान्यता
अनुदान करने के लिए हमारे आवेदन के संबंध में निम्नलिखित का अनुपालन करने का वचनबंध करते हैं।

1. समय-समय पर यथा संशोधित पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों के अनुसार आवश्यक अवसंरचना, अनुदेशात्मक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
2. पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले विद्यार्थियों का दाखिला राज्य सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा उसकी तिथि के अनुसार संचालित प्रवेश परीक्षा में योग्यता के आधार पर किया जाएगा।
3. राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों या निश्चित व्यक्तियों और अन्य प्रवर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा।
4. पाठ्यक्रम में दाखिला केवल केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान अनुज्ञ के पश्चात ही किया जाएगा।
5. पूर्णकालिक कर्मचारीवृंद की नियुक्ति केंद्रीय सरकार और/ भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट अर्हता के अनुसार युक्तियुक्त रूप से व्यापक विज्ञापन द्वारा और सम्यक्ता गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर या संबद्धकारी विश्वविद्यालय के सन्नियमों और मानकों के अनुसार नियमित आधार पर की जाएगी।
6. अंशकालीन कर्मचारीवृंद की नियुक्ति राज्य सरकार या संबद्धकारी विश्वविद्यालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी।
7. संस्था के शैक्षिक और अन्य कर्मचारीवृंद (जिसके अंतर्गत अंशकालीन कर्मचारीवृंद भी है) को संस्था की सेवा शर्तों के अनुसार वेतन का संदाय किया जाएगा।
8. विश्वविद्यालय भविष्य निधि पेंशन, उपदान आदि से संबंधित अपनी कानूनी वाध्यताओं का अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में निर्वहन करेगा।
9. विश्वविद्यालय उचित कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए समाधानप्रद सुविधाएं और पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएगा।
10. विश्वविद्यालय भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा समय पर विनिर्दिष्ट सभी शर्तों और मानकों का कठोरता से पालन करेगा और सभी कार्यक्रमों का संचालन ईमानदारी पूर्वक करेगा तथा किसी भी समय भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा निरीक्षण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा।
11. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद या केंद्रीय सरकार के सन्नियमों और मानकों तथा अधिकथित या विनिर्दिष्ट अन्य शर्त के संबंध में अननुपालन की दशा में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद या केंद्रीय सरकार उसकी मान्यता या अनुज्ञा को प्रभावी रूप से वापस लेने के लिए किसी अन्य मुद्दे पर विचार किए बिना सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे और ऐसे मान्यता वापस लेने से सभी प्रकार के उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय के होंगे।
12. विश्वविद्यालय किसी भी बैच में किसी पाठ्यक्रम को रोकना अनुज्ञात नहीं करेगा और जहां यह पाठ्यक्रम पूरा हो जाए वहां उसको या बैच के पूरा होने पर उसे रोकने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से सहमति प्राप्त करेगा।
13. विश्वविद्यालय ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा अनुज्ञा देने या मान्यता प्रदान करने के लिए उपदर्शित सभी सन्नियमों और शर्तों को देख लिया है, उन का अध्ययन कर लिया है तथा उन्हें समझ लिया है जिसके अंतर्गत यथास्थिति पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों

द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए उपदर्शित विनियम भी है तथा वह उनको पूरा करते हैं या निरीक्षण के समय उनको पूरा कर सकते हैं जिसके ना हो सकने पर वह प्रतिकूल विनिश्चय को स्वीकार करने के लिए तैयार है।

14. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा दिए गए अनुमोदन के कारण विश्वविद्यालय स्वता ही केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से किसी वित्तीय अनुदान या सहायता दिया समर्थन का स्वतः दावाकर्ता नहीं बन जाएगा।

(प्राधिकृत प्रतिनिधि या हस्ताक्षरकर्ता के शासकीय पद और उसकी कार्यालय की मोहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम स्पष्ट अक्षरों में

स्थान :

तारीख :

साक्षी :

प्ररूप 10

पशु चिकित्सा अर्हता या पशु चिकित्सा महाविद्यालय की अनुज्ञा के नवीकरण के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन का प्रारूप

1	आवेदक का नाम	
2	आवेदक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता (नंबर स्ट्रीट, शहर, पिनकोड, टेलिफोन, टैलेक्स, टैलीफैक्स)	
3	आवेदक की श्रेणी (राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या कानूनी स्वायत्त निकाय या सोसाइटी या न्यास या वक्फ)	
4	रजिस्ट्रिकरण संख्या और यह मान्यता प्राप्त करने की तारीख (सोसाइटी या न्यास या वक्फ की दशा में)	
5	पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम और पता	
6	पशु चिकित्सा अर्हता का नाम	
7	सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय का नाम	
8	पशु चिकित्सा महाविद्यालय के लिए उपलब्ध आधारभूत अवसंरचना सुविधाएं तथा संलग्न वीसीसी और आईएलएफसी (इन नियमों में चरण-वार अपेक्षा का वर्णन है)	
9	प्रबंधकीय क्षमता:- आवेदक की संरचना आवेदक के शासकीय निकाय की विशिष्टियां, पशु चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अर्हता और अनुभव के साथ पशु चिकित्सा	

	महाविद्यालय के प्रमुख या परियोजना निदेशक की विशिष्टियां	
10	वित्तीय क्षमता यदि आवेदक कोई सोसायटी या वक्फ है तो पिछले 3 वर्ष का तुलन पत्र उपलब्ध कराएं	
11	मूल अनुज्ञापत्र के ब्यौरे (जारी करने की तारीख और क्रम संख्या)	

12. उपस्कर कार्यक्रम

एमएसबीई विनियमों के अनुसार पशु चिकित्सा शिक्षा देने के लिए आवश्यक सभी उपस्करों की मात्रा और विशिष्टियों की वर्ष वार पूर्ण अनुसूची के साथ उपस्करों के विभाग और कक्ष वार सूची

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

13. जनशक्ति कार्यक्रम

भर्ती किए गए और नियुक्त किए गए व्यक्तियों की विभागवार और वर्ष वार सूची

(क) शैक्षिक कर्मचारीवृंद (नियमित)

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(ख) तकनीकी कर्मचारीवृंद (नियमित)

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(ग) प्रशासनिक कर्मचारीवृंद (नियमित)

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(घ) अनुषंगी कर्मचारीवृंद (नियमित)

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

निम्नलिखित का भवनवार निर्मित क्षेत्र

(क) पशु चिकित्सा महाविद्यालय (विभाग, व्याख्यान कक्ष, म्यूजियम आदि)

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(ख) पशु चिकित्सा नैदानिक परिसर

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(ग) अनुदेशात्मक पशुधन परिसर

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(घ) मंकाय और कर्मचारीवृंद आवास

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(ङ) विद्यार्थी छात्रावास

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(च) प्रशामनिक कार्यालय

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(छ) पुस्तकालय

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(ज) सभागार

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(झ) प्राणी गृह

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(ञ) सांस्कृतिक और मनोरंजन केंद्र

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(ट) खेल परिसर

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(उ) भस्मीकरण सुविधा और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के साथ पोस्ट-मोर्टम अनुभाग

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(ड) कैडेवर और प्राणी प्रयोग सुविधा

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(ढ) अन्य (सुविधा के नाम का कथन करें)

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

14. फेजिंग और अनुसूचीकरण

निम्नलिखित को उपदर्शित करते हुए पूरे किए गए क्रियाकलापों की मास वार अनुसूची

(क) भवन डिजाइन का प्रारम्भ करना और पूरा करना

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(ख) स्थानीय निकाय से अनुमोदन

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(ग) सिविल संनिर्माण

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(घ) इंजिनियरी सेवाओं और उपस्कर का उपबंध

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(ङ) कर्मचारीवृंद की आवश्यकता

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(च) चालू करने का फेजीकरण

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

15 राजस्व की उपधारणा

(क) फीस ढाँचा

(ख) अगले पाँच वर्ष के लिए विभिन्न स्रोतों से वार्षिक राजस्व का आकलन

(ग) आशय पत्र अनुदत्त करने की तारीख से पशु चिकित्सा महाविद्यालय से कुल राजस्व

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

16 व्यय उपधारणा

(क) अगले पाँच वर्ष के लिए प्रचालन व्यय

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(ख) अगले पाँच वर्ष के लिए पूंजी व्यय

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

17 प्रचालन परिणाम

(क) पिछले 3 वर्ष की आय विवरणी

(ख) पिछले 3 वर्ष की रोकड़ प्रवाह विवरणी

(ग) पिछले 3 वर्ष का वार्षिक रिटर्न

टिप्पण:- मद 11 से मद 13 के लिए अवमंरचना या संकाय उपलब्ध या उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रस्तावित की तुलना में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के सुसंगत संनियमों का एक तुलनात्मक विवरण उपाबद्ध किया जाना चाहिए।

आवेदक के हस्ताक्षर**संलग्नकों की सूची**

1. केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र की नोटरीकृत प्रति।
2. एक परियोजना रिपोर्ट, जो यह उपदर्शित करती है कि आवेदक द्वारा प्ररूप 1 में प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है।
3. किसी अतिरिक्त भूमि के संबंध में उसके स्वामित्व के सवून के रूप में सुसंगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हक विलेख या विक्रय विलेख या दान की प्रमाणित प्रति।
4. सुसंगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पट्टे पर ली गई अतिरिक्त भूमि के लिए पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रति।

5. अर्जित अतिरिक्त स्थलों के लिए आंचलिक योजनाओं की प्रमाणित प्रति, जिसमें उनकी भूमि के उपयोग या भूमि उपयोग प्रमाणपत्र और भूमि संपरिवर्तन प्रमाणपत्र को, जहां लागू हों, जिन्हें सुसंगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, उपदर्शित किया गया हो।
6. भू-अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां, जिनमें भू-सर्वेक्षण संख्या और पशु चिकित्सा महाविद्यालय के म्थल को तथा आईएलएफसी के माथ संलग्न सड़कों से और नजदीकी सड़कों से पहुंच को उपदर्शित करते हुए अंतर्विष्ट करने वाले क्षेत्र का मानचित्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
7. अर्जित अतिरिक्त भूमि के भू-अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां, जिसमें भूमि के मिले होने को उपदर्शित किया गया हो।
8. आवेदक के शासी निकाय के सदस्य द्वारा सौ रुपए के गैर-न्यायिक पेपर पर एक शपथ पत्र, जिसमें यह कहा गया हो कि आवेदक के पास अर्जित अतिरिक्त भूमि का स्पष्ट हक है, जिसके साथ किसी व्यवसायरत अधिवक्ता की सत्यापन या सम्यक् सावधानी रिपोर्ट संलग्न होगी।
9. वास्तुविद् परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पास अनन्य रूप से उपलब्ध ढांचे की योजना, जिसमें सारणी में स्पष्ट रूप से सभी कक्षों, प्रत्येक कक्ष का कारपेट क्षेत्र (वर्ग फुट में) जैसा एमएसवीई विनियमों में विनिर्दिष्ट है, जिसे वास्तुविद् परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
10. सभी विद्यमान शैक्षिक भवनों की फर्श, खंड और ऊँचाई की योजना की प्रतियां, जिसके अंतर्गत वास्तुविद् परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् द्वारा प्रमाणित ब्यौरे हैं।
11. अनुमोदित भवन योजना, कारपेट और निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट) तथा कमरों की संख्या, एलएफसी, वीसीसी और अन्य अवसंरचना की अनुमोदित योजना के संबंध में अनुमोदित भवन योजना के विषय में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के संनियमों की बाबत सौ रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र और वास्तुविद् परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् से सत्यापन प्रमाणपत्र।
12. आवेदक पशु चिकित्सा महाविद्यालय में नियोजित संकाय से घोषणाएं सिवाय उनके, जो आवेदक पशु चिकित्सा महाविद्यालय में पहले ही प्रस्तुत कर दी गई हैं (प्ररूप 6)।
13. आवेदक पशु चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती किए गए प्रशासनिक, तकनीकी, सहायक और अनुषंगी कर्मचारिवृंद से घोषणाएं सिवाय उनके, जो आवेदक पशु चिकित्सा महाविद्यालय में पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं (प्ररूप 7)।
14. किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यकतः प्रमाणित आवेदक के पिछले तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्टें और संपरीक्षित तुलन-पत्र, रोकड़ प्रवाह प्रमाणपत्र और आय-कर विवरणियां।
15. किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यकतः सत्यापित आवेदक की पिछले तीन वर्ष की प्रचालन व्यय रिपोर्टें।
16. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यकतः सत्यापित प्रमाणित आवेदक के अगले पाँच वर्ष के राजस्व प्रक्षेपणों की प्रतियां।
17. सौ रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर यह कथन करते हुए एक शपथ-पत्र की आवेदन में दी गई सूचना सत्य है और यह कथन कि आवेदक सभी सूचना का प्रकट करने में असफल रहता है या किसी सूचना को छिपाता है या मिथ्या कथन करता है या यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना मिथ्या है तो वह विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का दायी होगा, जिसके अंतर्गत इन नियमों के अधीन अनुदत्त मान्यता को समाप्त करना या अनुज्ञा को वापस लेना भी है, किंतु उस तक ही सीमित नहीं है।
18. कोई अन्य दस्तावेज, जिसे आवेदक प्रस्तुत करने की इच्छा रखता है (कृपया ब्यौरे उपदर्शित करें)।

प्ररूप-11

केंद्रीय सरकार द्वारा पशु चिकित्सा अर्हता या पशु चिकित्सा महाविद्यालय की अन्तिम मान्यता के लिए आवेदन का प्ररूप

1	आवेदक का नाम	
2	आवेदक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता (नंबर स्ट्रीट, शहर, पिनकोड, टेलिफोन, टैलेक्स, टैलीफैक्स)	
3	आवेदक की श्रेणी (राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/कानूनी स्वायत्त निकाय/ सोसाइटी/ न्यास/वक्फ)	
4	रजिस्ट्रीकरण संख्या और या मान्यता प्राप्त करने की तारीख (सोसाइटी/न्यास/वक्फ की दशा में)	
5	पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम और पता	
6	पशु चिकित्सा अर्हता का नाम	
7	सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय का नाम	
8	पशु चिकित्सा महाविद्यालय के लिए उपलब्ध आधारभूत अवसंरचना सुविधाएं तथा संलग्न वीसीसी और आईएलएफसी (चरण-वार अपेक्षाओं का इन नियमों में वर्णन किया गया है)	
9	प्रबंधकीय क्षमता:- आवेदक की संस्थिति आवेदक के शासकीय निकाय की विशिष्टियां, पशु चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अर्हता और अनुभव के साथ पशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्रमुख या परियोजना निदेशक की विशिष्टियां	
10	वित्तीय क्षमता यदि आवेदक कोई सोसायटी या न्यास या वक्फ है तो पिछले 3 वर्ष का तुलन पत्र उपलब्ध कराएं	
11.	मूल अनुज्ञा पत्र और नवीकरण अनुज्ञा पत्र के ब्यौरे (जारी करने की तारीख और क्रम संख्या)	

12. उपस्कर कार्यक्रम

मात्रा और विशिष्टियों की पूर्ण अनुसूची के साथ उपस्करों कि विभाग और कक्ष वार सूची

एमएसबीई विनियमों के अनुसार अपेक्षा	वर्तमान स्थिति
------------------------------------	----------------

13. जनशक्ति कार्यक्रम

भर्ती किए गए और नियुक्त किए गए व्यक्तियों की विभागवार और वर्ष वार सूची

(क) शैक्षिक कर्मचारीवृंद (नियमित)

एमएसबीई विनियमों के अनुसार अपेक्षा	वर्तमान स्थिति
------------------------------------	----------------

(ख) तकनीकी कर्मचारीवृंद (नियमित)

एमएसबीई विनियमों के अनुसार अपेक्षा	वर्तमान स्थिति
------------------------------------	----------------

(ग) प्रशासनिक कर्मचारीवृंद (नियमित)

एमएसबीई विनियमों के अनुसार अपेक्षा	वर्तमान स्थिति
------------------------------------	----------------

(घ) अनुपंगी कर्मचारीवृंद (नियमित)

एमएसबीई विनियमों के अनुसार अपेक्षा	वर्तमान स्थिति
------------------------------------	----------------

14. भवन कार्यक्रम

निम्नलिखित का भवनवार निर्मित क्षेत्र

(क) पशु चिकित्सा महाविद्यालय (विभाग, व्याख्यान कक्ष, परीक्षा भवन, स्मूजियम आदि)

एमएसबीई विनियमों के अनुसार अपेक्षा	वर्तमान स्थिति
------------------------------------	----------------

(ख) पशु चिकित्सा नैदानिक परिसर

एमएसबीई विनियमों के अनुसार अपेक्षा	वर्तमान स्थिति
------------------------------------	----------------

(ग) अनुदेशात्मक पशुधन परिसर

एमएसबीई विनियमों के अनुसार अपेक्षा	वर्तमान स्थिति
------------------------------------	----------------

(घ) संकाय और कर्मचारीवृंद आवास

एमएसबीई विनियमों के अनुसार अपेक्षा	वर्तमान स्थिति
------------------------------------	----------------

(ङ) विद्यार्थी छात्रावास

एमएसबीई विनियमों के अनुसार अपेक्षा	वर्तमान स्थिति
------------------------------------	----------------

(च) प्रशासनिक कार्यालय

एमएसबीई विनियमों के अनुसार अपेक्षा	वर्तमान स्थिति
------------------------------------	----------------

(छ) पुस्तकालय

एमएसबीई विनियमों के अनुसार अपेक्षा	वर्तमान स्थिति
------------------------------------	----------------

(ज) सभागार

एमएसबीई विनियमों के अनुसार अपेक्षा	वर्तमान स्थिति
------------------------------------	----------------

(झ) प्राणी गृह

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(ञ) सांस्कृतिक और मनोरंजन केंद्र

एमएसबीई विनियमों के अनुसार अपेक्षा	वर्तमान स्थिति
------------------------------------	----------------

(ट) खेल परिसर

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(ड) भस्मीकरण सुविधा और अगशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के साथ पोस्ट-मोर्टम अनुभाग

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

(ढ) कैडेवर और प्राणी प्रयोग सुविधा

एमएसबीई विनियमों के अनुसार अपेक्षा	वर्तमान स्थिति
------------------------------------	----------------

(ढ) अन्य (सुविधा के नाम का कथन करें)

एमएसबीई विनियमों के अनुसार अपेक्षा	वर्तमान स्थिति
------------------------------------	----------------

15 राजस्व की उपधारणा और तुलना

(क) फीस ढांचा

(ख) अगले पाँच वर्ष के लिए विभिन्न स्रोतों से वार्षिक राजस्व का आकलन

एमएसवीई विनियमों के अनुसार अपेक्षा	वर्तमान स्थिति
------------------------------------	----------------

16 व्यय उपधारणा और तुलना

(क) अगले पाँच वर्ष के लिए प्रचालन व्यय

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए राजस्व प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
--	----------------

(ख) अगले पाँच वर्ष के लिए पूंजी व्यय

मान्यता के लिए आवेदन में किए गए प्रक्षेपण	वर्तमान स्थिति
---	----------------

17 प्रचालन परिणाम

(क) अनुज्ञा पत्र अनुदत्त करने से लेकर आय-कर विवरण

(ख) अनुज्ञा पत्र अनुदत्त करने से लेकर रोकड़ प्रवाह विवरण

(ग) अनुज्ञा पत्र अनुदत्त करने से लेकर व्यय विवरण

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नकों की सूची :

1. केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र की नोटरीकृत प्रति ।
2. केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र के नवीकरण पत्र की नोटरीकृत प्रति ।
3. एक परियोजना रिपोर्ट, जो यह उपदर्शित करती है कि आवेदक द्वारा प्ररूप 1 में प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है ।
4. किसी अतिरिक्त भूमि के संबंध में उसके स्वामित्व के सबूत के रूप में सुसंगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हक विलेख या विक्रय विलेख या दान की प्रमाणित प्रति ।
5. सुसंगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पट्टे पर ली गई अतिरिक्त भूमि के लिए पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रति ।
6. अर्जित अतिरिक्त स्थलों के लिए आंचलिक योजनाओं की प्रमाणित प्रति, जिसमें उनकी भूमि के उपयोग या भूमि उपयोग प्रमाणपत्र और भूमि संपरिवर्तन प्रमाणपत्र को, जहां लागू हों, जिन्हें सुसंगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, उपदर्शित किया गया हो ।

7. अर्जित अतिरिक्त भूमि के भू-अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां, जिनमें भू-सर्वेक्षण संख्या और पशु चिकित्सा महाविद्यालय के स्थल को तथा आईएलएफसी के साथ संलग्न सड़कों से और नजदीकी सड़कों से पहुंच को उपदर्शित करते हुए अंतर्विष्ट करने वाले क्षेत्र का मानचित्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
8. अर्जित अतिरिक्त भूमि के भू-अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां, जिसमें भूमि के मिले होने को उपदर्शित किया गया हो।
9. आवेदक के शासी निकाय के सदस्य द्वारा सौ रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र, जिसमें यह कथन किया गया हो कि आवेदक के पास अर्जित अतिरिक्त भूमि का स्पष्ट हक है, जिसके साथ किमी व्यवसायरत अधिवक्ता की सत्यापन या मम्पक् सावधानी रिपोर्ट संलग्न होगी।
10. वास्तुविद् परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पास अनन्य रूप से उपलब्ध ढांचे की योजना, जिसमें सारणी में स्पष्ट रूप से सभी कक्षों, प्रत्येक कक्ष का कारपेट क्षेत्र (वर्ग फुट में) जैसा एमएसवीई विनियमों में विनिर्दिष्ट है, जिसे वास्तुविद् परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
11. सभी विद्यमान शैक्षिक भवनों की फर्श, खंड और ऊँचाई की योजना की प्रतियां, जिसके अंतर्गत वास्तुविद् परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् द्वारा प्रमाणित ब्यौरे हैं।
12. अनुमोदित भवन योजना, कारपेट और निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट) तथा कमरों की संख्या, एलएफसी, वीसीसी और अन्य अवसंरचना के संनिर्माण के संबंध में अनुमोदित भवन योजना के विषय में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के संनियमों की बाबत सौ रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र और वास्तुविद् परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् से सत्यापन प्रमाणपत्र।
13. आवेदक पशु चिकित्सा महाविद्यालय में नियोजित संकाय से घोषणाएं सिवाय उनके, जो आवेदक पशु चिकित्सा महाविद्यालय में पहले ही प्रस्तुत कर दी गई हैं (प्ररूप 6)।
14. आवेदक पशु चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती किए गए प्रशासनिक, तकनीकी, सहायक और अनुषंगी कर्मचारिवृंद से घोषणाएं सिवाय उनके, जो आवेदक पशु चिकित्सा महाविद्यालय में पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं (प्ररूप 7)।
15. किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यकतः प्रमाणित आवेदक के पिछले तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्टें और संपरीक्षित तुलन-पत्र, रोकड़ प्रवाह विवरण और आय-कर विवरणियां।
16. किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यकतः सत्यापित आवेदक की पिछले तीन वर्ष की प्रचालन व्यय रिपोर्टें।
17. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यकतः प्रमाणित आवेदक के अगले पाँच वर्ष के राजस्व प्रक्षेपणों की प्रतियां।
18. सौ रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर यह कथन करते हुए एक शपथ-पत्र कि आवेदन में दी गई सूचना सत्य है और यह कथन कि आवेदक सभी सूचना का प्रकट करने में असफल रहता है या किसी सूचना को छिपाता है या मिथ्या कथन करता है या यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना मिथ्या है तो वह विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का दायी होगा, जिसके अंतर्गत इन नियमों के अधीन अनुदत्त मान्यता को समाप्त करना या अनुज्ञा को वापस लेना भी है, किंतु उस तक ही सीमित नहीं है।
19. कोई अन्य दस्तावेज, जिसे आवेदक प्रस्तुत करने की इच्छा रखता है (कृपया ब्यौरे उपदर्शित करें)।

प्ररूप 12

मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की दाखिला क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन का प्ररूप

1. विद्यमान पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पशु चिकित्सा अस्पताल/वीसीसी और आईएलएफसी का नाम और पता
2. विद्यमान पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पशु चिकित्सा अस्पताल/वीसीसी और आईएलएफसी तथा अनुषंगी भवनों के ब्यौरे

- (क) वर्तमान स्वीकृत दाखिला क्षमता
- (ख) निर्मित क्षेत्र
- (ग) वास्तुविद और लेआउट योजनाएं
- (घ) उपस्कर
- (ङ) इंजीनियरी सेवाओं की क्षमता और संस्थिति
- (च) अस्पताल सेवाओं की क्षमता और संस्थिति
- (छ) अन्य अनुषंगी तथा सहायक सेवाओं की क्षमता और संस्थिति
- (ज) श्रेणीवार कर्मचारी वृंद की संख्या

3. विद्यमान पशु चिकित्सा महाविद्यालय/ पशु चिकित्सा अस्पताल और पशुधन फार्म के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि के ब्यौरे

- (क) भूमि की विशिष्टियां
- (ख) प्रस्तावित पशु चिकित्सा महाविद्यालय से दूरी (आईएलएफसीकी दशा में)
- (ग) प्लॉट का आकार
- (घ) प्राधिकृत भूमि उपयोग
- (ङ) भूगोल
- (च) मृदा की स्थिति
- (छ) सड़क से पहुंच
- (ज) लोक परिवहन की उपलब्धता
- (झ) विद्युत आपूर्ति
- (ञ) जलापूर्ति
- (ट) मल व्ययन कनेक्शन
- (ठ) संचार सुविधाएं

4. उन्नत पशु चिकित्सा कार्यक्रम

- (क) दाखिला क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि
- (ख) विस्तार स्कीम के अधीन प्रदर्शित अतिरिक्त नैदानिक और परा नैदानिक विषयों के ब्यौरे

5. उन्नत क्रियाशील कार्यक्रम

- (क) विशेषज्ञता वार और सेवा वार कृत्या शील अपेक्षाएं
- (ख) क्षेत्र वितरण

6. भवन विस्तार योजना

निम्नलिखित के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला वर्षवार अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र

- (क) पशु चिकित्सा अस्पताल या वीसीसी
- (ख) विभाग
- (ग) कर्मचारी वृंद आवाम
- (घ) कर्मचारी वृंद और विद्यार्थी छात्रावास
- (ङ) पशुधन फार्म
- (च) अन्य अनुषंगी भवन

7. उपस्कर कार्यक्रम

एमएसवीई विनियमों के अनुसार पशु चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए अपेक्षित सभी उपस्करों की उन्नत कक्षा वार सूची

8. उन्नत इंजीनियरी सेवाएं

इंजीनियरी सेवाओं (अनुरक्षण कार्य के लिए) और अस्पताल तथा फार्म सेवाओं के उन्नयन या क्षमतावर्धन और उनकी संस्थिति

9. उन्नत जनशक्ति कार्यक्रम

निम्नलिखित का विभाग वार वितरण

- (क) कर्मचारी वृंद (नियमित)
- (ख) तकनीकी वृंद (नियमित)
- (ग) प्रशासनिक कर्मचारी वृंद (नियमित)
- (घ) अनुषंगी कर्मचारी वृंद

10. आयोजना और लेआउट

- (क) लेआउट योजना
- (ख) खंड
- (ग) ऊंचाई
- (घ) प्रशासनिक कर्मचारी वृंद
- (ङ) अस्पताल की फर्शवार संगणना
- (च) अनुषंगी भवन

11. विस्तार कार्यक्रम की फेजिंग और अनुसूचीकरण

- (क) भवन डिजाइन का आरंभ और पूरा करना
- (ख) स्थानीय निकाय अनुमोदन
- (ग) सिविल सनिर्माण
- (घ) इंजीनियरी और अस्पताल सेवाओं का उपबंध
- (ङ) उपस्करों का उपबंध
- (च) कर्मचारी वृंद की भर्ती

12. विस्तार कार्यक्रम की परियोजना लागत

अतिरिक्त,-

- (क) भूमि की लागत
- (ख) भवन की लागत
- (ग) इंजीनियरी सेवाओं की लागत
- (घ) उपस्करों की लागत
- (ङ) फर्नीचर और सजा की लागत
- (च) आरंभिक और प्रचालन पूर्व व्यय

13. परियोजना के वित्तपोषण के साधन

- (क) आवेदक का अंशदान
- (ख) अनुदान
- (ग) संदान
- (घ) साम्य
- (ङ) आवधिक ऋण
- (च) अन्य स्रोत, यदि कोई हों

14. राजस्व की उपधारणा

- (क) फीस ढांचा
- (ख) अगले पाँच वर्ष के लिए अन्य स्रोतों से वार्षिक राजस्व का आकलन
- (ग) अगले पाँच वर्ष के लिए प्रक्षेपित कुल राजस्व विवरण

15. व्यय उपधारणा

- (क) अगले पाँच वर्ष के लिए आकलित प्रचालन व्यय
- (ख) अगले पाँच वर्ष के लिए आकलित पूंजी व्यय

16. प्रचालन परिणाम

- (क) पिछले 3 वर्ष की आय विवरणी
- (ख) पिछले 3 वर्ष की रोकड प्रवाह विवरणी
- (ग) पिछले 3 वर्ष का वार्षिक रिटर्न

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

संलग्नकों की सूची

1. आवेदक के संपूर्ण सांविधानिक दस्तावेजों प्रमाणित प्रतियां ।
2. आवेदक के रजिस्ट्रीकरण या निगमन प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति ।
3. संकल्प या अन्य प्राधिकरण दस्तावेज की प्रमाणित प्रति, जिनके द्वारा आवेदक को पशु चिकित्सा महाविद्यालय की दाखिला क्षमता में वृद्धि करने और इन नियमों के अधीन उस प्रयोजन के लिए आवेदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।
4. राज्य सरकार या यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्र सरकार या प्रशासन से अनापत्ति प्रमाणपत्र (प्ररूप 13) ।
5. राज्य सरकार या यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्र सरकार या प्रशासन द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाणपत्र (प्ररूप 14) ।
6. विश्वविद्यालय द्वारा दाखिला क्षमता में वृद्धि के लिए सहमति के लिए पत्र की प्रमाणित प्रति (प्ररूप 15) ।
7. पशु चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध भौतिक और अन्य सुविधाओं का सत्यापन करने वाली संबंधित विश्वविद्यालय की रिपोर्ट (प्ररूप 5) ।
8. एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसमें भवन कार्यक्रम, शिक्षण कार्यक्रम, कृत्यकारी कार्यक्रम, उपस्कर कार्यक्रम और जनशक्ति कार्यक्रम सम्मिलित है ।
9. सुसंगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वामित्व के सवृत के रूप में उपलब्ध कुल भूमि के संबंध में हक विलेख/विक्रय विलेख/दान विलेख/ किसी अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ।
10. जहां भूमि को पट्टे पर जारी किया गया है वहां पट्टा विलेख की सुसंगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति ।
11. उपलब्ध स्थलों पर आंचलिक योजनाओं की प्रमाणित प्रति, जिसमें उनकी भूमि के उपयोग या भूमि उपयोग प्रमाणपत्रों और भूमि संपरिवर्तन प्रमाणपत्रों को, जहां लागू हों, जिन्हें सुसंगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, उपदर्शित किया गया हो ।
12. भू-अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां, जिनमें भू-सर्वेक्षण संख्या और पशु चिकित्सा महाविद्यालय के स्थल को तथा आईग्लगफसी के साथ संलग्न सड़कों से और नजदीकी सड़कों से पहुंच को उपदर्शित करते हुए अंतर्विष्ट करने वाले क्षेत्र का मानचित्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो ।
13. भूमि के मिले होने को उपदर्शित करते हुए भू-अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां ।
14. आवेदक के शासी निकाय के सदस्य द्वारा सौ रुपए पर गैर-न्यायिक पेपर पर एक शपथ पत्र, जिसमें यह कहा गया हो कि आवेदक के पास भूमि का स्पष्ट हक है, जिसके साथ किसी व्यवसायरत अधिवक्ता की सत्यापन या सम्यक् सावधानी रिपोर्ट संलग्न होगी ।
15. वास्तुविद् परिषद् (सीओए) के पाम रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थल योजना और भवन योजना, जिसे संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सक्षम योजना मंजूरी प्राधिकारी द्वारा सम्यक्तः अनुमोदित किया गया हो ।
16. पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पास सारणी के साथ अनन्य रूप से उपलब्ध निर्मित ढांचे की योजना, जिसमें स्पष्ट रूप से सभी कक्षों, प्रत्येक कक्ष का कारपेट क्षेत्र (वर्ग फुट में) जैसा एमएमवीई विनियमों में विनिर्दिष्ट है, जिसे वास्तुविद् परिषद् के पाम रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् द्वारा प्रमाणित किया गया हो ।
17. सभी विद्यमान शैक्षिक भवनों की फर्श, खंड और ऊँचाई की योजना की प्रतियां, जिसके अंतर्गत वास्तुविद् परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् द्वारा प्रमाणित ब्याँरे हैं ।
18. अनुमोदित भवन योजना, कारपेट और निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट) तथा कमरों की संख्या, एलएफसी, वीसीसी और अन्य अवसंरचना की अनुमोदित योजना के संबंध में भवन संनिर्माण के विषय में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के संनियमों की बाबत सौ रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र और वास्तुविद् परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् से सत्यापन प्रमाणपत्र ।

19. किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यक्तः प्रमाणित आवेदक के पिछले तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्टें और संपरीक्षित तुलन-पत्र ।
20. नियत अवधि जमा के रूप में कार्यशील पूंजी (निधियों) के संबंध में वित्तीय प्रास्थिति के संबंध में, सौ रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर में एक शपथपत्र चालू एवं बचत खाते में वास्तविक शेष/और बैंक शाखा के प्रबंधक द्वारा एक प्रमाणपत्र ।
21. आवेदक के बैंकरो को संबोधित प्राधिकार पत्र, जिसमें केंद्रीय सरकार या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् को आवेदक के वित्तीय ट्रेक रिकार्ड के संबंध में स्वतंत्र जांच करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो ।
22. यथाविनिर्दिष्ट फीस ।
23. आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले सक्षम या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक्तः नोटरीकृत वचनबंध (प्ररूप 16) ।
24. जहां विश्वविद्यालय एक आवेदक है वहां विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सक्षम या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक्तः नोटरीकृत वचनबंध (प्ररूप 17) ।
25. सौ रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर यह कथन करते हुए एक शपथ-पत्र की आवेदन में दी गई सूचना सत्य है और यह कथन कि आवेदक सभी सूचना को प्रकट करने में असफल रहता है या किसी सूचना को छिपाता है या मिथ्या कथन करता है या यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना मिथ्या है तो वह विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का दायी होगा, जिसके अंतर्गत इन नियमों के अधीन अनुदत्त मान्यता को समाप्त करना या अनुज्ञा को वापस लेना भी है, किंतु उस तक ही सीमित नहीं है ।
26. कोई अन्य दस्तावेज, जिसे आवेदक प्रस्तुत करने की इच्छा रखता है (कृपया व्यौरे उपदर्शित करें) ।

प्ररूप 13

राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र सरकार/प्रशासन से अनापत्ति प्रमाणपत्र

संख्या

तारीख

..... सरकार

पशुपालन विभाग

मेवा में,

(आवेदक),

..... (आवेदक का नाम) ने ने पशु चिकित्सा महाविद्यालय में स्थानों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन किया है (फोन नंबर सहित पशु चिकित्सा महाविद्यालय का पूरा पता) । प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार/प्रशासन (राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र) को उक्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय में स्थानों की संख्या में वृद्धि पर कोई आपत्ति नहीं है और इस निमित्त अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है ।

भवदीय,

(राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र सरकार/प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

विषय : अनिवार्यता प्रमाणपत्र

मंख्या

तारीख

..... सरकार

पशुपालन विभाग

सेवा में,

(आवेदक),

महोदय,

वांछित प्रमाणपत्र नीचे दिए अनुसार हैं :—

- (1) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पहले से ही विद्यमान पशु चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थाओं की संख्या ।
- (2) उपलब्ध सीटों की संख्या या वार्षिक रूप से स्नातक होने वाले पशु चिकित्सा चिकित्सकों की संख्या ।
- (3) राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या ।
- (4) सरकारी सेवा में पशु चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या ।
- (5) पशु चिकित्सा व्यवसायियों के रिक्त सरकारी पदों की संख्या ।
- (6) ग्रामीण या कठिन क्षेत्रों में सरकार में पशु चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या ।
- (7) रोजगार एक्सचेंज के पास रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या ।
- (8) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस समय पशु चिकित्सा व्यवसायियों का प्राणी जनसंख्या से अनुपात ।
- (9) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस समय पशु चिकित्सा व्यवसायियों का बीमार प्राणी जनसंख्या से अनुपात ।
- (10) राज्य द्वारा शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित पशु चिकित्सा व्यवसायियों का प्राणी जनसंख्या से अनुपात ।
- (11) पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कैसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अर्हित पशु चिकित्सा व्यवसायियों की कमी की समस्या का समाधान करेगी और कैसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में ऐसी पशु चिकित्सा जनशक्ति की उपलब्धता में सुधार करेगी ।
- (12) विद्यार्थियों पर राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा, जो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में अधिवास नहीं करते हैं, पर राज्य में दाखिला अभिप्राप्त करने पर अधिरोपित निर्बंधन, यदि कोई हों, को विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
- (13) प्रस्तावित पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना का पूर्ण न्यायोचित्य ।

..... (आवेदक का नाम) ने स्थानों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन किया है (पशु चिकित्सा महाविद्यालय का पूरा पता) । प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने आवेदक को पशु चिकित्सा महाविद्यालय में स्थानों की संख्या में वृद्धि के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करने का विनिश्चय किया है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि :—

1. आवेदक के स्वामित्व में या प्रबंधन में एक पशु चिकित्सा नैदानिक परिसर (वीसीसी) और अनुदेशात्मक पशुधन फार्म परिसर (आईएलएफसी) है, जैसा कि पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानकों में विनिर्दिष्ट है, जिसकी स्थापना में की गई थी।
2. लोक हित में पशु चिकित्सा महाविद्यालय में स्थानों की संख्या को.....(स्थानों की संख्या) से(स्थानों की संख्या) तक करना वांछनीय है।
3. (पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम) दाखिला क्षमता में उक्त वृद्धि साध्य है।
4. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के संनियमों के अनुसार आवेदक के पास पर्याप्त नैदानिक सामग्री उपलब्ध है।

यह और प्रमाणित किया जाता है कि यदि आवेदक केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित विनियमों और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा विरचित विनियमों के अनुसार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में बढी हुई क्षमता के लिए अवसंरचना का सृजन करने में असफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा बढी हुई क्षमता की अनुज्ञा को वापस ले लिया जाना है तो वह पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को दाखिल न करने में पूर्ण सहयोग देगा।

भवदीय,

(राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र सरकार/प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप 15

विश्वविद्यालय से सहमति पत्र

तारीख

संख्या

स्थान

..... विश्वविद्यालय

.....

.....

विषय : (पशु चिकित्सा महाविद्यालय का पता सहित नाम) के पक्ष में सहमति पत्र।

विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर और विश्वविद्यालय (संबद्धकारी विश्वविद्यालय का नाम) के प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन पर माननीय उप कुलपति (पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम) में स्थानों को (स्थानों की संख्या) से (स्थानों की संख्या) तक बढ़ाने के लिए लिए सहमत हो गए हैं।

रजिस्ट्रार

(नाम और शासकीय मुहर सहित हस्ताक्षर)

प्ररूप 16

पशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरी द्वारा गैर न्यायिक स्टॉप पेपर पर वचनबंध

मैं या हम के (न्यासी या अध्यक्ष या प्रधानाध्यापक या निदेशक या अध्यक्ष या रजिस्ट्रार का नाम) (पशु चिकित्सा महाविद्यालय या न्यास या सोसाइटी आदि का नाम) निम्नलिखित (पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम) को (शैक्षिक सत्र) से दाखिला क्षमता में वृद्धि करने के लिए हमारे आवेदन के संबंध में निम्नलिखित का अनुपालन करने का वचनबंध करते हैं।

1. पशु चिकित्सा महाविद्यालय का प्रबंधन केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित नियमों में विनिर्दिष्ट मानकों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तथा समय समय पर भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा विरचित अभी नियमों के अनुसार अवसंरचना, अनुदेशात्मक और अन्य सुविधाओं को कराने के लिए दाई होगा
2. विद्यार्थियों का दाखिला पात्रता शर्तों को पूरा करने के पश्चात राज्य सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा उसकी नीति के अनुसार संचालित प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा शामिल योग्यता के आधार पर किया जाएगा
3. राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों या निश्चित व्यक्तियों और अन्य वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा
4. पशु चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला केवल केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त अनुज्ञ के पश्चात ही किया जाएगा
5. केंद्रीय सरकार और/ भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट अर्हता के अनुसार युक्तियुक्त रूप से व्यापक विज्ञापन द्वारा और सम्यक्ता गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर या संबद्धकारी विश्वविद्यालय के मानकों के अनुसार नियमित आधार पर पूर्णकालिक कर्मचारीवृंद की नियुक्ति की जाएगी
6. अंशकालीन कर्मचारीवृंद की नियुक्ति राज्य सरकार या संबद्धकारी विश्वविद्यालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी
7. संस्था के शैक्षिक और अन्य कर्मचारीवृंद (जिसे अंतर्गत अंशकालीन कर्मचारीवृंद भी है) को संस्था की सेवा शर्तों के अनुसार वेतन का संदाय किया जाएगा
8. प्रबंधन भविष्य निधि पेंशन, उपदान आदि से संबंधित अपनी कानूनी बाध्यताओं का अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में निर्वहन करेगा
9. पशु चिकित्सा महाविद्यालय का शासी निकाय पशु चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला क्षमता में वृद्धि के आलोक में उचित कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए समाधानप्रद सुविधाएं और पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएगा
10. पशु चिकित्सा महाविद्यालय भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के अधीन समय पर विनिर्दिष्ट सभी शर्तों और मानकों का पालन करेगा और सभी कार्यक्रमों का संचालन ईमानदारी पूर्वक करेगा तथा किसी भी समय भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा निरीक्षण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा
11. (.....सोसाइटी या न्यास या महाविद्यालय या संस्था आदि का नाम) द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद या केंद्रीय सरकार के सन्निधियों और मानकों तथा अधिकृत या विनिर्दिष्ट अन्य शर्त के संबंध में अनुपालन की दशा में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद या केंद्रीय सरकार उसकी मान्यता या अनुज्ञा को प्रभावी रूप से वापस लेने के लिए किसी अन्य मुद्दे पर विचार किए बिना सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे और ऐसे मान्यता वापस लेने से सभी प्रकार के उत्तरदायित्व पशु चिकित्सा महाविद्यालय या उसके शासी निकाय के होंगे

12. पशु चिकित्सा महाविद्यालय किसी भी बैच में किसी पाठ्यक्रम को रोकना अनुज्ञात नहीं करेगा और जहां यह पूरा हो जाए वहां उस पर या बैच के पूरा होने पर उसे रोकने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से सहमति प्राप्त करेगा
13. पशु चिकित्सा महाविद्यालय के शासी निकाय ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा दाखिला क्षमता में वृद्धि करने के लिए उप दर्शित सभी सन्नियमों और शर्तों को देख लिया है, उन का अध्ययन कर लिया है तथा उन्हें समझ लिया है जिसके अंतर्गत यथास्थिति पशु चिकित्सा शिक्षा न्यूनतम मानक, 2016 द्वारा प्रस्तावित वृद्धि के लिए उपदर्शित विनियम भी है तथा वह उनको पूरा करते हैं या निरीक्षण के समय उनको पूरा कर सकते हैं जिसके ना हो सकने पर वह प्रतिकूल विनिश्चय को स्वीकार करने के लिए तैयार है
14. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा दिए गए अनुमोदन के कारण पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्वता ही केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से किसी वित्तीय अनुदान या सहायता दिया समर्थन का स्वतः दावाकर्ता नहीं बन जाएगा
15. महाविद्यालय के नाम और पते में केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन को अभिप्राप्त किए बिना परिवर्तन नहीं किया जाएगा

(प्राधिकृत प्रतिनिधि या हस्ताक्षरकर्ता के शासकीय पद और उसकी कार्यालय की मोहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम स्पष्ट अक्षरों में

स्थान

तारीख

साक्षी

1.

2.

प्रारूप 17

महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरी द्वारा गैर न्यायिक स्टॉप पेपर पर वचनबंध

मैं या हम के (रजिस्ट्रार या विश्वविद्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी का नाम) (विश्वविद्यालय का नाम) निम्नलिखित का (संस्था या पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) को (शैक्षिक सत्र) मान्यता अनुदत्त करने के लिए हमारे आवेदन के संबंध में निम्नलिखित का अनुपालन करने का वचनबंध करते हैं।

1. समय-समय पर यथा संशोधन पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों के अनुसार आवश्यक अवसंरचना, अनुदेशात्मक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
2. पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले विद्यार्थियों का दाखिला राज्य सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा उसकी तिथि के अनुसार संचालित प्रवेश परीक्षा में योग्यता के आधार पर किया जाएगा।
3. राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों या निश्चित व्यक्तियों और अन्य प्रवर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा।
4. पाठ्यक्रम में प्रस्तावित वृद्धि केवल केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त अनुज्ञ के पश्चात् ही की जाएगी।
5. पूर्णकालिक कर्मचारीवृंद की नियुक्ति केंद्रीय सरकार और/ भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट अर्हता के अनुसार युक्तियुक्त रूप से व्यापक विज्ञापन द्वारा और सम्यक्ता गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर या संबद्धकारी विश्वविद्यालय के सन्नियमों और मानकों के अनुसार नियमित आधार पर की जाएगी।
6. अंशकालीन कर्मचारीवृंद की नियुक्ति राज्य सरकार या संबद्धकारी विश्वविद्यालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी।
7. संस्था के शैक्षिक और अन्य कर्मचारीवृंद (जिसके अंतर्गत अंशकालीन कर्मचारीवृंद भी है) को संस्था की सेवा शर्तों के अनुसार वेतन का संदाय किया जाएगा।
8. विश्वविद्यालय भविष्य निधि पेंशन, उपदान आदि से संबंधित अपनी कानूनी बाध्यताओं का अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में निर्वहन करेगा।
9. विश्वविद्यालय उचित कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए वृद्धि के आलोक में समाधानप्रद सुविधाएं और पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएगा।
10. विश्वविद्यालय भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा समय पर विनिर्दिष्ट सभी शर्तों और मानकों का कठोरता से पालन करेगा और सभी कार्यक्रमों का संचालन ईमानदारी पूर्वक करेगा तथा किसी भी समय भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा निरीक्षण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा।
11. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद या केंद्रीय सरकार के सन्नियमों और मानकों तथा अधिकथित या विनिर्दिष्ट अन्य शर्त के संबंध में अननुपालन की दशा में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद या केंद्रीय सरकार उसकी मान्यता या अनुज्ञा को प्रभावी रूप से वापस लेने के लिए किसी अन्य मुद्दे पर विचार किए बिना सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे और ऐसे मान्यता वापस लेने से सभी प्रकार के उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय के होंगे।
12. विश्वविद्यालय किसी भी बैच में किसी पाठ्यक्रम को रोकना अनुज्ञात नहीं करेगा और जहां यह पाठ्यक्रम पूरा हो जाए वहां उसको या बैच के पूरा होने पर उसे रोकने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से सहमति प्राप्त करेगा।
13. विश्वविद्यालय ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा क्षमता में वृद्धि के लिए अनुज्ञा देने के लिए उपदर्शित सभी सन्नियमों और शर्तों को देख लिया है, उन का अध्ययन कर लिया है तथा उन्हें समझ लिया है जिसके अंतर्गत यथाम्थिति पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक,

2016 द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए उपदर्शित विनियम भी है तथा वह उनको पूरा करते हैं या निरीक्षण के समय उनको पूरा कर सकते हैं जिसके ना हो सकने पर वह प्रतिकूल विनिश्चय को स्वीकार करने के लिए तैयार है।

14. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा दिए गए अनुमोदन के कारण विश्वविद्यालय स्वता ही केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से किसी वित्तीय अनुदान या सहायता दिया समर्थन का स्वतः दावाकर्ता नहीं बन जाएगा।

(प्राधिकृत प्रतिनिधि या हस्ताक्षरकर्ता के शासकीय पद और उसकी कार्यालय की मोहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम स्पष्ट अक्षरों में

स्थान :

तारीख :

साक्षी :

1.

2.

[फा. सं. के-12052-5(5251)/3/2017-एलएच]

मिहीर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2017

G.S.R. 489(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 64 read with section 15 and section 21 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

PART I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Veterinary Council of India (Procedure for recognition and de-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, –

(a) ‘Act’ means the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);

(b) ‘Advisory Committee’ means the committee constituted by the Central Government under rule 16 of these rules;

(c) “Council” means the Veterinary Council of India established under section 3 of the Act;

- (d) **“Form”** means a form annexed to these rules;
 - (e) **“First Schedule”** means the First Schedule to the Act ;
 - (f) **“MSVE Regulations”** means the Veterinary Council of India Minimum Standards of Veterinary Education - (Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry – Degree Course) Regulations, 2016;
 - (g) **“President”** means the President of the Council;
 - (h) **“Provisionally recognised veterinary college”** means a veterinary college which is not included in the First Schedule and where admissions of students are allowed by the Central Government by grant and renewal of letter of permission under these rules.
 - (i) **“Recognised veterinary college”** means a Veterinary College recognised by the Central Government by including it in the First Schedule in the manner specified in the Act and these rules;
 - (j) **“Recognised veterinary qualification”** means recognised veterinary qualification as defined in clause (e) of section 2 of the Act;
 - (k) **“Schedule”** means a schedule annexed to these rules;
 - (l) **“University”** means a university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act granting veterinary qualification through its constituent or affiliated veterinary college;
 - (m) **“Veterinary College”** means a college or institution, being either a constituent college of a University or affiliated to a University, and engaged in teaching of Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry degree course or any other veterinary qualification;
 - (n) **“Veterinary Institution”** means the institutions as defined in clause (j) of section 2 of the Act ;
 - (o) **“Veterinary qualification”** means and includes the following degrees and diplomas namely : -
 - (i) Bachelor of Veterinary Sciences and Animal Husbandry (B.V.Sc and A.H.);
 - (ii) Bachelor of Science (Vety.) (B.Sc. (Vet.));
 - (iii) Bachelor of Veterinary Animal Science (B.V.A.Sc.);
 - (iv) Bachelor of Veterinary Sciences (B.V.Sc);
 - (v) Graduate in Veterinary Sciences and Animal Husbandry (G.V.Sc. and A.H.);
 - (vi) Graduate of Bengal Veterinary College (G.B.V.C.);
 - (vii) Graduate of Bihar Veterinary College (G.B.V.C.);
 - (viii) Graduate of Bombay Veterinary College (G.B.V.G.);
 - (ix) Graduate of Madras Veterinary College (G.M.V.G.);
 - (x) Graduate in Veterinary Sciences (G.V.Sc);
 - (xi) Any other degree or diploma or any other veterinary qualification included in the First Schedule.
- (2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

PART II

ELIGIBILITY CRITERIA FOR RECOGNITION OF VETERINARY COLLEGES

3. **Recognition of veterinary colleges**— No person shall establish a Veterinary College and no Veterinary College shall admit students or increase the intake of students beyond the permitted number, except after obtaining prior permission from the Central Government in accordance with these rules.

4. **Eligibility Criteria for recognition of veterinary colleges: —**

The following organisations shall be eligible to apply in Form-I for recognition of a veterinary college or veterinary qualification, namely:-

- (i) a State Government or Union territory;
- (ii) a University;
- (iii) an autonomous body promoted by the Central and State Government by or under a statute for the purpose of veterinary education;
- (iv) a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or corresponding Acts in States, if any;
- (v) a public religious or charitable trust created and registered under the Public Trusts Act, or any like Act, in force in the State where such trust is domiciled or a waqf registered under the Waqf Act, 1995 (43 of 1995);

5. **Qualifying criteria**.- The organizations eligible under rule 4 shall qualify to apply for recognition of Veterinary College or a Veterinary qualification, if the following conditions are fulfilled, namely:-

- (a) the applicant shall be in control and management of the Veterinary College through which it intends for veterinary qualification or impart veterinary education and training to students leading to the grant of a Veterinary qualification ;

Explanation :- For the purpose of these rules, a person shall be deemed to be in control and management of a Veterinary College when it has the right to appoint or remove the governing body or head of the Veterinary College and is in control of finances or funding of the Veterinary College.

- (b) in case the applicant falls in any of the categories other than the categories under clauses (i), (ii) and (iii) of rule 4, it should have imparting of veterinary education and training as one of its main objectives;
- (c) the applicant has requisite financial capabilities, as demonstrated by its annual returns and accounts for the last three years, to establish and maintain a Veterinary College and its ancillary facilities, including a teaching veterinary hospital or a Veterinary Clinical Complex and an Instructional Livestock Farm Complex as per the minimum standard of veterinary education regulations;
- (d) suitable land of the size, as specified under the minimum standard of veterinary education regulations, to house all structures and encamp all the facilities, as specified under the minimum standard of veterinary education regulations,, is owned and possessed by the applicant or is possessed by the applicant under a lease of thirty years or more from the concerned Government or Government agency and that the said piece of land or the lease, as the case may be, stands duly registered in the name of the applicant.

Provided also that, the Instructional Livestock Farm Complex shall be within a radius of twenty Kilometers of the campus of the Veterinary College.

Provided that all infrastructural facilities specified herein and in the minimum standard of veterinary education regulations, except for the Instructional Livestock Farm Complex, shall be on a single contiguous plot of land.

Provided further that, all such permissions as may be necessary for construction, establishment, maintenance and operation of the Veterinary College, including a veterinary hospital or veterinary clinical complex and instructional livestock farm complex, has been taken from the competent government agency;

- (e) the building plan of the Veterinary College shall be prepared by an architect registered with the Council of Architecture constituted under the Architects Act, 1972(20 of 1972), and duly approved by the competent authority as designated by concerned State Government or Union territory;
- (f) the applicant owns and manages a veterinary clinical complex or a veterinary hospital or has an arrangement with a State veterinary hospital, and an Instructional Livestock Farm Complex, as laid down in the minimum standard of veterinary education regulations, equipped with all infrastructural facilities as specified therein and the veterinary hospital or Veterinary Clinical Complex, if owned by the applicant, shall be within the campus of the Veterinary College and under full financial and technical control of the applicant;
- (g) the applicant has recruited teaching and non-teaching staff required for the first academic year, as specified in MSVE regulations, and prepared a 'manpower programme' for implementation in the Veterinary College upon receipt of the letter of permission from the Central Government and Such manpower programme shall be in consonance with the requirements specified in MSVE regulations and shall provide for department-wise and year wise planning in respect of;
 - (i) teaching staff (regular),
 - (ii) technical staff (regular),
 - (iii) administrative staff (regular),
 - (iv) ancillary staff,
 - (v) salary structure,
 - (vi) recruitment procedure, and
 - (vii) recruitment calendar

Provided that in addition to recruiting the teaching and non-teaching staff for the first academic year, the applicant, other than an applicant falling within the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of rule 4, shall also be required to submit as part of its application in Form-I, the documentary proof of having created a fixed deposit for a minimum duration of two years with a Scheduled bank for an amount equivalent to the estimated cost of salaries and other benefits payable to the teaching staff for the second academic year. *

- (h) the applicant shall have already constructed and set up, at least for the first and second academic years, the required infrastructural facilities as stipulated in Schedule II hereto and in accordance with the standards specified in the minimum standard of veterinary education regulations ;
- (i) the applicant has prepared time bound programmes to provide for additional manpower for the second, third and fourth academic years, and additional infrastructural facilities, including in relation to veterinary clinical complex and Instructional Livestock Farm Complex, for the third and fourth academic years, in accordance with the standards specified in the minimum standard of veterinary education regulations, so as to collectively provide and complete all the necessary facilities within a period of one year from the date of grant of the letter of permission, by the Central Government to commence the admissions to the Veterinary College; *
- (j) the Veterinary College shall not have the words such as, 'Government' or 'Indian' or 'National' or 'All India' or any other names prohibited under the Emblems and Names (Prevention of Improper Use), 1950 as part of its name in any form so as to give an impression that the said Veterinary College belongs to or is managed by the Government or has Government patronage and these restrictions shall not be applicable for those Veterinary Colleges which are established by or under and with the name approved by the State or Central Government.

PART III

APPLICATION FOR RECOGNITION OF A VETERINARY COLLEGE OR VETERINARY QUALIFICATION

6. Application for recognition of a Veterinary College or veterinary qualification.-

- (1) The application for recognition of a Veterinary College or veterinary qualification shall be submitted in Form-I by any of the organisations eligible under rule 4, who duly qualify under rule 5 to make such an application, along with the documents as may be specified by these rules, to the Secretary, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi - 110011.
- (2) The application under sub-rule (1) of rule 6 shall be accompanied by the documents as specified in Form-I and a detailed project report along with proposed fund flow statement for next five years duly certified by a registered Cost Accountant or Chartered Accountant and the detailed project report shall include the building programme, educational programme, functional programme, equipment programme and manpower programme.

7. Procedure for evaluation of the application for recognition.- (1) On receipt of an application in the specified Form along with the prescribed fee, the Central Government shall refer such application to the Council for evaluation and recommendations and all applications under these rules shall be processed according to the time-schedule specified in **Schedule I**.

- (2) The Council shall scrutinise the applications and any application that is found incomplete in any respect or where the applicant does not meet the eligibility or qualification criteria, shall be returned by the Council to the applicant, with a copy marked to the Central Government, pointing out the deficiencies observed in the application during the scrutiny and giving an opportunity to the applicant to rectify the said deficiencies within the time specified in **Schedule I**.
- (3) The applications which are found complete and where the applicant fulfills the criteria under rule 4 and 5, shall be placed before the Executive Committee of the Council constituted under section 12 of the Act, which shall examine the said applications on the basis of the requirements stipulated in these rules and the requirements under the minimum standard of veterinary education regulations.
- (4) Upon examination of the application, if the Executive Committee decides that it is a fit case for conducting physical inspection of the Veterinary College, it shall depute such number of inspectors as if deemed necessary for inspection of the Veterinary College in accordance with the provision of section 19 of the Act, the minimum standard of veterinary education regulations and the Veterinary Council of India (Inspectors and Visitors) Regulations, 1991.
- (5) Where the Council forms an opinion that the application shall be rejected without conducting a physical inspection, it shall reject the application giving sufficient reasons and intimate the applicant of such rejection with a copy to the Central Government.
- (6) After the inspection is completed, the inspectors shall prepare a report on the adequacy of the standards of veterinary education including infrastructure, staff, equipment, accommodation, training and other facilities available at the Veterinary College and shall submit the same to the Executive Committee of the Council.
- (7) The Executive Committee, after considering the report mentioned in sub-rule (6), shall send a copy of the said report, with such remarks as may be necessary, to the applicant seeking comments on the contents of the said report and a copy of the inspection report shall also be forwarded by the Council to the concerned University.

- (8) After receipt of the comments from the Veterinary College, the Council shall forward the inspectors' report mentioned in sub-rule (6), along with the Executive Committee's remarks and the comments received from the applicant to the Central Government with a recommendation whether to issue a Letter of Intent to the applicant or not.
- (9) Where the Council recommends issuance of the Letter of Intent to the Central Government, it shall along with its recommendation also specify such additional requirements that need to be fulfilled by the applicant or such deficiencies that need to be cured, before a Letter of Permission can be granted in favour of the applicant by the Central Government.
- (10) Where the Council recommends to the Central Government against the issue of Letter of Intent to the applicant, it shall submit its reasons for such recommendation in writing and the Central Government may, decide to issue a Letter of Intent to the applicant despite the recommendation to the contrary received from the Council.
- (11) The Letter of Intent issued by the Central Government shall, *inter alia*, contain details of such additional requirements or deficiencies as communicated to it by the Council in addition to any other conditions or modifications, including the submission of bank guarantee by applicants not falling under clauses (i) and (ii) of rule 4, as required under these rules, as the Central Government may deem fit to impose for grant of the Letter of Permission :

Provided that the applicants falling under clauses (i) and (ii) of rule 4 shall be exempted from submission of such bank guarantee subject to that they submit an undertaking from the concerned University and the Chief Secretary of the concerned State or the equivalent official of the concerned Union territory, as the case may be, to ensure compliance of minimum standard of veterinary education regulations in the Veterinary College at all times and a copy of the Letter of Intent shall also be forwarded by the Central Government to the Council and the concerned University.

- (12) The applicant shall be required to convey its acceptance of the Letter of Intent, in writing, to the Central Government accompanied with documentary evidence of the applicant having satisfied the conditions stipulated in the Letter of Intent or an undertaking, in the form of an affidavit signed by a member of the governing body of the applicant, as the case may be, to meet such conditions and the acceptance received from the applicant shall be forwarded by the Central Government to the Council for its consideration for the purpose of making appropriate recommendation to the Central Government regarding the issuance of Letter of Permission to the applicant.
- (13) Subject to the applicant meeting the conditions laid down in the Letter of Intent or its undertaking in writing to meet the conditions and comply with the modifications and other additional requirements contained in the Letter of Intent, and submission of the bank guarantee as required (if applicable), the Council shall send its recommendation in writing to the Central Government recommending the grant or otherwise of the Letter of Permission to the applicant and such recommendation shall also include the number of seats in the Veterinary College proposed to be established by the applicant may be allowed to have in its first two academic years.
- (14) On recommendation of the Council, the Central Government may issue a Letter of Permission to the applicant permitting the applicant to admit students to the Veterinary College in accordance with these rules and a copy of the Letter of Permission shall also be forward by the Central Government to the Council and the concerned University.
- (15) Where the Council recommends against the grant of the Letter of Permission to the applicant, it shall convey its reasons for such recommendation to the Central Government in writing.
- (16) If the Central Government decides not to issue the Letter of Permission, its decision along with the recommendation received from the Council shall be conveyed to the applicant, with a copy to the Council and the concerned University, and the bank guarantee furnished by the applicant at the time of making such

application shall be released in favour of the applicant. Provided, the fee paid by the applicant along with the application shall not be refunded.

✓ 8. **Letter of Permission.-** (1) The Letter of Permission shall be granted for the first two academic years in the first instance and the Veterinary College shall only be allowed to admit students for the first and second academic years.

✓ (2) The grant of the Letter of Permission shall be subject to the applicant satisfying requirements stipulated in the Letter of Intent and, in case of applicants not falling under clauses (i) and (ii) of rule 4, furnishing a bank guarantee for an amount of Rs. 5,00,00,000/- (Rupees Five Crores only) in favour of "Veterinary Council of India" from a Scheduled bank situated in Delhi and which shall initially be valid for a period of five years and thereafter, the said bank guarantee shall be extended from year to year by the applicant and shall at no point of time be allowed to lapse.

✓ (3) In case of applicants not falling under clauses (i) and (ii) of rule 4, the grant of the Letter of Permission shall also be subject to the applicant furnishing adequate documentary proof of having created a fixed deposit for a minimum duration of two years with a Scheduled bank equal to the amount of estimated annual salaries payable to the faculty proposed to be employed by the Veterinary College during its second academic year.

9. **Renewal of letter of permission -**

(1) The permission granted by the Letter of Permission shall be renewable for the third and fourth academic years subject to verification of the progress of the targets as submitted by the applicant as part of its application in Form-I as well as any targets specified in the Letter of Intent issued by the Central Government to the applicant.

(2) All applications under these rules for renewal of the Letter of Permission shall be processed according to the time-schedule specified in **Schedule III**.

(3) The applicant shall apply to the Secretary, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi - 110011, for renewal of the Letter of Permission at least one year prior to the scheduled commencement of its third academic year in Form - X.

(4) Prior to making the application in Form-X, the applicant shall have to,

(i) comply all the targets as projected by it in the detailed project report submitted along with Form-I as well as the targets specified in the Letter of Intent;

(ii) recruit teaching and non-teaching staff required for the third academic year, as specified in minimum standard of veterinary education regulations and prepare a 'manpower recruitment programme' for implementation in the fourth academic year and in case of applicants not falling under clauses (i) and (ii) of rule 4, in addition to recruiting the teaching and non-teaching staff for the third academic year, the applicant shall also be required to submit as part of its application in Form-X, documentary proof of having created a fixed deposit for a minimum duration of two years with a Scheduled bank for an amount equivalent to the estimated cost of salaries and other benefits payable to the teaching staff for the fourth academic year.

(5) Upon receipt of the renewal application, the Central Government shall forward the same to the Council and the Council shall, after conducting scrutiny of the application, depute such number of inspectors as deemed necessary for inspection of the Veterinary College in accordance with the provision of section 19 of the Act, the minimum standard of veterinary education regulations and the Veterinary Council of India (Inspectors and Visitors) Regulations, 1991.

(6) The inspection of Veterinary College shall be conducted by the inspectors in accordance with the procedure specified in the Veterinary Council of India (Inspectors and Visitors) Regulations, 1991 and after the inspection is completed, the inspectors shall prepare an inspection report on the adequacy of the standards of veterinary education including infrastructure, staff, equipment, accommodation, training and other

facilities available at the Veterinary College and shall submit the same to the Executive Committee of the Council.

- (7) The Executive Committee, after considering the report mentioned in sub-rule (6), shall send a copy of the said report, with such remarks as may be necessary, to the applicant seeking comments on the contents of the said report and copy of such inspection report shall also be forwarded by the Council to the concerned University.
- (8) After receipt of the comments from the applicant, the Council shall forward the inspectors' report specified in sub-rule (6), along with the Executive Committee's remarks and the comments received from the Veterinary College, to the Central Government with a recommendation whether to renew the Letter of Permission granted to the Veterinary College or not.
- (9) Where the Council recommends against the renewal of the permission to the applicant, it shall convey its reasons for such recommendation to the Central Government in writing.
- (10) If the Central Government decides not to renew the permission, its decision along with the recommendation received from the Council shall be conveyed to the applicant, with copies to the Council and the concerned University.
- (11) If the Council recommends the renewal of the Letter of Permission to the applicant, the Central Government may renew the permission in favour of the applicant permitting the applicant to admit students to the Veterinary College for the third and fourth academic years and a copy of such renewal of Letter of Permission shall also be forwarded by the Central Government to the Council and concerned University.
- (12) In the event of non-renewal of the Letter of Permission to a Veterinary College in respect of any succeeding academic year, the students of the said Veterinary College shall be shifted to a recognised Veterinary College as provided in these rules hereinafter.
- (13) If the application for renewal of permission of a Veterinary College is rejected, the applicant may apply again after removing the deficiencies which had caused the rejection of application for renewal and in case the Veterinary College is granted permission to admit students at a later stage, the case shall be treated as a fresh case and only such students as are admitted after the grant of permission or renewal by the Central Government shall be considered for the award of a Recognised Veterinary Qualification and the applicant shall have to procure an undertaking to this effect from the University to which it is affiliated.

10. Grant of recognition to a Veterinary College or Veterinary Qualification by inclusion in the First Schedule.-

- (1) A provisionally recognized Veterinary College shall be required to apply to the Secretary, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi - 110011 in the specified **Form - XI** at least one year prior to the scheduled commencement of its fourth academic year for its inclusion in the First Schedule ("**Application for final recognition**").
- (2) The application for final recognition shall be accompanied with a Project Report showing that the said Veterinary College has all the necessary facilities, manpower and equipments as per the standards specified in the minimum standard of veterinary education regulations, and such other documents as may be specified in Form-XI and the application for final recognition shall be processed in accordance with **Schedule-IV**.
- (3) The procedure specified in rule 9 for scrutiny and examination of the renewal application, deputation of inspectors for inspecting the Veterinary College, inspection of the veterinary college, consideration of the inspection report by the Council, sending of the inspection report to the concerned Veterinary College and the University, receipt of comments from the Veterinary College on the inspection report, shall apply *mutatis mutandis* to the application for final recognition made in rule 10.

- (4) After consideration of the comments made by the Veterinary College on the inspection report, if any, the Council shall forward the inspection report, the comments received from the Veterinary College on the inspection report and its recommendation under sub-section (2) of section 15 of the Act whether to include the Veterinary College or the Veterinary Qualification in the First Schedule or not, to the Central Government and where the Council makes a recommendation against inclusion of the Veterinary College or the Veterinary Qualification in the First Schedule, it shall state its reasons for such recommendation in writing.
- (5) Based on the recommendation received from the Council, the Central Government may include the name of the Veterinary College or the Veterinary Qualification both in the First Schedule and shall issue a certificate of recognition to the Veterinary College and a copy of such certificate of recognition shall also be forwarded by the Central Government to the Council and the concerned University.
- (6) If the Central Government is of the view that the recognition under sub-section (2) of section 15 of the Act to any Veterinary Qualification shall not be granted, the reasons for such refusal shall be recorded and communicated to the applicant or the Veterinary College in writing, with copies to the Council and the concerned University.
- (7) If the Central Government decides to not grant recognition to a Veterinary College, the students of the said Veterinary College shall be shifted to a recognised Veterinary College as provided in these rules hereinafter.

11. Phase wise requirements.- The applicant seeking recognition under these rules shall create such minimum physical facilities and appoint such minimum manpower in the Veterinary College in different phases as specified in **Schedule II**.

PART IV

APPLICATION FOR INCREASING THE ADMISSION CAPACITY IN THE RECOGNISED VETERINARY COLLEGE

- 12. Application for increasing the admission capacity in the recognised Veterinary College.-** (1) An application for expansion of a recognised Veterinary College or Veterinary Institution or increasing the number of intake of students in the recognised Veterinary College or Veterinary Institution or both shall be submitted in **Form-XII**, along with such fee and other documents as may be specified by these rules, to the Secretary, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi – 11001.
- (2) The application under sub rule (1) shall be accompanied by the documents as specified in Form-IA along with, where applicable, a detailed project report which shall include the building programme, educational programme, functional programme, equipment programme and manpower programme that the applicant intends to implement to provide necessary facilities for the increased number of students.
- 13. Qualifying criteria for submission of application for increase in admission capacity of a recognised Veterinary College.-** A recognised Veterinary College shall qualify to apply for increasing its admission capacity if the following conditions are fulfilled, namely: -
- (a) the applicant has obtained an essentiality certificate in the specified format from the respective State Government or the Union territory administration, as the case may be, regarding feasibility and desirability of increasing the admission capacity in the existing recognized Veterinary College to the proposed capacity;
 - (b) the applicant has obtained a "No Objection Certificate" in the specified format from the respective State Government or Union territory Administration for the increase in the admission capacity of the concerned Veterinary College to the proposed capacity;

- (c) the applicant has obtained a Letter of Consent from the affiliating University for the increase in the admission capacity of the concerned Veterinary College to the proposed capacity;
- (d) the applicant has the necessary financial capabilities, as demonstrated by the annual returns and accounts for the last three years, to maintain the Veterinary College with the increased admission capacity;
- (e) that suitable land of the size, as specified under the minimum standards of veterinary education regulations, to house all structures and encamp all necessary facilities with respect to the proposed increased student intake capacity, as specified under the minimum standards of veterinary education regulations, is owned and possessed by the applicant or is possessed by the applicant under a lease of thirty years or more from the concerned Government or Government agency and that the said piece of land or the lease, as the case may be, stands duly registered in the name of the applicant and all infrastructural facilities, except for the instructional livestock farm complex, shall be on a single contiguous plot of land.

Provided that, all such permissions as may be necessary for construction, establishment, maintenance and operation of the additional infrastructure at the Veterinary College, including a veterinary hospital or Veterinary Clinical Complex and Instructional Livestock Farm Complex, has been taken from the competent government agency;

- (f) the building plan of the proposed additional infrastructural facilities to be constructed by the applicant in the Veterinary College to meet the requirements with respect to the proposed increased admission capacity as stipulated in the minimum standards of veterinary education regulations, shall have been prepared by an architect registered with the Council of Architecture constituted under the Architects Act, 1972(20 of 1972), and duly approved by the competent authority as designated by concerned State Government or Union territory.

14. Procedure for evaluation of application for increase in admission capacity of a recognised Veterinary College or a Veterinary Institution offering a recognised Veterinary Qualification.-

- (1) On receipt of an application for increase in admission capacity in the specified Form along with the specified fee, the Central Government shall refer such application to the Council for evaluation and recommendations within a period of fifteen days from the date of receipt of application.
- (2) The procedure specified in rule 9 for scrutiny and examination of the renewal of the letter of permission application, deputation of inspectors for inspecting the Veterinary College, inspection of the Veterinary College, consideration of the inspection report by the Council, sending of the inspection report to the concerned Veterinary College and the University, receipt of comments from the Veterinary College on the inspection report, shall apply *mutatis mutandis* to the application for increasing the admission capacity made under rule 12.
- (3) After consideration of the comments made by the Veterinary College on the inspection report, if any, the Council shall forward the inspection report, the comments received from the Veterinary College on the inspection report and its recommendation under sub-section (2) of section 15 of the Act whether to permit the increase the seats of the admission capacity of the applicant Veterinary College, to the Central Government and where the Council makes a recommendation against grant of the permission, it shall state its reasons for such recommendation in writing.
- (4) Based on the recommendation received from the Council, the Central Government may permit the increase in admission capacity of the recognised Veterinary College by issuing a certificate of permission to the recognised Veterinary College with copies to the Council and the concerned University.
- (5) If the Central Government is of the view that the permission to increase the admission capacity shall not be granted, the reasons for such refusal shall be recorded and communicated to the applicant or the recognised Veterinary College in writing, with copies to the Council and the concerned University.

15. **Fee-** The applications in Form-I, Form - X, Form - XI and Form - XII shall be accompanied with a fee of rupees one lakh fifty thousand only and the fee shall be deposited by way of a Demand Draft or Pay Order in the name of Veterinary Council of India, payable at New Delhi and applicants falling under clauses (i) and (ii) of rule 4 shall be exempted from such application fee.

PART V

ADVISORY COMMITTEE

16. **Advisory Committee.-** (1) Notwithstanding anything contained in these rules or any other law for the time being in force, if the Council fails to make any recommendation, within the specified time as required in these rules, to the Central Government for the purpose of recognition of Veterinary Qualification or Veterinary College for any academic year, including the recommendation for inclusion of the Veterinary College or the Veterinary Qualification in the First Schedule, or in respect of an application for increasing the admission capacity of a recognised Veterinary College, the Central Government may constitute an Advisory Committee of experts and delegate the duties of the Council in respect of inspection of Veterinary Colleges and recommendations to the Central Government under these rules to such Advisory Committee.

(2) The Advisory Committee referred to in sub-rule (1) shall comprise of the following members, namely:-

- (i) One member from Indian Council of Agricultural Research to be nominated by the Director General of the Indian Council of Agricultural Research;
- (ii) Vice Chancellors of two Universities which, or Veterinary Colleges affiliated to which, are included in the First Schedule, to be nominated by the Central Government;
- (iii) Dean or Associate Dean of a recognized Veterinary College to be nominated by the Central Government;
- (iv) Principal Secretary or Secretary, Department of Animal Husbandry, of the concerned State or his nominee who shall not be an officer below the rank of Director or Commissioner or Director General.

(3) For the purpose of these rules, the Advisory Committee shall have all the powers vested in the Council to enable it to perform its functions, including the power to, if it deems necessary, appoint such number of veterinary inspectors as it may deem fit to inspect the concerned Veterinary College for the purpose of making the required recommendation to the Central Government.

(4) The veterinary inspectors appointed by the Advisory Committee shall have all the rights and duties of the veterinary inspectors appointed by the Council under section 19 of this Act and the Veterinary Council of India (Inspectors and Visitors) Regulations, 1991.

(5) If in a particular case, an inspection has already been conducted by the Council and report thereof submitted to the Central Government, the Advisory Committee may instead of conducting a fresh inspection, make its recommendation to the Central Government on the basis of the existing inspection report and if the Advisory Committee deems necessary, it may summon the concerned veterinary inspectors to provide such explanations and clarifications as may be required for the purpose of making the recommendation to the Central Government.

(6) The recommendation of such Advisory Committee shall have the same effect as any recommendation of the Council to the Central Government.

(7) The Advisory Committee shall be dissolved after its recommendation specified under sub-rule (1).

(8) The terms and conditions of services of such members of the Advisory Committee constituted by the Central Government shall be as per the prevailing General Financial Rules of the Government of India.

PART VI

INSPECTION

17. **Inspection of Veterinary Colleges or Veterinary Institutions already included in the First Schedule.-** (1) The Veterinary Institutions or Veterinary Colleges which are already included or Veterinary Qualifications which are already granted in the First schedule, shall be inspected by the Council from time to time, in accordance with the provisions of sections 19 or 20 of the Act and the Veterinary Council of India (Inspectors and Visitors) Regulations, 1991, to oversee the compliance of these rules and minimum standard of veterinary education regulations.

- (2) In the event of the inspection being conducted by Inspectors, the inspection report shall be placed before the Executive Committee of the Council, while in the event of inspection by Visitors, the inspection report shall be submitted to the President of the Council in confidence.
- (3) If upon considering the inspection report, the Council comes to a conclusion that the circumstances as laid down in clauses (a) of sub-sections (1) and (2) of section 21 of the Act exist in respect of the Veterinary Institution or Veterinary College inspected by the Council, the Council shall make a representation to that effect to the Central Government.
- (4) If upon consideration of such representation, the Central Government concludes it to be a fit case, it may, within thirty days of the receipt of the representation from the Council, send the said representation to the concerned State Government through the Secretary, Department of Animal Husbandry of the State in which the Veterinary College or Veterinary Institution is situated for further action.
- (5) The concerned State Government shall, within thirty days of the receipt of the representation from the Central Government, forward the said representation along with such remarks as it may choose to make to the concerned Veterinary College or Veterinary Institution, requiring the concerned Veterinary College or Veterinary Institution to submit its explanation to the State Government within thirty days of the receipt of the said representation from the State Government.
- (6) Within fifteen days of the receipt of the explanation or, where no explanation is submitted within the period specified in sub-rule (5) hereinabove, then on expiry of that period, the State Government shall make its recommendation to the Central Government regarding the de-recognition of the concerned Veterinary College or Veterinary Institution.
- (7) Within fifteen days of the receipt of the recommendation from the State Government, the Central Government may, if it deems fit, constitute an inquiry committee to make such inquiries into the standards of the concerned Veterinary College or Veterinary Institution as may be necessary and of the inquiry committee constituted under this rule shall submit its report within twenty one days of its constitution.
- (8) Subject to the report submitted by the inquiry committee, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, direct that an entry shall be made in the appropriate Schedule against the concerned Veterinary College or Veterinary Institution declaring that a Veterinary Qualification granted to students of the concerned Veterinary College or Veterinary Institution shall be a recognised Veterinary Qualification only when granted before a specified date:

Provided further that before issuing such notification the Central Government may consult the Indian Council of Agricultural Research.

Provided that the Central Government may issue such notification without constituting any inquiry committee if in its opinion the recommendation received from the concerned State Government is adequate for the purpose.

- (9) The copies of the notification issued by the Central Government under sub-rule (8) shall be sent to the Council, the concerned State Government, the concerned Veterinary College or Veterinary Institution and the concerned University within three days of the publication of the notification in the Official Gazette.

PART VII

RESTORATION OF RECOGNITION OF DE-RECOGNISED VETERINARY COLLEGE OR VETERINARY INSTITUTION

18. **Restoration of recognition of de-recognised Veterinary College or Veterinary Institution:** - A de-recognised Veterinary Institution or Veterinary College, shall not be permitted to admit students for any of its academic years until such time that its recognition or the recognition of the Veterinary Qualification granted by it is restored.

- (1) An application for restoration of recognition of a de-recognised Veterinary Institution or Veterinary College may be made to the Secretary, Department of Animal Husbandry, Dairies and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi - 110001 by furnishing a commitment in the form of an affidavit along with a detailed report, and such documents as may be necessary, for the removal of the deficiencies which had formed the basis of its de-recognition and the affidavit mentioned above shall be signed by a member of the governing body of the Veterinary Institution or Veterinary College duly authorised in this regard:
- (2) On receipt of application from the de-recognised Veterinary Institution or Veterinary College, the Central Government shall follow the similar procedure as applicable to grant of recognition to a Veterinary College by its inclusion in the First Schedule as specified in rule 10.

Provided that the concerned State Government or University in case of Veterinary Institutions or Veterinary Colleges established by a State Government or a University, the said application for restoration of recognition shall be made through the concerned State Government or University, as the case may be, and the detailed report establishing the removal of deficiencies to be submitted along the application shall be duly authenticated, as the case may be.

19. **Shifting of students.** - (1) If a de-recognised Veterinary College fails to restore its recognition at least three months before the commencement of the next immediate academic year, the students already admitted therein shall be assessed by the University by conducting appropriate tests and based on the results of such assessment tests, the students may be shifted to another recognised Veterinary College or Veterinary Institution granting a recognised Veterinary Qualification affiliated to the same University by the Council, with the approval of Central Government:

Provided that if the University has no other Veterinary Colleges or Veterinary Institution affiliated to it, the students of the de-recognised Veterinary College shall be shifted by the Council to a recognised Veterinary College or Veterinary Institution granting a recognised Veterinary Qualification within the same State within which the de-recognised Veterinary College is situated:

Provided that further that if there is no other Veterinary College or Veterinary Institution within the said State, the Council shall be empowered to shift the students to any other recognised Veterinary College or Veterinary Institution granting a recognised Veterinary Qualification in the country:

Provided also that no Veterinary Institution or Veterinary College shall be under an obligation to admit any more students than fifteen percent of its sanctioned number of seats and accordingly the number of seats available for admissions in the consecutive academic year in such Veterinary Institution or Veterinary College shall be reduced by such number of students as admitted by it under this rule:

- (2) If the recognition of a de-recognised Veterinary College is not restored till such time that the students admitted to it need to be shifted to a recognised Veterinary College or Veterinary Institution granting a recognised Veterinary qualification, the bank guarantee submitted by it shall be encashed by the Council with prior permission of the Central Government and the cost of transferring the students under these rules shall be met with the amount realised from encashment of the said bank guarantee under the supervision of the Central Government.

- (3) The provisions of sub-rules (1) and (2) regarding the shifting of students shall also apply to students admitted to a provisionally recognised Veterinary College, Letter of Permission granted to which is not renewed or which is refused final recognition by the Central Government.

[F. No. K-12052-5(5251)/3/2017-LH]

MIHIR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

SCHEDULE - I

Schedule for receipt of applications in Form-I

Sr. No.	Stage of processing	Last Date
1.	Receipt of applications by the Central Government.	By 31 st August
2.	Receipt of applications by the Veterinary Council of India from Central Government.	By 15 th September
3.	Scrutiny of the applications by the Veterinary Council of India and return of applications found defective to the applicant with a copy to the Central Government.	By 1 st October
4.	Re-submission of the application after removal of defects by the applicant	By 15 th October
5.	Recommendations of Veterinary Council of India to Central Government for issue of Letter of Intent.	By 15 th December
6.	Issue of Letter of Intent by the Central Government.	By 1 st January
7.	Receipt of reply from the applicant to the Central Government requesting for Letter of permission.	By 30 th January
8.	Receipt of applicant's reply to the Letter of Intent by the Veterinary Council of India from Central Government.	By 15 th February
9.	Recommendation of Veterinary Council of India to Central Government for issue of Letter of Permission.	By 15 th March
10.	Issue of Letter of Permission by the Central Government.	By 31 st March

SCHEDULE - II

1. Minimum requirements prior to submission of the application in Form-I by the applicant for recognition of Veterinary College:-

- (a) The applicant should have not less than 15 acres of land at its disposal, whether by way of ownership or lease from Government or Government agency of 30 years or more, earmarked for the Veterinary College of which 5 acres minimum should be earmarked for fodder production.
- (b) The Veterinary College shall have an Administrative Block with the following facilities, namely:-
- (i) Dean or Principal's office room with attached toilet room and retiring room,
 - (ii) Personal Staff room,
 - (iii) Committee room,
 - (iv) Visitors' room,
 - (v) Office rooms accommodating office staff of Academic, Accounts and Establishment Sections,
 - (vi) Record room,
 - (vii) Central store room,
 - (viii) Toilet facilities for visitors and office staff,
 - (ix) Typing, Duplicating and Photocopying facilities
- (c) The Veterinary College shall have recruited the following manpower, namely:-
- | | |
|---|---|
| Dean or Principal | 1 |
| Personal Assistant or Personal Secretary to the Dean or Principal | 1 |
| Academic Assistant | 1 |
| Accountant | 1 |
| Establishment Assistant | 1 |
| Computer Operator | 1 |
| Store keeper | 1 |
| Assistant Librarian | 1 |
| Library Attendant | 2 |
| Multi-tasking staff | 1 |
| Drivers | 2 |
| Electrician | 1 |
| Plumber | 1 |
| Gardener | 1 |
| Peon or Messengers | 2 |
| Sweepers | 4 |
- (d) In addition to the above, the Veterinary College shall have the following common facilities, namely -
- (i) College Library equipped with adequate books, journals and periodicals; reprographic and duplication facilities; internet connectivity and reading rooms with adequate seating accommodation;
 - (ii) An auditorium with minimum seating capacity of 300;
 - (iii) Canteen;
 - (iv) A Conference hall with multimedia projections system with minimum seating capacity of 100;
 - (v) Two lecture halls fitted with audio-visual projection system with minimum seating capacity of 100 each;
 - (vi) Distillation or Deionizer plants;
 - (vii) Drinking water facility;
 - (viii) Play grounds with games and sports facilities including indoor games facilities;
 - (ix) Hostels for boys and girls with common room, mess etc.;

- (x) Transport facilities including bus, minibus, staff car, ambulatory van and mobile diagnostic unit;
 - (xi) Central Computer lab;
 - (xii) Photography Unit with all facilities
- (e) The following departments shall have been established in the Veterinary College, and adequate teaching faculty shall have been recruited, in accordance with such requirements relating to buildings, manpower and equipments as stipulated in MSVE Regulations:
- (i) Veterinary Anatomy,
 - (ii) Veterinary Physiology and Biochemistry,
 - (iii) Livestock Production Management,
 - (iv) Veterinary Clinical Complex (VCC),
 - (v) Instructional Livestock Farm Complex (LFC),

2. Minimum requirements prior to submission of the application in Form-X for renewal of Letter of Permission:

The following departments shall have been established in the Veterinary College, and adequate teaching faculty shall have been recruited, in accordance with such requirements relating to buildings, manpower and equipments as stipulated in MSVE Regulations before submission of the application for Renewal of Letter of Permission to the Central Government:

- (a) Veterinary Pathology,
- (b) Veterinary Microbiology,
- (c) Animal Genetics and Breeding,
- (d) Animal Nutrition.

3. Minimum requirements prior to submission of application in Form-XI for Final Recognition of the Veterinary College

The following departments shall have been established in the Veterinary College, and adequate teaching faculty shall have been recruited, in accordance with such requirements relating to manpower and equipments as stipulated in MSVE Regulations before submission of the application for Final Recognition of the Veterinary College to the Central Government:

- (a) Veterinary Pharmacology and Toxicology,
- (b) Veterinary Parasitology,
- (c) Veterinary Public Health and Epidemiology,
- (d) Livestock Products Technology,
- (e) Veterinary and Animal Husbandry Extension Education.

4. Minimum requirements prior to the commencement of the fourth academic year:

The following Departments shall be established in the Veterinary College, and adequate teaching faculty shall have been recruited, at least six months before the start of the annual examinations of the third academic year in accordance with such requirements relating to manpower and equipments as stipulated in MSVE Regulations:

- (a) Veterinary Surgery and Radiology,
- (b) Veterinary Medicine,
- (c) Veterinary Gynaecology and Obstetrics.

SCHEDULE – III**Schedule for receipt of applications in Form-X**

Sr. No.	Stage of processing	Last Date
1.	Receipt of applications by the Central Government.	By 31 st August
2.	Receipt of applications by the Veterinary Council of India from Central Govt.	By 15 th September
3.	Scrutiny of the applications by the Veterinary Council of India and return of applications found defective to the applicant with a copy to the Central Government	By 15 th October
4.	Re-submission of the application after removal of defects by the applicant	By 30 th October
5.	Recommendations of Veterinary Council of India to Central Government for renewal of Letter of Permission	By 15 th January
6.	Issue of Letter of Renewal of Letter of Permission by the Central Government.	By 1 st February

SCHEDULE – IV**Schedule for receipt of applications in Form-XI**

Sr. No.	Stage of processing	Last Date
1.	Receipt of applications by the Central Government.	By 31 st August
2.	Receipt of applications by the Veterinary Council of India from Central Govt.	By 15 th September
3.	Scrutiny of the applications by the Veterinary Council of India and return of applications found defective to the applicant with a copy to the Central Government	By 15 th October
4.	Re-submission of the application after removal of defects by the applicant	By 30 th October
5.	Recommendations of Veterinary Council of India to Central Government for grant of Final Recognition to the Applicant	By 15 th January
6.	Issue of Letter of Recognition by the Central Government to the Applicant.	By 1 st February

FORM- I

**FORMAT OF APPLICATION FOR RECOGNITION BY THE CENTRAL GOVERNMENT OF VETERINARY
QUALIFICATION OR A VETERINARY COLLEGE**

1.	NAME OF THE APPLICANT	
2.	ADDRESS OF REGISTERED OFFICE OF THE APPLICANT (No., Street, City, Pin Code, Telephone, Telex, Telefax)	
3.	CATEGORY OF THE APPLICANT (State Government/ Union territory/ University/ Statutory Autonomous Body/ Society/ Trust/ Waqf)	
4.	Date and Registration No. (in case of a Society/Trust/Waqf) or of Recognition (in case of a University)	
5.	NAME AND ADDRESS OF THE VETERINARY COLLEGE	
6.	NAME OF THE VETERINARY QUALIFICATION	
7.	NAME OF AFFILIATING UNIVERSITY	
8.	BASIC INFRASTRUCTURAL FACILITIES AVAILABLE FOR THE VETERINARY COLLEGE AND THE ATTACHED VCC AND ILFC (Phase Wise Requirements are Described in Schedule II)	
9.	MANAGERIAL CAPABILITY:- Composition of the applicant, particulars of governing body of the applicant, particulars of the head or project director of the Veterinary College along with their qualification and experience in the field of veterinary education	
10.	FINANCIAL CAPABILITY Balance Sheet/ Annual Returns for the last 3 years to be provided if the applicant is a Society or Trust or Waqf.	

11. JUSTIFICATION FOR ESTABLISHMENT

- (a) Needs and availability of trained veterinary manpower in the concerned State or Union Territory;
- (b) Number of livestock including number of veterinary hospitals or dispensaries in the catchment area;
- (c) Reason behind establishment of such Veterinary College by the said applicant

12. EDUCATIONAL PROGRAMME

- (a) Proposed annual intake of students,
- (b) Admission criteria to be adopted,
- (c) Method of admission,
- (d) Reservation or preferential allocation of seats,
- (e) Department wise and year wise curriculum of studies, both theory and practical.

13. FUNCTIONAL PROGRAMME

- (a) Department wise and service wise functional requirements,

(b) Area distribution and room wise seating capability,

(c) Facilities for lectures and seminars.

14. EQUIPMENT PROGRAMME

Department and room wise list of Equipments complete with year wise schedule of quantities and specifications of all equipments required for imparting veterinary education as per minimum standard of veterinary education regulations.

15. MAN POWER PROGRAMME

Department wise and year wise list of recruited or appointed (for the first academic year) and proposed to be recruited or appointed (for the second, third and fourth academic years):

- (a) Teaching staff (regular),
- (b) Technical staff (regular),
- (c) Administrative staff (regular),
- (d) Ancillary staff,
- (e) Salary structure,
- (f) Recruitment procedure,
- (g) Recruitment calendar.

16. BUILDING PROGRAMME

Building wise built up area of:

- (a) Veterinary college (departments, lecture theatre examination hall, museum etc.),
- (b) Veterinary Clinical Complex,
- (c) Instructional Livestock Farm Complex,
- (d) Faculty and staff housing,
- (e) Students hostels,
- (f) Administrative office,
- (g) Library,
- (h) Auditorium,
- (i) Animal house,
- (j) Cultural and recreational centre,
- (k) Sports complex,
- (l) Post-mortem section with incineration facility and waste management system,
- (m) Cadaver and animal experimentation facility,
- (n) Others (state name of the facility).

17. PLANNING AND LAYOUT

- (a) Master plan of the veterinary college, VCC and ILFC,
- (b) Layout plans, sections,
- (c) Elevations and floor wise area calculations of the Veterinary colleges and ancillary buildings.

18. PHASING AND SCHEDULING

Month wise schedule of activities for the third and fourth academic years indicating –

- (a) Commencement and completion of building design,
- (b) Local body approvals,
- (c) Civil construction,
- (d) Provision of engineering services and equipment,

- (e) Requirement of staff,
- (f) Phasing of commissioning.

19. PROJECT COST

- (a) Capital cost of land,
- (b) Buildings,
- (c) Plant and machinery,
- (d) Equipments,
- (e) Furniture and fixtures,
- (f) Preliminary and preoperative expenses.

20. MEANS OF FINANCING THE PROJECT

- (a) Contribution of the applicant,
- (b) Grants,
- (c) Donations ,
- (d) Equity,
- (e) Term loans,
- (f) Other sources (if any).

21. REVENUE ASSUMPTIONS

- (a) Fee structure ,
- (b) Estimated annual revenue from other sources for the next five years,
- (c) Projected total revenue statements for the next five years.

22. EXPENDITURE ASSUMPTIONS

- (a) Estimated operating expenses for the next five years,
- (b) Estimated capital expenditure for the next five years,

23. OPERATING RESULTS

- (a) Income statement for the last 3 years
- (b) Cash flow statement for the last 3 years
- (c) Annual returns for the last 3 years

NOTE:- For Items 14 to 16 a comparative statement showing the relevant Veterinary Council of India norms vis-à-vis infrastructure or faculty available or proposed to be made available should be annexed.

Name and Signature of Applicant

LIST OF ENCLOSURES:

1. Certified copies of complete constitutional documents of the applicant.
2. Certified copy of Certificate of registration or incorporation of the applicant.
3. Certified copy of the resolution or other authorisation document by which the applicant has been authorised to establish a Veterinary College and to make the application under these Rules to seek recognition.
4. No Objection Certificate from the State Government or the Union Territory Government or Administration, as the case may be (**Form-II**).
5. Essentiality Certificate issued by the respective State Government or Union territory Government or Administration, as the case may be (**Form-III**).
6. Certified copy of the letter of consent of affiliation issued by a University (**Form IV**) or the letter/ certificate of affiliation or temporary affiliation issued by a University.

7. Report from the concerned University verifying the physical and other facilities available at the Veterinary College (**Form-V**).
8. A Detailed Project Report including the building programme, educational programme, functional programme, equipment programme and man power programme.
9. Certified copy of the title deeds/ sale deeds/ gift deeds/ any other document in respect of the total available land as proof of its ownership issued by the relevant competent authority.
10. Certified copy of the lease deed of the land, where the land is leased issued by the relevant competent authority.
11. Certified copy of zoning plans of the available sites indicating their land use or land use certificates and land conversion certificates where applicable issued by the relevant competent authority.
12. Certified copies of land records containing map of the area showing the land survey no. and location of the site of Veterinary College and ILFC as well as its access from the nearby and adjoining roads issued by the relevant competent authority.
13. Certified copies of the land records showing the contiguity of the land.
14. An affidavit on a non-judicial stamp paper of Rs. 100 by a member of the governing body of the applicant deposing that the applicant has clear title to the land accompanied with verification or due diligence report by a practising advocate.
15. Certified copy of the Site Plan and building plan of the Veterinary College prepared by an architect registered with the Council for Architecture (COA) and duly approved by the competent Plan Sanctioning Authority of the concerned State or Union Territory Administration.
16. Plan of built up structure available exclusively for the Veterinary College with a table clearly mentioning all rooms, with carpet area of each room (in sq. ft), as specified in MSVE Regulations, certified by an architect registered with the Council of Architecture.
17. Copies of floor plans, sections and elevations of all existing academic buildings including area details certified by an architect registered with the Council of Architecture.
18. An affidavit about building construction with respect to approved building plan, carpet and built up area (sqft.) and number of rooms, LFC, VCC and other infrastructure with respect to Veterinary Council of India norms, on a non-judicial stamp paper of Rs. 100 or- and a certificate of verification from an Architect registered with Council of Architecture.
19. Declarations from the faculty engaged by the applicant Veterinary College (**Form-VI**).
20. Declarations from the administrative, technical, support and ancillary staff recruited by the applicant Veterinary College (**Form-VII**).
21. Copies of Annual reports and Audited Balance sheets for the last three years of the applicant duly certified by a chartered accountant.
22. An affidavit about financial position regarding working capital (funds) as stated in Form – I in the form of FDRs, actual balance in Current & Savings accounts on a non-judicial stamp paper of Rs. 100 or/and a certificate by the Bank Branch Manager;
23. Authorization letter addressed to the bankers of the applicant authorizing the Central Government or Veterinary Council of India to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.
24. Fee, as specified
25. Duly notarised undertaking to be submitted by a Competent or authorised person representing the applicant (**Form – VIII**).
26. Duly notarised undertaking to be submitted by a Competent or authorised official representing the University, where a University is the applicant (**Form – IX**).
27. An affidavit, on a non-judicial stamp paper of Rs. 100, stating that the information given in the application is true and stating that if the applicant fails to disclose all the information or suppresses or misrepresents any of the information or if it is found that the information given in the application is false, it shall be liable to be proceeded against in accordance with law, including but not limited to its de-recognition or withdrawal of the permission granted to it under these Rules.
28. Any other documents that the applicant wishes to submit (Please indicate details).

FORM-II

NO OBJECTION CERTIFICATE FROM STATE GOVERNMENT/ UNION TERRITORY GOVERNMENT/
ADMINISTRATION

No. _____

Dated, _____

Government of _____

Department of Animal Husbandry, _____

To _____

(Applicant),

The (Name of the Applicant) _____ has applied for establishment of a Veterinary College at _____ (complete address of the Veterinary College with phone no.). On careful consideration of the proposal, the Government/ Administration of _____ (Name of the State/ Union Territory) has no objection towards the establishment of a Veterinary College as per the Veterinary Council of India Minimum Standards of Veterinary Education - (Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry – Degree Course) Regulations, 2016, as amended from time to time and this No Objection Certificate is being issued to that effect.

Yours faithfully,

(SIGNATURE OF THE COMPETENT AUTHORITY
OF THE STATE GOVERNMENT/ UNION TERRITORY ADMINISTRATION)

FORM-III

SUBJECT: ESSENTIALITY CERTIFICATE

No. _____

Dated, _____

Government of _____

Department of Animal Husbandry

To (Applicant),

Sir,

The desired certificate is as follows:-

- (1) Number of veterinary college or institutions already existing in the State or Union territory.
- (2) Number of seats available or no. of veterinary doctors graduating annually.
- (3) Number of veterinary practitioners registered with the State Veterinary Council.
- (4) Number of veterinary practitioners in Government service.
- (5) Number of government posts lying vacant for veterinary practitioners

- (6) Number of government posts in rural or difficult areas for veterinary practitioners.
- (7) Number of veterinary practitioners registered with Employment Exchange.
- (8) Veterinary practitioners to animal population ratio presently in the State or Union territory.
- (9) Veterinary practitioners to animal patient ratio presently in the State or Union territory.
- (10) Veterinary practitioners to animal patient ratio proposed to be achieved by the State.
- (11) How the establishment of the Veterinary College would resolve the problem of deficiencies of qualified veterinary practitioners in the State/ Union Territory and improve the availability of such veterinary manpower in the State/ Union Territory.
- (12) The restrictions imposed by the State Government/ Union Territory Administration, if any, on students who are not domiciled in the State/ Union Territory from obtaining admissions in the State, be specified.
- (13) Full justification for establishing the proposed Veterinary College.

The (Name of the person) _____ has applied for establishment of a Veterinary College at _____. On careful consideration of the proposal, the Government of _____ has decided to issue an essentiality certificate to the applicant for the establishment of a Veterinary college with _____ (no. of seats).

It is certified that:-

1. The applicant owns and manages a Veterinary Clinical Complex (VCC) and Instructional Livestock Farm Complex (ILFC) as specified in the Minimum Standards of Veterinary Education Regulations which were established in _____.
2. It is desirable to establish a Veterinary College in the public interest;
3. Establishment of a Veterinary College at _____ by (the name of the applicant) is feasible.
4. Adequate clinical material as per the Veterinary Council of India norms is available with the applicant.

It is further certified that in case the applicant fails to create infrastructure for the veterinary college as per the rules framed by the Central Government and the regulations framed by the Veterinary Council of India, as a result of which the permission for taking fresh admissions is withdrawn by the Central Government, the State Government/Union Territory shall fully cooperate in shifting the students already admitted in the Veterinary College to a recognised Veterinary College.

Yours faithfully,

(SIGNATURE OF THE COMPETENT AUTHORITY)

OF THE STATE GOVERNMENT/ UNION TERRITORY ADMINISTRATION)

FORM- IV

LETTER OF CONSENT FROM THE UNIVERSITY

Dated

No

Place

University of

SUBJECT: CONSENT OF AFFILIATION TO _____ Name of Veterinary College with address)

The Honourable Vice-Chancellor on the basis of the report of the University Inspection Committee and approval of the Board of Management of the University of _____ (name of the affiliating university) has agreed to affiliate the _____ (name of the proposed Veterinary College) to be established by _____ (the Name of the applicant) subject to inclusion by the Central Government of the Veterinary College or the Veterinary Qualification (Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry/ Bachelor of Veterinary Science) to be awarded by the University to the students graduating from the said Veterinary College in the first schedule to the Indian Veterinary Council Act 1984.

REGISTRAR

(Signature with Name and Office Seal)

FORM-V

INSPECTION REPORT OF THE AFFILIATION COMMITTEE OF THE UNIVERSITY ON AVAILABILITY OF FACILITIES AT THE VETERINARY INSTITUTE

The Affiliation Committee of the _____ University has inspected the facilities available at _____ (name of the Veterinary College) on _____ and the inspection report is as under:-

1. Manpower
 - (a) Faculty Strength
 - (b) Technical Staff
 - (c) Administrative Staff
 - (d) Supporting Staff
2. Infrastructure
 - (a) Land
 - (b) Administrative Block
 - (c) Department wise facilities including laboratory, lecture hall.
 - (d) Library
 - (e) Examination Hall
 - (f) Veterinary Clinical Complex
 - (g) Ambulance
 - (h) Livestock Farm Complex
 - (i) Equipment
 - (j) Playing Ground
 - (k) Hostel Facility(for boys and girls)
 - (l) Departments

Certified that all the facilities available in the Veterinary College are as per the Minimum Standards for Veterinary Education Regulations, 2016

(Registrar)

FORM – VI

Veterinary Council of India

August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place,

New Delhi

Declaration of teaching staff at

(to be filled up by the individual teacher)

Recent passport
size photograph
of the teacher to
be
countersigned
by the
Dean/Principal

For the academic session _____

1. Name of Teaching staff in
BLOCK letters

First Name	Middle Name	Last Name

2. Fathers Name

--	--	--

3. Mothers Name

--	--	--

4. Date of Birth

Day	Month	Year

5. Age as on 01.04.2013

--	--	--

6. Details of valid Photo ID of the
incumbent

:

7. Details of PAN Card

Number -

8. Mode of receiving Salary :

9. Present Designation of the incumbent :

10. Proposed Designation

11. Employment details (where applicable):

(i) Department :

(ii) Nature of appointment: kindly inform whether Regular or Adhoc or Contractual or Teaching Associate or Temporary :

(iii) Date of joining at the present institution :

(iv) Residential Address of incumbent :

(v) Permanent Address :

(vi) Telephone numbers
Office –
Residence –
Mobile No. –

(vii) E-mail ID :

(viii) Pay scale of the present appointment :

(ix) Basic qualification :

(x) Post-graduate qualification, if any with subject of specialization :

(xi) Ph.D qualification, if any with subject :

(xii) State Veterinary Council Registration No. with date and validity :

(xiii) Name of the State Veterinary Council where registered :

12. Details of qualifications:

Qualification	Name of College	Name of University	Year of passing	Marks obtained (in %) or OGPA	Subjects studied
Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry					
M.V.Sc					
Ph.D					
Post- Doc					

13. Details of teaching experience (in chronological orders starting from past to present):

Designation	Name of institutions	Department	From	To	Total Experience in years & months
Demonstrator or Teaching Associate					
Assistant Professor					
Associate Professor					
Professor					
Scientist (in any research institute like ICAR, etc.)					
Senior Scientist (in any research institute like ICAR, etc.)					
Principal Scientist (in any research institute like ICAR, etc.)					
As Veterinary practitioner in the State or Central A.H. department, etc.					
Private practice					
Total Teaching Experience					
Total Experience other than teaching like Extension, etc.					

Note: Kindly mention NA wherever the incumbent does not have the required category of experience as stated above.

DECLARATION BY THE INCUMBENT*(To be submitted non-judicial stamp paper duly attested by a Notary public)*

1. I, Dr. _____ working as _____ in the department of _____ at _____ College and do hereby affirm that I am a full time teacher working from _____ A.M. to _____ P.M. daily at this institution. I am not into practice anywhere neither am I employed anywhere else.
2. I am engaged to teach in _____ (name of the Veterinary College) for the academic session _____ and I have not made myself available to any other college or institution as a faculty for the said academic year.
3. Complete details with regard to work experience have been provided and nothing has been concealed by me.
4. It is declared that each statement and contents of this declaration and the documents and certificates submitted along with this declaration by the undersigned are absolutely true, correct and authentic. In the event of any statement made in this declaration subsequently turning out to be incorrect or false, the same shall amount to gross misconduct thereby rendering the undersigned liable for necessary action under the law. It is also understood that in such a case, the undersigned is also liable for disciplinary action including removal of his name from the register of the State Veterinary Council or Veterinary Council of India.

SIGNATURE WITH FULL NAME OF THE TEACHER

Date:

Place:

Endorsed by

1. Signed by the Principal or Dean of the College with Stamp and date indicating Full Name

2. Countersigned by the Chairman of the governing body with Full Name & Designation.

CHECK LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED

S.No.	Documents	Submitted
1	Recent Passport size photo of the Faculty, signed by the Dean or Principal of the College.	Yes or No
2.	Copy of proof of Date of Birth	Yes or No
3.	Photo ID proof issued by Govt. Authorities: Passport or PAN Card or Voter ID or Driving License	Yes or No
4.	Certified copies of appointment order including promotion orders of present Institution.	Yes or No
5.	Copy of Passport or Voter Card or Electricity Bill or Telephone Bill or Driving License or Certification from Local Govt. Authorities to be attached as a proof of residence.	Yes or No
6.	Joining report of the present institution.	Yes or No
7.	Copies of Degree certificates of UG and PG degree.	Yes or No
8.	Copies of Registration Certificates of the SVC.	Yes or No
9.	Copy of experience certificate (s) for all teaching appointment(s)	Yes or No
10.	Relieving order from the previous institution.	Yes or No
11.	Copy of PAN Card	Yes or No
12.	Copy of Form 16 (TDS Certificate) for the last financial year.	Yes or No

13.	Provident Fund deduction Certificate & Statement	Yes or No
14.	Proof of salary received	Yes or No
15.	Copy of Aadhar Card (if available)	Yes or No

Signature & Full Name of the Teacher

Countersigned by Dean or Principal with Full Name & stamp

Date:

FORM – VII

Veterinary Council of India

August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place,

New Delhi

Declaration of staff at

(to be filled up by the individual)

*Recent passport
size photograph
of the staff to be
countersigned
by the
Dean/Principal*

For the academic session _____

1. Name in BLOCK letters

First Name	Middle Name	Last Name

2. Fathers Name

--	--	--

3. Mothers Name

--	--	--

4. Date of Birth

Day	Month	Year

5. Age as on 01.04.2013

--	--	--

6. Details of valid Photo ID of the incumbent :

7. Details of PAN Card Number -

8. Mode of receiving Salary :

9. Present Designation of the incumbent :

10. Proposed Designation

11. Employment details (where applicable):

i. Department :

ii. Nature of appointment: kindly inform whether Regular or Adhoc or Contractual or Temporary :

iii. Date of joining at the present institution :

iv. Residential Address of incumbent :

v. Permanent Address :

vi. Telephone numbers
Office –
Residence –
Mobile No. –

vii. E-mail ID :

viii. Pay scale of the present appointment :

ix. Basic qualification :

x. Post-graduate qualification, if any, with subject of specialization :

xi. Ph.D qualification, if any, with subject :

12. Details of qualifications (where applicable):

Qualification	Name of College	Name of University	Year of passing	Marks obtained (in %) or CGPA	Subjects studied

12. Details of experience (in chronological orders starting from past to present) :

Designation	Name of institutions	Department	From	To	Total Experience in years & months

Note: Kindly mention NA wherever the incumbent does not have the required category of experience as stated above.

DECLARATION BY THE INCUMBENT

(To be submitted non-judicial stamp paper duly attested by a Notary public)

- I, _____ working as _____ in the department of _____ at _____ College and do hereby affirm that I am a _____ working from _____ A.M. to _____ P.M. daily at this institution. I am not employed anywhere else.
- Complete details with regard to work experience have been provided and nothing has been concealed by me.
- It is declared that each statement and contents of this declaration and the documents and certificates submitted along with this declaration by the undersigned are absolutely true, correct and authentic. In the event of any statement made in this declaration subsequently turning out to be incorrect or false, the same shall amount to gross misconduct thereby rendering the undersigned liable for necessary action under the law.

SIGNATURE WITH FULL NAME

Date:

Place:

Endorsed by

1. Signed by the Principal or Dean of the College with Stamp and date indicating Full Name

2. Countersigned by the Chairman of the Governing body with Full Name & Designation.

CHECK LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED

S.No.	Documents	Submitted
1.	Recent Passport size photo of the Employee, signed by the Dean or Principal of the College.	Yes or No
2.	Copy of proof of Date of Birth	Yes or No
3.	Photo ID proof issued by Govt. Authorities: Passport or PAN Card or Voter ID or Driving License	Yes or No
4.	Certified copies of appointment order including promotion orders of present Institution.	Yes or No
5.	Copy of Passport or Voter Card or Electricity Bill or Telephone Bill or Driving License or Certification from Local Govt. Authorities to be attached as a proof of residence.	Yes or No
6.	Joining report of the present institution.	Yes or No
7.	Copies of certificates showing educational qualifications	Yes or No
9.	Copy of experience certificate (s) for all previous appointment(s)	Yes or No
10.	Relieving order from the previous place of employment.	Yes or No
11.	Copy of PAN Card	Yes or No
12.	Copy of Form 16 (TDS Certificate) for the last financial year, if applicable.	Yes or No
13.	Provident Fund deduction Certificate & Statement	Yes or No
14.	Proof of salary received	Yes or No
15.	Copy of Aadhar Card (if available)	Yes or No

Signature and Full Name

Countersigned by Dean or Principal with Full Name and stamp

Date:

FORM - VIII**UNDERTAKING ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER TO BE SUBMITTED BY AN AUTHORISED REPRESENTATIVE/ SIGNATORY REPRESENTING THE MANAGEMENT OF THE VETERINARY COLLEGE**

I or we.....(Name of the Trustee or Chairman or Principal or Director or Head or Registrar) of the (name of the Veterinary College or Trust or Society, etc.) hereby undertake to comply with the following in connection with our application for grant of recognition of (name of the Institution or Course or Programme) from the session..... (academic year).

1. That the management of the Veterinary College is liable to provide infrastructural, instructional and other facilities as per the norms, standards and guidelines specified by the rules framed by the Central Government and the regulations framed by the Veterinary Council of India from time to time.
2. That admission of students shall be made after satisfying the eligibility conditions and will be based on the merit achieved by the student in the entrance examination conducted by the State Government or University as per its policy.
3. That there shall be reservation of seats for Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Other Backward Classes or handicapped and other categories as per the policy of State Government.

4. That admission to the Veterinary College shall be made only after permission is granted by the Central Government.
5. That full time staff shall be appointed on regular basis as per the qualifications specified by the Central Government and/ or the Veterinary Council of India through a reasonably wide advertisement and open selection on the basis of the recommendation of duly constituted selection committees or as per the norms of the affiliating university.
6. That the part time staff shall be appointed as per the guidelines of the State Government or the affiliating University.
7. That the academic and other staff of the institution (including part time staff) shall be paid such salary as per the service conditions of the Institution.
8. That the management shall discharge its statutory obligations relating to provident fund, pension, gratuity etc. in respect of all its employees.
9. That the governing body of the Veterinary College will make adequate funds available for providing satisfactory facilities and for proper programme implementation.
10. That the Veterinary College will strictly follow all conditions and norms specified under the Indian Veterinary Council Act., 1984 from time to time, conduct the programme in all earnestness, and submit itself to inspection by the Veterinary Council of India as required at any time.
11. In the event of non-compliance by the(name of the Society or Trustee or College or Institution etc.) with regard to the norms and standards and any other condition laid down or specified by the Veterinary Council of India from time to time, the Veterinary Council of India or the Central Government will be free to take all necessary measures for effecting withdrawal of its recognition or permission, without consideration of any other issue, and that all liabilities arising out of such a withdrawal would solely be that of the Veterinary College or its governing body.
12. That the governing body of the Veterinary College will not cause or allow discontinuation of the Course in any batch, and that where compelled, it will seek the concurrence of Veterinary Council of India for discontinuation on the completion of the year or batch.
13. That the governing body of the Veterinary College has seen, studied and understood the norms and conditions stipulated by the Veterinary Council of India for grant of permission or recognition including those stipulated by the minimum standards of veterinary education regulations, as the case may be, to the programme proposed and feels that they are satisfied or can be satisfied by the time of inspection, failing which it would be willing to accept an unfavourable decision.
14. The Veterinary College by virtue of the approval given by the Veterinary Council of India shall not automatically become claimant of any financial grant or assistance from the Central or State Govt., or support from Veterinary Council of India.
15. The name and address of the Veterinary College shall not be changed without obtaining prior approval of the Central Government.

(Signature of the authorized representative or signatory along with his or her official position and office Seal)

NAME IN BLOCK LETTERS

Place :

Date :

Witnesses :-

1.

FORM - IX

**UNDERTAKING ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER TO BE SUBMITTED BY THE AUTHORISED
REPRESENTATIVE/ SIGNATORY REPRESENTING THE UNIVERSITY**

I or we.....(Name of the Registrar or any other authority designated by the university) of the(name of the university) hereby undertake to comply with the following in connection with my or our application for grant of recognition of(name of the Institution or Course or Programme) from the session.....(academic year).

1. That necessary infrastructure, instructional and other facilities shall be provided as per the Minimum Standards of Veterinary Education Regulations, as amended from time to time.
2. That admission of students, satisfying the eligibility conditions shall be made on the basis of merit in the entrance examination conducted by the State Government or University as per its policy.
3. That there shall be reservation of seats for the Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes or handicapped and other categories as per the Policy of State Government.
4. That admission to the Course shall be made only after permission is granted by the Central Government.
5. That full time staff will be appointed on regular basis as per the qualifications specified in the Norms and Standards through a reasonably wide advertisement and open selection on the basis of the recommendation of duly constituted Selection Committees or as per the norms of the University.
6. That the part time staff will be appointed as per the guidelines of the State Government or the University.
7. That the academic and other staff of the institution (including part time staff) shall be paid such salary as may be specified by the University.
8. That the University shall discharge the statutory obligations relating to provident fund, pension, gratuity etc. in respect of all its employees.
9. That the University will make adequate funds available for providing satisfactory facilities and for proper programme implementation.
10. That the University will strictly follow all conditions and norms specified by Veterinary Council of India from time to time, conduct the programme in all earnestness, and submit itself to inspection by the Veterinary Council of India as required at any time.
11. In the event of non-compliance of norms and standards and any other condition laid down or specified by the Veterinary Council of India from time to time, the Veterinary Council of India or the Central Government will be free to take all necessary measures for effecting withdrawal of its recognition or permission, without consideration of any other issue, and that all liabilities arising out of such a withdrawal would solely be that of the University.
12. That the University will not cause or allow discontinuation of the Course in any year or for any batch, and that where compelled, it will seek the concurrence of Veterinary Council of India for discontinuation on the completion of the year or batch.
13. That the University has seen, studied and understood the norms and conditions by the Veterinary Council of India for grant of permission or recognition, as the case may be, to the programme proposed and feels that they are satisfied, or can be satisfied by the time of inspection, failing which it would be willing to accept an unfavourable decision.
14. The University by virtue of the approval given by the Veterinary Council of India shall not automatically become claimant of any financial grant or assistance from the Central or State Govt. or support from the Veterinary Council of India.

(Signature of the authorized representative/ signatory along with
his or her official position and office Seal)

NAME IN BLOCK LETTERS

Place :

Date :

Witnesses :-

1.

2.

FORM—X

**FORMAT OF APPLICATION FOR RENEWAL OF PERMISSION BY THE CENTRAL GOVERNMENT OF
VETERINARY QUALIFICATION OR A VETERINARY COLLEGE**

1.	NAME OF THE APPLICANT	
2.	ADDRESS OF REGISTERED OFFICE OF THE APPLICANT (No., Street, City, Pin Code, Telephone, Telex, Telefax)	
3.	CATEGORY OF THE APPLICANT (State Government or Union territory/ University or Statutory Autonomous Body or Society or Trust or Waqf)	
4.	DATE and REGISTRATION NO. (in case of a Society or Trust or Waqf) OR OF RECOGNITION (in case of a University)	
5.	NAME AND ADDRESS OF THE VETERINARY COLLEGE	
6.	NAME OF THE VETERINARY QUALIFICATION	
7.	NAME OF AFFILIATING UNIVERSITY	
8.	BASIC INFRASTRUCTURAL FACILITIES AVAILABLE FOR THE VETERINARY COLLEGE AND THE ATTACHED VCC AND ILFC (Phase Wise Requirements are Described in these Rules)	
9.	MANAGERIAL CAPABILITY:- Composition of the applicant, particulars of governing body of the applicant, particulars of the head or project director of the Veterinary College along with their qualification and experience in the field of veterinary education	
10.	FINANCIAL CAPABILITY Balance Sheet for the last 3 years to be provided if the applicant is a Society or Trust or Waqf.	
11.	Details of Original Letter of Permission (Date of issuance and Serial No.)	

12. EQUIPMENT PROGRAMME

Department and room wise list of Equipments complete with year wise schedule of quantities and specifications of all equipments required for imparting veterinary education as per MSVE Regulations.

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

13. MAN POWER PROGRAMME

Department wise and year wise list of recruited or appointed:

(a) Teaching staff (regular)

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(b) Technical staff (regular)

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(c) Administrative staff (regular)

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(d) Ancillary staff

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

14. BUILDING PROGRAMME

Building wise built up area of:

(a) Veterinary college (departments, lecture theatre examination hall, museum etc.)

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(b) Veterinary Clinical Complex

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(c) Instructional Livestock Farm Complex

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(d) Faculty and staff housing

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(e) Students hostels

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(f) Administrative office

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(g) Library

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(h) Auditorium

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(i) Animal house

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(j) Cultural and recreational centre

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(k) Sports complex

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(l) Post-mortem section with incineration facility and waste management system

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(m) Cadaver and animal experimentation facility

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(n) Others (state name of the facility)

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

15. PHASING AND SCHEDULING

Month wise schedule of activities completed indicating –

(a) Commencement and completion of building design

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(b) Local body approvals

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(c) Civil construction

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(d) Provision of engineering services and equipment

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(e) Requirement of staff

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(f) Phasing of commissioning

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

16. REVENUE ASSUMPTIONS

(a) Fee structure

(b) Estimated annual revenue from various sources for the next five years

(c) Total Revenue from the Veterinary College since the date of grant of Letter of Intent

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

17. EXPENDITURE ASSUMPTIONS

(a) Operating expenses for the next five years

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(b) Capital expenditure for the next five years

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

18. OPERATING RESULTS

(a) Income statement for the last 3 years

(b) Cash flow statement for the last 3 years

(c) Annual returns for the last 3 years

NOTE:- For Items 11 to 13 a comparative statement showing the relevant Veterinary Council of India norms vis-à-vis infrastructure or faculty available or proposed to be made available should be annexed.

Signature of applicant

LIST OF ENCLOSURES:

1. Notarised copy of the Letter of Permission issued by the Central Government.
2. A Project Report showing that the targets envisaged in the DPR submitted by the applicant along with the application in Form-I have been met.
3. Certified copy of the title deeds or sale deeds or gift deeds or any other document in respect of any additional land acquired as proof of its ownership issued by the relevant competent authority.
4. Certified copy of the lease deed of any additional land leased, issued by the relevant competent authority.
5. Certified copy of zoning plans of the additional sites acquired indicating their land use or land use certificates and land conversion certificates where applicable issued by the relevant competent authority.
6. Certified copies of land records of the additional land acquired containing map of the area showing the land survey no. and location of the site of Veterinary College and ILFC as well as its access from the nearby and adjoining roads issued by the relevant competent authority.
7. Certified copies of the land records of the additional land acquired showing the contiguity of the land.
8. An affidavit on a non-judicial stamp paper of Rs. 100 by a member of the governing body of the applicant deposing that the applicant has clear title to the additional land acquired accompanied with verification or due diligence report by a practising advocate.
9. Plan of built up structure available exclusively for the Veterinary College with a table clearly mentioning all rooms, with carpet area of each room (in sq. ft), as specified in MSVE Regulations, certified by an architect registered with the Council of Architecture.
10. Copies of floor plans, sections and elevations of all existing academic buildings including area details certified by an architect registered with the Council of Architecture.
11. An affidavit about building construction with respect to approved building plan, carpet and built up area (sqft.) and number of rooms, LFC, VCC and other infrastructure with respect to Veterinary Council of India norms, on a non-judicial stamp paper of Rs. 100 or- and a certificate of verification from an Architect registered with Council of Architecture.
12. Declarations from the faculty engaged by the applicant Veterinary College except those already submitted by the applicant Veterinary College (**Form-VI**).
13. Declarations from the administrative, technical, support and ancillary staff recruited by the applicant Veterinary College except those already submitted by the applicant Veterinary College (**Form-VII**).
14. Copies of Annual reports and Audited Balance sheets, cash flow statements and income statements for the last three years of the applicant duly certified by a chartered accountant.
15. Copies of Operating Expenses reports for the last three years of the applicant duly certified by a chartered accountant.
16. Copies of revenue projections for the next five years of the applicant duly certified by a chartered accountant.
17. An affidavit, on a non-judicial stamp paper of Rs. 100 or, stating that the information given in the application is true and stating that if the applicant fails to disclose all the information or suppresses or misrepresents any of the information or if it is found that the information given in the application is false, it shall be liable to be proceeded against in accordance with law, including but not limited to its de-recognition or withdrawal of the permission granted to it under these Rules
18. Any other documents that the applicant wishes to submit (Please indicate details).

FORM— XI

**FORMAT OF APPLICATION FOR FINAL RECOGNITION BY THE CENTRAL GOVERNMENT OF
VETERINARY QUALIFICATION OR A VETERINARY COLLEGE**

1.	NAME OF THE APPLICANT	
2.	ADDRESS OF REGISTERED OFFICE OF THE APPLICANT (No., Street, City, Pin Code, Telephone, Telex, Telefax)	
3.	CATEGORY OF THE APPLICANT (State Government/ Union territory or University or Statutory Autonomous Body or Society or Trust or Waqf)	
4.	DATE & REGISTRATION NO. (in case of a Society or Trust or Waqf) OR OF RECOGNITION (in case of a University)	
5.	NAME AND ADDRESS OF THE VETERINARY COLLEGE	
6.	NAME OF THE VETERINARY QUALIFICATION	
7.	NAME OF AFFILIATING UNIVERSITY	
8.	BASIC INFRASTRUCTURAL FACILITIES AVAILABLE FOR THE VETERINARY COLLEGE AND THE ATTACHED VCC AND ILFC (Phase Wise Requirements are Described in these Rules)	
9.	MANAGERIAL CAPABILITY:- Composition of the applicant, particulars of governing body of the applicant, particulars of the head or project director of the Veterinary College along with their qualification and experience in the field of veterinary education	
10.	FINANCIAL CAPABILITY Balance Sheet for the last 3 years to be provided if the applicant is a Society or Trust or Waqf.	
11.	Details of Original Letter of Permission and Renewal of Permission (Date of issuance and Serial no.)	

12. EQUIPMENT PROGRAMME

Department and room wise list of Equipments complete with schedule of quantities and specifications –

Requirements as per MSVE Regulations	Current Status

13. MAN POWER PROGRAMME

Department wise and year wise list of recruited or appointed:

(a) Teaching staff (regular)

Requirements as per MSVE Regulations	Current Status

(b) Technical staff (regular)

Requirements as per MSVE Regulations	Current Status

(c) Administrative staff (regular)

Requirements as per MSVE Regulations	Current Status

(d) Ancillary staff

Requirements as per MSVE Regulations	Current Status

14. BUILDING PROGRAMME

Building wise built up area of:

(a) Veterinary college (departments, lecture theatre examination hall, museum etc.)

Requirements as per MSVE Regulations	Current Status

(b) Veterinary Clinical Complex

Requirements as per MSVE Regulations	Current Status

(c) Instructional Livestock Farm Complex

Requirements as per MSVE Regulations	Current Status

(d) Faculty and staff housing

Requirements as per MSVE Regulations	Current Status

(e) Students hostels

Requirements as per MSVE Regulations	Current Status

(f) Administrative office

Requirements as per MSVE Regulations	Current Status

(g) Library

Requirements as per MSVE Regulations	Current Status

(h) Auditorium

Requirements as per MSVE Regulations	Current Status

(i) Animal house

Requirements as per MSVE Regulations	Current Status

(j) Cultural and recreational centre

Requirements as per MSVE Regulations	Current Status

(k) Sports complex

Requirements as per MSVE Regulations	Current Status

(l) Post-mortem section with incineration facility and waste management system

Requirements as per MSVE Regulations	Current Status

(m) Cadaver and animal experimentation facility

Requirements as per MSVE Regulations	Current Status

(n) Others (state name of the facility)

Requirements as per MSVE Regulations	Current Status

15. REVENUE ASSUMPTIONS AND COMPARISON

(a) Fee structure

(b) Estimated annual revenue from various sources for the next five years

Revenue Projections made in the Application for Recognition	Current Status

16. EXPENDITURE ASSUMPTIONS AND COMPARISON

(a) Operating expenses for the next five years

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

(a) Capital Expenditure for the next five years

Projections made in the Application for Recognition	Current Status

17. OPERATING RESULTS

(a) Income statement since the grant of Letter of Permission

(b) Cash flow statement since the grant of Letter of Permission

(c) Expenditure Statement since the grant of Letter of Permission

Signature of applicant

LIST OF ENCLOSURES:

1. Notarised copy of the Letter of Permission issued by the Central Government.
2. Notarised copy of the Letter of Renewal of Permission issued by the Central Government.
3. A Project Report showing that the targets envisaged in the DPR submitted by the applicant along with the application in Form-I have been met.
4. Certified copy of the title deeds/ sale deeds/ gift deeds/ any other document in respect of any additional land acquired as proof of its ownership issued by the relevant competent authority.
5. Certified copy of the lease deed of any additional land leased, issued by the relevant competent authority.
6. Certified copy of zoning plans of the additional sites acquired indicating their land use or land use certificates and land conversion certificates where applicable issued by the relevant competent authority.
7. Certified copies of land records of the additional land acquired containing map of the area showing the land survey no. and location of the site of Veterinary College and ILFC as well as its access from the nearby and adjoining roads issued by the relevant competent authority.
8. Certified copies of the land records of the additional land acquired showing the contiguity of the land.
9. An affidavit on a non-judicial stamp paper of Rs. 100 by a member of the governing body of the applicant deposing that the applicant has clear title to the additional land acquired accompanied with verification or due diligence report by a practising advocate.
10. Plan of built up structure available exclusively for the Veterinary College with a table clearly mentioning all rooms, with carpet area of each room (in sq. ft), as specified in MSVE Regulations, certified by an architect registered with the Council of Architecture.
11. Copies of floor plans, sections and elevations of all existing academic buildings including area details certified by an architect registered with the Council of Architecture.
12. An affidavit about building construction with respect to approved building plan, carpet and built up area (sqft.) and number of rooms, LFC, VCC and other infrastructure with respect to Veterinary Council of India norms, on a non-judicial stamp paper of Rs. 100 or- and a certificate of verification from an Architect registered with Council of Architecture.
13. Declarations from the faculty engaged by the applicant Veterinary College except those already submitted by the applicant Veterinary College (**Form-VI**).
14. Declarations from the administrative, technical, support and ancillary staff recruited by the applicant Veterinary College except those already submitted by the applicant Veterinary College (**Form-VII**).
15. Copies of Annual reports and Audited Balance sheets, cash flow statements, income statements, for the last three years of the applicant duly certified by a chartered accountant.
16. Copies of Operating Expenses reports for the last three years of the applicant duly certified by a chartered accountant.
17. Copies of revenue projections for the next five years of the applicant duly certified by a chartered accountant.
18. An affidavit, on a non-judicial stamp paper of Rs. 100/- or, stating that the information given in the application is true and stating that if the applicant fails to disclose all the information or suppresses or misrepresents any of the information or if it is found that the information given in the application is false, it shall be liable to be proceeded against in accordance with law, including but not limited to its de-recognition or withdrawal of the permission granted to it under these Rules.
19. Any other documents that the applicant wishes to submit. (Please indicate details).

FORM - XII**FORMAT OF APPLICATION FOR INCREASE IN ADMISSION CAPACITY OF RECOGNISED VETERINARY COLLEGES****1. NAME AND ADDRESS OF THE EXISTING VETERINARY COLLEGE, VETERINARY HOSPITAL/ VCC AND ILFC:****2. DETAILS OF THE EXISTING VETERINARY COLLEGE, VETERINARY HOSPITAL/ VCC, ILFC AND ANCILLARY BUILDINGS:**

- (a) Current sanctioned admission capacity
- (b) Built up area
- (c) Architectural and lay-out plans
- (d) Equipments
- (e) Capacity and configuration of engineering services
- (f) Capacity and configuration of hospital services
- (g) Capacity and configuration of other ancillary and support services
- (h) Category wise staff strength

3. DETAILS ABOUT ADDITIONAL LAND FOR EXPANSION OF EXISTING VETERINARY COLLEGE/ VETERINARY HOSPITAL AND LIVESTOCK FARMS:

- (a) Land Particulars
- (b) Distance from the proposed Veterinary College (in case of ILFC)
- (c) Plot size
- (d) Authorised land usage
- (e) Geography
- (f) Soil Conditions
- (g) Road access
- (h) Availability of public transport
- (i) Electric Supply
- (j) Water Supply
- (k) Sewage connection
- (l) Communication facilities

4. UPGRADED VETERINARY PROGRAMME

- (a) Proposed enhanced admission capacity.
- (b) Details about additional clinical and para-clinical disciplines envisaged under the expansion scheme

5. UPGRADED FUNCTIONAL PROGRAMME:

- (a) Specialty wise and service wise functional requirements
- (b) Area Distribution

6. BUILDING EXPANSION PLAN:

Year wise additional built-up area to be provided for:-

- (a) Veterinary Hospital or VCC
- (b) Departments
- (c) Staff housing

- (d) Staff and students hostels
- (e) Livestock farm
- (f) Other ancillary buildings

7. EQUIPMENT PROGRAMME

Upgraded room-wise list of all equipments required for imparting veterinary education as per MSVE Regulations;

8. UPGRADED ENGINEERING SERVICES

Details about upgradation or addition in the capacity and configuration of engineering services (for maintenance work), and hospital and farm services

9. UPGRADED MANPOWER PROGRAMME

Department-wise distribution of

- (a) Teaching staff (regular)
- (b) Technical staff (regular)
- (c) Administrative staff (regular)
- (d) Ancillary staff

10. PLANNING AND LAYOUT

Upgraded master plan of the veterinary hospital/ VCC along with

- (a) Layout plan
- (b) Sections
- (c) Elevations
- (d) Floor wise area calculations of the hospital
- (e) Ancillary buildings

11. PHASING AND SCHEDULING OF THE EXPANSION PROGRAMME

Month wise schedule of activities indicating-

- (a) Commencement and completion of building design
- (b) Local body approvals
- (c) Civil construction
- (d) Provision of engineering and hospital services
- (e) Provision of equipment
- (f) Recruitment of staff

12. PROJECT COST OF THE EXPANSION PROGRAMME

Cost of additional –

- (a) Land
- (b) Buildings
- (c) Engineering services
- (d) Equipments

- (e) Furniture and fixtures
- (f) Preliminary and pre-operative expenses

13. MEANS OF FINANCING THE PROJECT

- (a) Contribution of the applicant
- (b) Grants
- (c) Donations
- (d) Equity
- (e) Term loans
- (f) Other sources, if any.

14. REVENUE ASSUMPTIONS

Income from-

- (a) Fee structure
- (b) Estimated annual revenue from other sources for the next five years
- (c) Projected total revenue statements for the next five years

15. EXPENDITURE ASSUMPTIONS:

- (a) Estimated operating expenses for the next five years
- (b) Estimated capital expenditure for the next five years

16. OPERATING RESULTS

- (a) Income statements for the last three years
- (b) Cash flow statements for the last three years
- (c) Annual returns for the last three years

Name and Signature of Applicant

LIST OF ENCLOSURES:

1. Certified copies of complete constitutional documents of the applicant.
2. Certified copy of Certificate of registration or incorporation of the applicant.
3. Certified copy of the resolution or other authorisation document by which the applicant has been authorised to increase the admission capacity of the Veterinary College and to make an application under these Rules for the purpose.
4. No Objection Certificate from the State Government or the Union Territory Government or Administration, as the case may be (**Form-XIII**).
5. Essentiality Certificate issued by the respective State Government or Union territory Government or Administration, as the case may be (**Form-XIV**).
6. Certified copy of the letter of consent issued by a University for increase in the admission capacity (**Form XV**).
7. Report from the concerned University verifying the physical and other facilities available at the Veterinary College (**Form-V**).

8. A Detailed Project Report including the building programme, educational programme, functional programme, equipment programme and man power programme.
9. Certified copy of the title deeds/ sale deeds/ gift deeds/ any other document in respect of the total available land as proof of its ownership issued by the relevant competent authority.
10. Certified copy of the lease deed of the land, where the land is leased issued by the relevant competent authority.
11. Certified copy of zoning plans of the available sites indicating their land use or land use certificates and land conversion certificates where applicable issued by the relevant competent authority.
12. Certified copies of land records containing map of the area showing the land survey no. and location of the site of Veterinary College and ILFC as well as its access from the nearby and adjoining roads issued by the relevant competent authority.
13. Certified copies of the land records showing the contiguity of the land.
14. An affidavit on a non-judicial stamp paper of Rs. 100 by a member of the governing body of the applicant deposing that the applicant has clear title to the land accompanied with verification or due diligence report by a practising advocate.
15. Certified copy of the Site Plan and building plan of the Veterinary College prepared by an architect registered with the Council for Architecture (COA) and duly approved by the competent Plan Sanctioning Authority of the concerned State or Union Territory Administration.
16. Plan of built up structure available exclusively for the Veterinary College with a table clearly mentioning all rooms, with carpet area of each room (in sq. ft), as specified in MSVE Regulations, certified by an architect registered with the Council of Architecture.
17. Copies of floor plans, sections and elevations of all existing academic buildings including area details certified by an architect registered with the Council of Architecture.
18. An affidavit about building construction with respect to approved building plan, carpet and built up area (sqft.) and number of rooms, LFC, VCC and other infrastructure with respect to Veterinary Council of India norms, on a non-judicial stamp paper of Rs. 100 or- and a certificate of verification from an Architect registered with Council of Architecture.
19. Copies of Annual reports and Audited Balance sheets for the last three years of the applicant duly certified by a chartered accountant.
20. An affidavit about financial position regarding working capital (funds) in the form of FDRs, actual balance in Current & Savings accounts on a non-judicial stamp paper of Rs. 100 or/and a certificate by the Bank Branch Manager;
21. Authorization letter addressed to the bankers of the applicant authorizing the Central Government or Veterinary Council of India to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.
22. Fee, as specified
23. Duly notarised undertaking to be submitted by a Competent or authorised person representing the applicant (**Form – XVI**).
24. Duly notarised undertaking to be submitted by a Competent or authorised official representing the University, where a University is the applicant (**Form – XVII**).
25. An affidavit, on a non-judicial stamp paper of Rs. 100 stating that the information given in the application is true and stating that if the applicant fails to disclose all the information or suppresses or misrepresents any of the information or if it is found that the information given in the application is false, it shall be liable to be proceeded against in accordance with law, including but not limited to its de-recognition or withdrawal of the permission granted to it under these Rules.
26. Any other documents that the applicant wishes to submit (Please indicate details).

FORM-XIII

NO OBJECTION CERTIFICATE FROM STATE GOVERNMENT/ UNION TERRITORY GOVERNMENT/
ADMINISTRATION

No. _____

Dated, _____

Government of _____

Department of Animal Husbandry, _____

To

(Applicant),

The (Name of the Applicant) _____ has applied for increase in the admission capacity of _____ (name of Veterinary College) at _____ (complete address of the Veterinary College with phone no.). On careful consideration of the proposal, the Government/ Administration of _____ (Name of the State /Union Territory) has no objection towards the increase in the admission capacity of the said Veterinary College and this No Objection Certificate is being issued to that effect.

Yours faithfully,

(SIGNATURE OF THE COMPETENT AUTHORITY

OF THE STATE GOVERNMENT/ UNION TERRITORY ADMINISTRATION)

FORM- XIV

SUBJECT: ESSENTIALITY CERTIFICATE

No.

Dated,

Government of _____

Department of Animal Husbandry

To (Applicant),

Sir,

The desired certificate is as follows:-

- (1) No. of Veterinary Colleges or Institutions already existing in the State/ Union Territory.
- (2) Number of seats available or number of veterinary practitioners graduating annually.

- (3) Number of veterinary practitioners registered with the State Veterinary Council.
- (4) Number of veterinary practitioners in Government service.
- (5) Number of Government posts lying vacant for veterinary practitioners
- (6) Number of Government posts in rural or difficult areas for veterinary practitioners.
- (7) Number of veterinary practitioners registered with Employment Exchange.
- (8) Veterinary practitioners to animal population ratio presently in the State.
- (9) Veterinary practitioners to animal patient ratio presently in the State.
- (10) Veterinary practitioners to animal patient ratio proposed to be achieved by the State.
- (11) How the increase in admission capacity of the Veterinary College would resolve the problem of deficiencies of qualified veterinary practitioners in the State/ Union Territory and improve the availability of such veterinary practitioners in the State/ Union Territory.
- (12) The restrictions imposed by the State Government/ Union Territory Administration, if any, on students who are not domiciled in the State/ Union Territory from obtaining admissions in the State/ Union Territory, be specified.
- (13) Full justification for increasing the admission capacity of the Veterinary College.

The (Name of the applicant) has applied for increasing the admission capacity of (Name of the Veterinary College) situated at (Address of the Veterinary College). On careful consideration of the proposal, the Government of _____ (Name of the State/ Union Territory) has decided to issue an essentiality certificate to the applicant for the increasing the admission capacity of the said Veterinary college to _____ (no. of seats) from _____ (no. of seats).

It is certified that:-

1. The applicant owns and manages a Veterinary Clinical Complex (VCC) and Instructional Livestock Farm Complex (ILFC) as specified in the Minimum Standards of Veterinary Education Regulations which was established in _____.
2. It is desirable to increase the admission capacity of (Name of the Veterinary College) college to _____ (no. of seats) from _____ (no. of seats) in public interest;
3. The said increase in the admission capacity of (Name of the Veterinary College) is feasible.
4. Adequate clinical material as per the Veterinary Council of India norms is available with the applicant.

It is further certified that in case the applicant fails to create infrastructure for the enhanced admission capacity of the veterinary college as per the rules framed by the Central Government and the regulations framed by the Veterinary Council of India, as a result of which the permission for increasing the admission capacity is refused by the Central Government, the State Government/ Union Territory Administration shall fully cooperate in ensuring that the veterinary college does not admit students more than its sanctioned admission capacity.

Yours faithfully,

(SIGNATURE OF THE COMPETENT AUTHORITY)

FORM- XV

LETTER OF CONSENT FROM THE UNIVERSITY

Dated

No

Place

University of

SUBJECT: LETTER OF CONSENT IN FAVOUR OF _____ (Name of Veterinary College with address)

The Honourable Vice-Chancellor on the basis of the report of the University Inspection Committee and approval of the Board of Management of the University of _____ (name of the affiliating university) hereby consents to the increase in admission capacity of _____ (name of the Veterinary College) from _____ (no. of seats) to _____ (no. of seats).

REGISTRAR

(Signature with Name and Office Seal)

FORM - XVI

Undertaking on non-judicial stamp paper to be submitted by an authorised representative/ signatory representing the Management of the Veterinary College

I or we (Name of the Trustee or Chairman or Principal or Director or Head or Registrar) of the (name of the Veterinary College or Trust or Society, etc.) hereby undertake to comply with the following in connection with our application for increase in admission capacity of (name of the Veterinary College) from the session..... (academic year).

1. That the management of the Veterinary College is liable to provide infrastructural, instructional and other facilities as per the norms, standards and guidelines specified by the rules framed by the Central Government and the regulations framed by the Veterinary Council of India from time to time.
2. That admission of students shall be made after satisfying the eligibility conditions and will be based on the merit achieved by the candidates in the entrance examination conducted by the State Government or the University as per its policy.
3. That there shall be reservation of seats for Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Other Backward Classes / handicapped and other categories as per the policy of State Government.
4. That the proposed increase in admission capacity of the Veterinary College shall be effected only after permission is granted by the Central government.

5. That full time staff shall be appointed on regular basis as per the qualifications specified by the Central Government and/ or the Veterinary Council of India through a reasonably wide advertisement and open selection on the basis of the recommendation of duly constituted selection committees or as per the norms of the affiliating university.
6. That part time staff shall be appointed as per the guidelines of the State Government or the affiliating University.
7. That the academic and other staff of the veterinary college (including part time staff) shall be paid such salary as per the service conditions of the veterinary college.
8. That the management shall discharge its statutory obligations relating to provident fund, pension, gratuity etc. in respect of all its employees.
9. That the governing body of the Veterinary College will make adequate funds available for providing satisfactory facilities and for proper programme implementation in light of the increased admission capacity of the Veterinary College.
10. That the Veterinary College will strictly follow all conditions and norms specified under the Indian Veterinary Council Act., 1984 from time to time, conduct the programme in all earnestness, and submit itself to inspection by the Veterinary Council of India as required at any time.
11. In the event of non-compliance by the(name of the Society or Trustee or College or Institution etc.) with regard to the norms and standards and any other condition laid down or specified by the Veterinary Council of India from time to time, the Veterinary Council of India or the Central Government will be free to take all necessary measures for effecting withdrawal of its recognition or permission, without consideration of any other issue, and that all liabilities arising out of such a withdrawal would solely be that of the Veterinary College or its governing body.
12. That the governing body of the Veterinary College will not cause or allow discontinuation of the Course in any batch, and that where compelled, it will seek the concurrence of Veterinary Council of India for discontinuation on the completion of the year or batch.
13. That the governing body of the Veterinary College has seen, studied and understood the norms and conditions stipulated for grant of permission for increasing the admission capacity of a Veterinary College including those stipulated by the Minimum Standards of Veterinary Education Regulations, 2016, as the case may be, to the proposed increase and feels that they are satisfied or can be satisfied by the time of inspection, failing which it would be willing to accept an unfavourable decision.
14. The Veterinary College by virtue of the approval given by the Veterinary Council of India shall not automatically become claimant of any financial grant or assistance from the Central or State Government., or support from Veterinary Council of India.
15. The name and address of the Veterinary College shall not be changed without obtaining prior approval of the Central Government.

(Signature of the authorized representative/ signatory along with his or her official position and office Seal)

NAME IN BLOCK LETTERS

Place :

Date :

Witnesses :-

1.

2.

FORM - XVII

**UNDERTAKING ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER TO BE SUBMITTED BY THE AUTHORISED
REPRESENTATIVE/ SIGNATORY REPRESENTING THE UNIVERSITY**

I or we (Name of the Registrar or any other authority designated by the university) of the (name of the university) hereby undertake to comply with the following in connection with my or our application for increase in admission capacity of (name of the Veterinary College) from the session.....(academic year).

1. That necessary infrastructure, instructional and other facilities shall be provided as per the Minimum Standards of Veterinary Education Regulations, 2016 as amended from time to time.
2. That admission of students, satisfying the eligibility conditions shall be made on the basis of merit in the entrance examination conducted by the State Government or University as per its policy.
3. That there shall be reservation of seats for the Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes or handicapped and other categories as per the Policy of State Govt.
4. That the proposed increase in admission capacity of the Veterinary College shall be effected only after permission is granted by the Central government.
5. That full time staff will be appointed on regular basis as per the qualifications specified in the norms and standards of the university through a reasonably wide advertisement and open selection on the basis of the recommendation of duly constituted Selection Committees or as per the norms of the University.
6. That the part time staff will be appointed as per the guidelines of the State Government or the University.
7. That the academic and other staff of the institution (including part time staff) shall be paid such salary as may be specified by the rules of the University.
8. That the University shall discharge its statutory obligations relating to provident fund, pension, gratuity etc. in respect of all its employees.
9. That the University will make adequate funds available for providing satisfactory facilities and for proper programme implementation in light of the increased admission capacity of the Veterinary College.
10. That the University will strictly follow all conditions and norms specified by Veterinary Council of India from time to time, conduct the programme in all earnestness, and submit itself to inspection by the Veterinary Council of India as required at any time.
11. In the event of non-compliance of norms and standards and any other condition laid down or specified by the Veterinary Council of India from time to time, the Veterinary Council of India or the Central Government will be free to take all necessary measures for effecting withdrawal of its recognition or permission, without consideration of any other issue, and that all liabilities arising out of such a withdrawal would solely be that of the University.

12. That the University will not cause or allow discontinuation of the Course in any year or for any batch, and that where compelled, it will seek the concurrence of Veterinary Council of India for discontinuation on the completion of the year or batch.
13. That the University has seen, studied and understood the norms and conditions stipulated for grant of permission for increasing the admission capacity of a Veterinary College including those stipulated by the Minimum Standards of Veterinary Education Regulations, 2016, as the case may be, to the proposed increase and feels that they are satisfied or can be satisfied by the time of inspection, failing which it would be willing to accept an unfavourable decision.
14. The University by virtue of the approval given by the Veterinary Council of India shall not automatically become claimant of any financial grant or assistance from the Central or State Govt. or support from the Veterinary Council of India.

(Signature of the authorized representative/ signatory along with
his or her official position and office Seal)

NAME IN BLOCK LETTERS

Place :

Date :

Witnesses :-

1.

2.

[F.No. K-12052-5(5251)/3/2017-LH]

MIHIR KUMAR SINGH, Jt. Secy.